प्रवेशांक - 2022 त्रैमासिक पत्रिका

विधान प्रबोधनी

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष एवं भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर

श्री राम नाथ कोविन्द, भारत के महामहिम राष्ट्रपति

द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास, पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण तथा ''सदन में विमर्श ही संसदीय प्रणाली का मूल है'' पर व्याख्यान

Azadi Ka Amrit Mahotsav

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास

महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से बोधगया के पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण।

विधान प्रबोधनी

प्रवेशांक - 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

पटना

संरक्षक : श्री विजय कुमार सिन्हा, मा० अध्यक्ष, विधान सभा, बिहार

सह संरक्षक : **श्री शैलेन्द्र सिंह**
सचिव,
विधान सभा सचिवालय, बिहार

: **श्री पवन कुमार पाण्डेय**
संयुक्त सचिव,
विधान सभा सचिवालय, बिहार

संपादक मंडल

विशेष संपादक : **श्री श्रीरमण सिंह**
मुख्य प्रतिवेदक, विधान सभा सचिवालय, बिहार

संपादक : **श्रीमती सुजाता मिश्रा**
उप निदेशक, विधान सभा सचिवालय, बिहार

सह संपादक : **सुश्री रागिनी सिंह**
पुस्तकालय सहायक, विधान सभा सचिवालय, बिहार

: **श्री मनीष कुमार**
पुस्तकालय सहायक, विधान सभा सचिवालय, बिहार

: **सुश्री पल्लवी गुप्ता**
पुस्तकालय सहायक, विधान सभा सचिवालय, बिहार

प्रकाशक :
पुस्तकालय एवं शोध सन्दर्भ शाखा
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना– 800015

संपर्क :
बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
दुरभाष– 9431456442, 7557487633
ई–मेल– PATRIKABVS2021@GMAIL-COM

© विधान सभा सचिवालय, बिहार

इस पत्रिका के सम्बन्ध में पाठकों के विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित हैं। पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। विधान सभा सचिवालय, उनके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

आमुख

यह हमारे लिये गौरव का विषय है कि हम विश्व के पहले लोकतंत्र की धरती के वासी हैं। जनता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उस व्यवस्था के तहत जनता ने यह निर्णय लिया कि चुनाव के माध्यम से हम अपने लिये एक ऐसी संस्था निर्धारित करें जो हमारे हितों का संरक्षण कर सके और यदि हममें कोई कमी हो तो इसके लिए कानून बनाकर हमारा मार्ग दर्शन कर सके। संसदीय व्यवस्था उसी की देन है। संसदीय व्यवस्था की कड़ी में एक इकाई के रूप में बिहार विधान सभा अपने सौ वर्ष पूरा कर चुकी है। इस सौ वर्षों की यात्रा में बिहार विधान सभा अंधकार से प्रकाश की ओर आ चुका है यानी परतंत्र से स्वतंत्र हो चुका है । स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष हो चुके हैं।

संसदीय प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम आमजनों के लिए कानून बनाते हैं और उस कानून के दायरे में अपने आपको भी रखते हैं। बिहार विधान सभा की विकास यात्रा में विधान सभा भवन का शताब्दी वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लम्बे समय तक विधायिका के लिए गौरवशाली और प्रेरणापूर्ण रहेगा । इस भवन में बने कानून में अपरोक्ष रूप से जनता की सहभागिता रहती है । शताब्दी समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सहित अन्य गणमान्यों ने बिहार के स्वर्णिम इतिहास का उल्लेख करते हुए, बिहार के उज्ज्वल भविष्य हेतु अपने सुझाव दिए और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर बिहार विधान मंडल के परिसर में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने कर कमलों से बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण एवं शताब्दी स्मृति स्तम्भ का शिलान्यास बहुत ही विशेष रहा। बिहार को एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुविकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित करने वाला संकल्प है, सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब यह संस्था 125 वर्ष पूरा कर पुनः इस प्रकार का समारोह आयोजित करेगी तब तक एक बेहतर बिहार, हमारे समक्ष स्वर्णिम इतिहास तथा उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों के साथ दिखेगा और यह सिलसिला इसी तरह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा ।

इस भवन की ईंटें खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, यह सोचकर कि वे उस भवन का हिस्सा हैं, जिसकी छत्रछाया में बैठकर आधुनिक बिहार, विकसित बिहार, प्रगतिशील बिहार, अपराध मुक्त बिहार, जात–पात के भेदभाव से मुक्त बिहार, जमींदारी प्रथा से मुक्त बिहार, नशामुक्त बिहार, सामाजिक न्याय वाला बिहार, समतामूलक समाज वाला बिहार और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले बिहार की रूप रेखा तय की गयी ।

महामारी के इस दौर में हमें अपने नैतिक मूल्यों को ऊँचा करने तथा स्वनुशासन पर बल देने का काम करना चाहिये ताकि हमारी प्रगति की गति तीव्र हो सके ।

(विजय कुमार सिन्हा)

सम्पादकीय

यह अत्यंत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में इस त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का शुभारम्भ इस अंक से हो रहा है। यह एक सुखद संयोग है कि जहाँ पत्रिका का शुभारम्भ हो रहा है वहीं बिहार विधान सभा भवन अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और ठीक इसी वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ।

इसके प्रवेशांक में सत्रहवीं विधान सभा के गठन के रोचक एवं तथ्यपरक आंकड़ों से लेकर चार सत्र तक के अधिवेशनों में हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं एवं निर्णयों के साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चलाये गए नशामुक्ति के संकल्प अभियान को समाहित किया गया है । बिहार विधान मंडल के वरीय सदस्यों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य राज्यों के विधान निकायों से प्राप्त पदाधिकारियों की कृतियों को भी इसमें समावेशित किया जा रहा है । इस अंक में सिवान, शेखपुरा, दरभंगा एवं वैशाली जिले में आयोजित कार्यक्रम एवं शिमला में आयोजित 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा दिया गया वक्तव्य सम्मिलित है।

यह पत्रिका संस्थान के माननीय सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अंतर्निहित भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी । इससे जहाँ साहित्यिक अभिरूचि को बढ़ावा मिलेगा, वहीं राष्ट्रभाषा हिंदी के उन्नयन में सहयोग मिलेगा तथा रचनात्मक प्रतिभा के प्रदर्शन का सुअवसर भी मिलेगा । पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका ''लोकतंत्र के मंदिर का प्रतिबिम्ब'' साबित होगी ।

सतर्क प्रयासों के बावजूद पत्रिका में कुछ कमियाँ तथा त्रुटियाँ होंगी । जिसके लिए सम्पादक मंडल क्षमाप्रार्थी है । आप सभी सुधी पाठकों का सुझाव एवं मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है।

(श्रीरमण सिंह)
विशेष सम्पादक

अनुक्रमणिका

क्र सं0	विषय		पृष्ठ सं0
	आमुख	मनानीय अध्यक्ष	
	संपादकीय	श्री श्रीरमण सिंह	
	विषय सूची		
1	कोरोना : विश्व–सभ्यता पर संकट	प्रो. रामवचन राय, स०वि०प०	07
2	आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में औद्योगिकीकरण की भूमिका	श्री नीतीश मिश्रा , स०वि०स०	12
3	विधान सभा समितियों की विधायी कार्यों में भूमिका	श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	16
4	बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर	श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स०	18
5	लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका : वर्तमान सन्दर्भ में एक समीक्षा	श्री डॉ. रामचंद्र पूर्वे, स०वि०प०	20
6	महिला सशक्तिकरण	श्रीमती स्वर्णा सिंह, स०वि०स०	24
7	बिहार में पर्यटन की संभावनाएं	श्री विजय कुमार, स०वि०स०	28
8	राजनीति में युवाओं की भागीदारी	श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स०वि०स०	32
9	बिहार में औद्योगिकीकरण की प्रास्थिति एवं संभावनाएं	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०	33
10	बेटी बचाओ बेटी पढाओ	श्रीमति शशि लखनपाल मिश्रा, सचिव (पंजाब विधान सभा)	37
11	नशाबंदी	श्री मनीष कुमार , पुस्तकालय सहायक, बि.वि.स.	40
12	भारतीय संसदीय प्रणाली	श्री राजेश कुमार तिवारी, सहायक मार्शल, बि.वि.स.	43
13.	कविता : साईकिल की सवारी	स्व० श्री मुसाफिर पासवान, पूर्व स०वि०स०	46
14.	बिहार विधान सभा भवन शताब्दी समारोह वर्ष की संक्षिप्त झलक		47
15.	सप्तदश बिहार विधान सभा का गठन और सत्र समीक्षा		51
16.	शिमला में आयोजित 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मा० अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन		73
17.	बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित सिवान, शेखपुरा, दरभंगा एवं वैशाली जिले के युवा संसद कार्यक्रम के दौरान मा० अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन		77
18.	सत्रहवीं बिहार विधान सभा में विभिन्न समितियों द्वारा संपन्न कुल बैठकों एवं उपस्थापित प्रतिवेदन की संख्या		83
19.	श्रद्धांजलि		84
20.	विविध		87

कोरोना : विश्व-सभ्यता पर संकट

पहला चरण

चीन से चला कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान इटली में हुआ है और अब दूसरे नंबर पर अमेरिका है। पूरे भू–मंडल पर इसका प्रकोप बढ़ रहा है और मानव–जीवन संकट में है। मीडिया में जो खबरें अब आ रही हैं उनसे पता चलता है कि चीन के वुहान शहर में 2019 के नवंबर महीने में ही इसका प्रकोप शुरू हो गया था, किंतु कई महीने बाद दुनिया को इसकी जानकारी मिली। अब चीन की मंशा पर ही शक उठाया जाने लगा है।

राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका और चीन जैसे दो शक्तिशाली राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता का परिणाम इसके पीछे देख रहे हैं। इन दो अर्थव्यवस्थाओं के टकराव ने कोरोना का विस्तार किया है और इसका नतीजा भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों को भुगतना पड़ रहा है। यदि चीन की नीयत अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की रही है तो इसके लिए जो खतरनाक तरीका अपनाया गया है, वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। भारत दुनिया में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का देश है और पांचवें पायदान पर खड़ा है। लेकिन कोरोना–संकट से जो झटका लगा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना लाजिमी है। चालीस दिनों के लॉक डाउन में सारा कुछ ठप हो गया है। भारत अब तक चीन के लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ है। इस घटना के बाद लोगों के मन में अनेक तरह की आशंकाएं उपजने लगी है। इसका असर बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है।

भारत में चीन के राजदूत Sun Weidong ने इस कोरोना–काल में भारतीय मनोदशा का अंदाज करते हुए दिनांक 2 अप्रैल 2020 के टाइम्स ऑफ इंडिया में 'सात दशकों का सफर' (Seven Decades Journey) नाम से एक लेख लिख कर भारत और चीन की मित्रता का इतिहास बतलाते हुए घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की है। इस लेख के साथ हाथी और ड्रैगन का हाथ मिलाता हुआ कार्टून छपा है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोरोना–संकट के संदर्भ में पत्राचारों का उल्लेख भी हुआ है तथा इससे संबंधित अनुभव को साझा करने का आश्वासन है। कहने को तो यह लेख भारत–चीन के राजनयिक–संबंध के 70 साल पूरे होने की वर्षगांठ पर लिखा गया है, लेकिन चीनी राजदूत ने वर्तमान संकट में भारतीय जनमानस को टटोलने और भरोसा दिलाने की कोशिश की है। यहां तक कि लेख में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच मित्रता और परस्पर आदान–प्रदान का इतिहास दो हजार वर्षों से भी अधिक का है।

जो भी हो, फिलहाल भारत के लोग इतिहास को याद करने के बजाय वर्तमान चीनी–कोरोना का करंट झेल रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह संकट प्राकृतिक है या मानव–निर्मित। यह प्रयोगशाला में किसी रासायनिक–प्रयोग की चूक है या चीनी–समाज के खान–पान की आदतों का नतीजा, जिससे विषाणुओं का जन्म हुआ है। अभी हफ्ता भर पहले अखबारों में छपा है कि वहां की सरकार ने बिल्ली और कुत्ते का मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले चर्चा थी कि चमगादड़ खाने से कोरोना वायरस फैला है। भारत में तो अभी मांस–मछली खाने से लोग परहेज कर रहे हैं और शाकाहारी बन गए हैं। चीन की तरफ से अभी इस मर्ज का खुलासा होना बाकी है। अमेरिका के साथ चीन की प्रतिस्पर्धा जग–जाहिर है। यह महाशक्ति बनने की होड़ है। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि भारत के चिकित्सक डॉ. द्वारिकानाथ कोटनिस सन् 1938 ई. में चीन पर जापानी हमले के समय घायल चीनी सैनिकों और आम नागरिकों के इलाज के लिए अपनी टीम के साथ चीन गए थे और चार साल तक वहां रह कर पीड़ितों की

सेवा की और वहीं अपने प्राण न्योछावर कर दिए। किंतु कोटनिस की आहुति का प्रतिदान कोरोना होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

चीन बौद्धधर्मावलंबी देश है। उसकी सांस्कृतिक परंपरा भी भारत की तरह ही प्राचीन है। वहां आम लोगों में प्रेम, सौहार्द और अतिथि–सत्कार की भावना भारत की तरह ही है। वर्ष 2006 में भारतीय लेखकों के एक प्रतिनिधिमंडल में वहां जाने का अवसर मुझे मिला था। तमिल, तेलगु, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी लेखकों के साथ उर्दू से शहरयार और हिंदी से मैं था। चीन के निमंत्रण पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तत्वावधान में यह शिष्टमंडल भेजा था। इसमें जे.एन.यू. के प्रो–वाइस–चांसलर प्रो. कपिल कुमार और अकादमी के वर्तमान सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव भी थे। हम लोग 10 अक्टूबर 2006 को सुबह 5.30 बजे मलेशियन एयरलाइन्स से बीजिंग पहुंचे। होटल पीस बीजिंग में हमें ठहराया गया। वहां से दो सौ गज की दूरी पर ऐतिहासिक स्थल 'तेन मेन स्क्वायर' है। चीनी भाषा में 'तेन मेन' का अर्थ होता है – स्वर्गिक शांति का द्वार। माओत्सेतुंग के नेतृत्व में चीन लोक गणराज्य का उद्‌घाटन अक्टूबर 1949 को इसी स्थान पर हुआ था। बाद में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान यहां प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों छात्र और नौजवान मारे गए थे और कई महीनों तक चीन अशांत रहा।

तेन मेन स्क्वायर के सामने उत्तर फारबिडेन सिटी की ओर जाने का रास्ता है। ठीक उसके प्रवेश द्वार से पहले माओत्सेतुंग–स्मारक–भवन बना है। भवन के ऊपर माओ की एक बड़ी तस्वीर लगी है जो दूर से ही दिखाई पड़ती है। तस्वीर के दोनों तरफ चीनी भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ है। मैंने अपनी दुभाषिया शिस्यूयान से पूछा कि क्या लिखा हुआ है? दरअसल उसने मुझे चीनी से अंग्रेजी में जो बताया वही साझा करने के लिए मैंने इस प्रसंग की चर्चा की। माओ की तस्वीर के साथ उनका कथन उद्‌धृत था। एक तरफ लिखा था – 'लांग लिव दि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' और दूसरी तरफ था – लांग लिव दि पीपुल ऑफ दी वर्ल्ड।' मैंने माओ की तस्वीर को सलाम किया–लाल सलाम! क्योंकि यह शख्स दुनिया भर की जनता की सलामती की दुआ करता है। आज कोरोना–संकट के दौर में माओ का वह कथन बार–बार याद आ रहा है। अगर चीनी नेतृत्व अपने पूर्वज की उस भावना का ख्याल करता तो दुनिया महामारी की चपेट में नहीं आती।

यह जाहिर–सी बात है कि अमेरिका के साथ चीन की प्रतिस्पर्धा महाशक्ति बनने की है। इसकी वजह से दोनों के बीच काफी दिनों से तनाव रहा है। अमेरिका की वर्चस्ववादी मानसिकता भी इस तनाव का कारण रही है। इसका अनुभव मुझे 2007 में हुआ। न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्‌घाटन राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव बान की मून ने किया। भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में हमें होटल यू.एन. में ठहराया गया था, जहां से लगभग डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है। उसके सामने एक छोटा सा खूबसूरत पार्क है। उस पार्क में लगी मूर्ति ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैं मूर्ति के पास गया – देखा कि एक अमेरिकी सैनिक हाथ में भाला लिए घोड़े पर सवार है और घोड़े के पांव के नीचे एक ड्रैगन दबा पड़ा है तथा सैनिक के भाले की नोक उसके शरीर पर है। ड्रैगन चीन की राष्ट्रीय पहचान है। यह शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने इस मूर्ति का होना अमेरिका के महाशक्ति होने के वर्चस्ववादी अहम का प्रतिरूप है। इससे चीन के प्रति उसके आक्रामक मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। विश्व भर के राजनयिक और पर्यटक वहां आते हैं। इस मूर्ति को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती होगी और स्वयं चीन को कैसा लगता होगा, यह विचारणीय विषय है।

इस कोरोना–संकट के बीज कहीं इन प्रतीकों में तो नहीं छिपे हैं? क्या त्वरित–विकास, अकूत समृद्धि और महाशक्ति बनने की अंधी–दौड़ में सारे मानवीय मूल्य ध्वस्त हो गए हैं? प्रेम, करुणा, शांति, सत्य, सौहार्द, बंधुत्व और परस्पर सम्मान–भाव सिर्फ किताबों के शब्द बन कर रह जाएंगे। अमेरिका और चीन दोनों के बीच साहित्य का संबंध–सेतु बनी पर्लबक ने जिस 'गुड अर्थ' का सपना देखा उसे इन दोनों कौमों ने कैसे भुला दिया? पर्लबक अमेरिकी मूल की थीं और चीन में बस गईं। वहीं ब्याह किया और जीवन का अधिकांश समय वहीं बिताया। वहां के समाज

और विशेषकर किसानों के जीवन को लेकर 'दि गुड अर्थ' नामक उपन्यास लिखा। उन्हें जब इस उपन्यास पर 1932 में पुलित्जर पुरस्कार और 1938 ई. में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो एक साथ दोनों मुल्कों का मान बढ़ा व दोनों ने जश्न मनाया। इस कोरोना–काल में दोनों मिल कर पर्लबक की 'अच्छी धरती' पर एक खुशहाल दुनिया बनाने की बात क्यों नहीं सोचते? चीन को भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि 6 मार्च, 1972 को अमेरिका में पर्लबक का निधन हुआ तो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी समाधि पर अंग्रेजों में नहीं, बल्कि चीनी (मंडारिन) भाषा में उनका नाम और समाधि–लेख अंकित हुआ। काश ! चीन इस भावनात्मक लगाव की संवेदनशीलता को समझ पाता तो कोरोना के कोहराम से पर्लबक की जन्मभूमि अमेरिका सहित यह पृथ्वी बच जाती। क्या बुद्ध की करुणा कोरोना से मात खा गयी ?

दूसरा चरण

पिछले साल से ही कोविड– 19 का प्रकोप दुनिया में कोरोना महामारी के रूप में कहर मचा रहा है। भारत भी इसका भयंकर शिकार है। इस वर्ष 2021 में इसकी दूसरी लहर ने अब तक लाखों जिन्दगियां समाप्त कर दी। सामाजिक जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है और अर्थ–व्यवस्था में भारी गिरावट आयी है। अनिश्चय और अनास्था का ऐसा माहौल वर्तमान पीढ़ी ने कभी नहीं देखा होगा। इस महामारी से मुकाबले के लिए साधन काफी कम पड़ गये। एक सौ तीस करोड़ की आबादी को बचाने के लिहाज से अस्पताल, डाक्टर और दवाएं नहीं हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि किसी अदृश्य दुश्मन का ऐसा खतरनाक हमला होगा। सरकार और समाज सबके लिए यह चुनौती का समय है। ऐसे में धीरज, साहस और कतिपय सावधानियों से ही इसका सामना किया जा सकता है। यह एक दूसरे पर दोषारोपण करने, आरोप–प्रत्यारोप लगाने और एक दूसरे की गलतियां ढूंढ़ने का समय नहीं है। एकजुट होकर ही इसका मुकाबला किया जा सकता है।

इस कठिन समय में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थानों और समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश और समाज के व्यापक हित में अपने अनुभव, ज्ञान, सेवा और साधन का उपयोग करना चाहिए। दुनिया की नजरें इतनी बड़ी आबादी वाले देश भारत पर लगी हुई हैं कि हम कैसे इस संकट का मुकबला करते हैं। हमारे लोकतंत्र के लिए भी यह एक चुनौती है। ऐसे में हमें संयम, सहिष्णुता और विवेक से काम लेने की जरूरत है। अभी कोविड के इलाज को लेकर आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच नाहक विवाद छिड़ा हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि इस महामारी के समय डाक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड मरीजों की सेवा की है और कर रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी अपने स्तर से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दूसरी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों की सहायता कर रहे हैं। इन सबके योगदान को स्वीकार करना चाहिए और इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जायेगा।

भारत एक समन्वित संस्कृति वाला देश है। अनेकता में एकता हमारे समाज की पहचान है और हमारे लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी है। इस कोरोना महामारी के दरम्यान हमने अनुभव किया है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां भी अफवाह फैलाने और लोगों को गुमराह करने में सक्रिय हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आपदा की इस घड़ी में लोगों का मनोबल गिरता है, समाज में अविश्वास का माहौल पैदा होता है और अंततः सबको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इस महामारी का मुकबला करने के लिए दवाओं के साथ–साथ आत्म विश्वास और ऊंचे मनोबल की भी ज्यादा जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि सकारात्मक सोच और आत्मबल का संक्रमितों के उपचार पर असर पड़ा है और वे शीघ्र स्वस्थ हुए हैं। अतः एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अफवाहों और नकारात्मक प्रयासों को बढ़ावा नहीं दें।

जानकारों का कहना है कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक दौर पहले भी आये हैं और ध्वंस के बीच सृजन और निर्माण का काम भी चलता रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पिछली सदी का ही है जब प्रथम विश्व युद्ध के

बाद महामारी ने दुनिया के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। यह महामारी स्पेनिश फ्लू के नाम से इतिहास में दर्ज है। ''सन् 1914 ई. में यह सबसे पहले सर्बिया में प्रकट हआ। किन्तु कुछ ही दिनों में इसने भयंकर रूप ले लिया। प्रारंभ में इससे संक्रमित लोगों की मृत्यु–दर 10 प्रतिशत थी, किन्तु महामारी जब चरम पर पहुंची तो मृत्यु–दर 60 से 70 प्रतिशत हो गयी। पहले जेलों में बंद कैदी फिर सैनिक और बाद में आम नागरिक इसके शिकार हुए। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बाद इसने रूस को अपनी चपेट में लिया। उस समय रूस गृह–युद्ध के दौर से गुजर रहा था। लेनिन को ऐसा लगने लगा था कि महामारी की दया पर क्रांति निर्भर है। सन् 1919 ई. में उन्हें कहना पड़ा–'या तो समाजवाद महामारी को हरायेगा या महामारी ही समाजवाद को हरा देगी (Either socialism will defeat the louse, or the louse will defeat Socialism-) सन् 1920 ई. तक समूचे रुस में महामारी अपने चरम पर थी। सन् 1921 में इसमें कुछ गिरावट आयी, लेकिन सन् 1922 ई. में इसने पुनः रफ्तार पकड़ ली, खास कर उन भागों में जो पहले से अकाल–प्रभावित थे।''

स्पेनिश फ्लू से उत्पन्न महामारी के प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। वस्तुतः अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी युद्ध में लड़ रहे थे। सन् 1918 ई. में प्रथम विश्वयुद्ध के समापन की घोषणा के बाद भारतीय सैनिक समुद्री रास्ते से बंबई बंदरगाह पर उतरे। उनके साथ स्पेनिश फ्लू भी आया और धीरे–धीरे महाराष्ट्र और गुजरात इसकी चपेट में आ गया। फिर युद्ध से लौटे सैनिक जिन–जिन प्रदेशों में गये, वहां महामारी ने भयंकर तबाही मचायी। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और गुजरात में हुई। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दक्षिण के तटीय प्रदेश भी प्रभावित हुए। इस महामारी में लाखों भारतीय मौत के शिकार हुए।

महात्मा गांधी भी स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए। उन्होंने अपने को कोरोन्टीन कर लिया और हफ्तों तक लोगों से मिलना बंद कर दिया। गर्म पानी, तरल गर्म–भोजन और उपवास से उन्होंने अपने को ठीक किया। सबसे दुःखद बात तो यह थी उनकी पुत्रबधू गुलाब और तीन साल का पौत्र शांति (हरिलाल गांधी की पत्नी और पुत्र) 1918 की गर्मियों में इस महामारी के शिकार हुए और कुछ दिनों बाद राजकोट में उनका निधन हो गया। गांधी जी उस समय साबरमती में थे। हरिलाल के जीवन के इस बिखराव से वे बहुत मर्माहत हुए। किंतु आश्चर्य है कि गांधी ने प्रथम विश्वयुद्ध से पैदा हुई इस महामारी के प्रचंड घातक प्रभाव का कोई उल्लेख अपनी 'आत्मकथा' – सत्य के प्रयोग – में नहीं किया है। हाल के दिनों में उनके पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक 'मोहनदास : ए ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पीपुल एण्ड ऐन इम्पायर' में जाकर इस त्रासदी की चर्चा की है।

सन् 1918–19 में भारत में फैले स्पेनिश फ्लू का शिकार हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का परिवार भी हुआ। सबसे पहले उनकी पत्नी मनोहरा देवी का इस फ्लू से निधन हुआ। उसके बाद निराला जी के पिता और चाचा भी इस बीमारी से चल बसे। निराला की जीवनी के लेखक डा. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि ''इन्फ्लूएंजा में इतने मनुष्य नष्ट हुए थे कि गंगा के किनारे दिन–रात चिताओं की जोत कभी मन्द न होती थी। अवधूत टीले पर बैठ युवक कवि घंटों तक बहती हुई लाशों का दृश्य देखा करता।

इस मार्मिक घटना से निराला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनका जीवन अस्तव्यस्त हो गया। दरअसल अतीत के आईने में वर्तमान का अवलोकन भी कम त्रासद नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर ने भारत में भय पैदा किया और 2021 में दूसरी लहर ने भयावहता पैदा की है। अब तीसरी लहर का खौफ सामने है। महामारी के इस पूरे दौर में देश में लाखों लोगों की मौतें हुई हैं। अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान हुआ है। लाखों लोगों की नौकरियां छूट गयीं; कामगारों का काम बंद हो गया। निम्न–मध्यवर्ग और मध्यवर्ग का जीवन हलकान हो गया है तो गरीबी–रेखा के नीचे रहने वालों का अंदाज लगाया जा सकता है।

इस कठिन समय में एक सवाल मेरे मन में बार–बार उठता है। गांधी जी ने स्पेनिश–फ्लू से उत्पन्न महामारी का दंश स्वयं झेला। उनके परिवार में मौतें हुईं, देश में लाखों लोग मरे, लेकिन इस मानवीय त्रासदी पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की? यही बात निराला के बारे में

भी कही जा सकती है। यहां तक कि कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के जालियावाला बाग गोलीकांड के विरुद्ध अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि छोड़ दी थी, लेकिन उसी समय देश में फैली संहारक महामारी पर कोई अपील जारी नहीं की। यहां तक कि उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर 3 अप्रैल, 1920 ई. को अहमदाबाद में गुजराती साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की लेकिन अपने भाषण में भी इस भीषण त्रासदी का कोई जिक्र नहीं किया। यदि हमारे इन महान पुरखों ने आने वाली पीढ़ी को इस संभावित खतरे से आगाह किया होता तो कम से कम आजादी के बाद सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी जागरुकता पैदा हुई होती और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एतद् संबंधी संसाधनों के विस्तार को प्राथमिकता दी गयी होती।

ऐसा कहने के पीछे कारण है कि उस समय गांधी जी और रवीन्द्रनाथ टैगोर दोनों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता थी और समाज एवं सरकार पर इन दोनों की अपील का असर होता पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है कि आज की कोरोना त्रासदी की घटना किसी न किसी रूप में दर्ज होनी चाहिए ताकि आनेवाली पीढ़ियां इस पीड़ा से परिचित हो सके तथा इस संकट से मुकाबले के लिए तैयार रहे।

आज पूरी दुनिया के साथ भारत भी इस संकट का मुकाबला कर रहा है और अब स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकार और समाज दोनों की जागरुकता और सक्रियता का ही परिणाम है कि इस जंग को हम जीतने के करीब पहुंच गये हैं लेकिन हमें निश्चिन्त नहीं होना है। इस अदृश्य शत्रु से सतर्क और सावधान रहना है। इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन–मास्क, दो गज दूरी और सेनेटाइजेशन[5] – के साथ वैक्सीन का टीका लगाना अत्यंत जरूरी है। तभी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में हम कामयाब होंगे।

संदर्भ :–

1. Sun Weidong, Times of India, New Delhi 2 April, 2020
2. Civilization and Diseas, Henary E-Sigerit, The Jonhs Hopkins Institute of the History of Medicine; August 1942
3. Mohan Das : A True story of a Man, his people and an Empire, Raj mohan Gandhi, Penguin Random House India year 2007 Page- 218
4. निराला, लेखक – डा. रामविलास शर्मा, प्रकाशक– शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, अस्पताल मार्ग, आगरा, तृतीय संस्करण 1971 पृष्ठ संख्या – 5
5. विश्व कवि रवीन्द्रनाथ एवं भारतीय नवजागरण, लेखक – प्रो. सुमन्त नियोगी, प्रकाशक – श्री ब्रजकिशोर स्मारक प्रतिष्ठान, पटना, वर्ष 2015, पृष्ठ संख्या – 184

प्रो. रामवचन राय

सदस्य, बिहार विधान परिषद्

आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में औद्योगिकीकरण की भूमिका

बिहार भारत के तीव्र गति से विकास कर रहे राज्यों में से एक है। विगत 15 वर्षों से बिहार की जी.डी.पी. में 10 प्रतिशत के अधिक की दर से वृद्धि हुई है, जो कि अन्य राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। बिहार 90 के दशक में देश में हुए व्यापक औद्योगिकीकरण एवं उदारीकरण का लाभ लेने से वंचित रह गया। किसी भी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में उद्योग एक प्रमुख माध्यम है, बिहार में तीव्र औद्योगिकीकरण के बिना आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना नहीं की जा सकती।

बिहार समय–समय पर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता रहा है। जिसमें गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2006, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 एवं इथनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति 2021 प्रमुख हैं। सरकार के अन्य प्रयास जैसे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार और सरकारी व्यय के साथ सार्वजनिक निवेश इत्यादि के माध्यम से निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान प्रतीत होता है।

औद्योगिकीकरण के लिए बिहार की नैसर्गिक भौगोलिक स्थिति उपयुक्त है। यहाँ की उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता, मेहनती एवं कुशल श्रमिक उद्योग स्थापना के लिए श्रेयस्कर है। यह देश के उत्तर एवं पूर्व दिशा के बड़े बाजार से जुड़ा है, वैश्विक स्तर पर यह दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार से काफी निकट है। कोलकाता, हल्दिया और पारादीप जैसे निकटस्थ बन्दरगाह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचने की राह सुगम बनाते हैं।

औद्योगिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जिलों से स्वर्णिम चतुभुर्ज राजमार्ग गुजरता है और पूर्वी क्षेत्र में माल ढुलाई के लिए सड़कों का जाल बिछा है। अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर भी बिहार से होकर गुजरता है। सीमावर्ती इलाकों के राजमार्ग का 729 कि0मी0 बिहार में है, जिससे नेपाल, भूटान एवं एशियन देशों में व्यापार करना आसान है। रेल नेटवर्क एवं हवाई यातायात की सुविधा हाल के दिनों में बेहतर हुई है।

बिहार में विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटी मशीनरी का उत्पादन, आई.टी., आईटी.ई.एस. एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण, इलेक्ट्रिक, खिलौना, वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, अक्षय ऊर्जा, चमड़ा, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र औद्योगिकीकरण हेतु चिन्हित उद्योग हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर निवेश को आमंत्रित कर औद्योगिकीकरण की दिशा में तीव्र गति से बढ़ाया जा सकता है।

बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि, पशु एवं मत्स्य पालन पर आधारित है। राज्य में कृषि एवं पशु –उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसका उपयोग मानव उपभोग के लिए बनायी जानेवाली वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। इन अवसरों के बावजूद राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। राज्य की बढ़ती खपत एवं राज्य से निर्यात में अधिक वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों की स्थापना की भरपूर संभावनाएँ हैं।

बिहार सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं फलों का छठा उत्पादक राज्य है। राज्य में उत्पादित प्रमुख सब्जियों में आलू, प्याज, फुलगोभी, टमाटर, गोभी, ओकरा, गाजर, मटर, परवल, भिन्डी आदि हैं। प्रमुख फलों में केला, आम, अमरूद और लीची हैं। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध

इन फल एवं सब्जी आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाईयों में ढाँचागत विकास से राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हो सकती है।

हमारा राज्य मखाना के मामले में वैश्विक स्तर पर 90 प्रतिशत उत्पादन कर विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। यह वेलनेस फूड श्रेणी में रखे जाने का मजबूत दावेदार है। यदि उचित रूप से विपणन किया जाय तो इसका प्रीमियम मूल्य निर्धारित कर दुनिया भर में निर्यात किया जा सकता है। (मखाना पॉप, भुना हुआ मखाना, स्नैक्स, रेडी टू कुक, खीर, बेबी फूड आदि) स्थापित करने से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलेंगे और रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही बड़े पैमाने पर इसका निर्यात हो सकेगा। मखाना प्रसंस्करण आधारित उद्योग को स्थापित कर औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, सरसों और कैरम बीज राज्य में उगाई जानेवाली महत्त्वपूर्ण नकदी फसलें हैं जिनके आधार पर कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हैं। दाल प्रसंस्करण इकाई तथा तेलहन प्रसंस्करण हेतु आधुनिक इकाई, मसाला एवं जड़ी–बूटी प्रसंस्करण, चाय प्रसंस्करण की आधुनिक इकाई एवं अन्य खाने योग्य तैयार व्यंजन जैसे बिस्कीट, कूकीज, ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक, चॉकलेट, कन्फेक्शनरीज एनर्जी पॉउडर, इन्सटेंट ड्रिंक इत्यादि के उत्पादन इकाइयों की स्थापना से औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य में कुल खेती योग्य भूमि लगभग 53 लाख हेक्टेयर है जिसमें 3 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। गन्ना राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। गन्ना आधारित अन्य सहायक उद्योग इकाइयां जैसे गुड़ उत्पादन, गुड़ की पैकेजिंग और मार्केटिंग से संबंधित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। वन डिस्ट्रीक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के अंतर्गत चिन्हित विभिन्न उत्पादों को आधार बना कर उसके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे जिला स्तर पर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पशुधन क्षेत्र ग्रामीण परिवारों के सम्मिलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही निवेश के साथ राज्य में पशु उत्पादों जैसे मांस, पोल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित की जा सकती है।

बिहार में चर्म शिल्प प्रक्षेत्र में विनिवेश की प्रचुर–संभावनाएँ हैं। राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता का ठोस आधार है। पटना, गया, नालंदा और मुजफ्फरपुर आदि जिलों में कला–श्रमिक जूतों का निर्माण करते हैं। इन जगहों पर चर्म शिल्प उद्योग लगाने हेतु आवश्यक संसाधन मौजूद है।

बिहार में कपड़ा इकाइयों में 14,000 पावर लूम है जो मुख्य रूप से भागलपुर, बाँका एवं गया जिलों में केन्द्रित है। कपड़ा उद्योग अत्यधिक–श्रमिक केन्द्रित उद्योग है। देश के एक बहुत बड़ी बुनकरों की संख्या बिहार में निवास करती है। इस क्षेत्र में भी औद्योगिकीकरण की अपार संभावनाएँ उपलब्ध हैं।

राज्य में कला विशेषकर मधुबनी (मिथिला पेंटिंग), रॉक पेंटिंग, सिक्की, लकड़ी के काम, लकड़ी नक्काशी, मिट्टी के बर्तनों का काम, बाँस का काम, कपड़ा छपाई आदि है। बिहार के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री कलस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत चिन्हित विभिन्न कलस्टरों में कारीगरों के कौशल विकास, उचित निवेश, मार्केटिंग और आपूर्त्ति श्रृंखला प्रबंधन से राज्य के इन क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाई स्थापित कर आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

आई. टी. तथा हार्डवेयर क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास के साथ आई.टी. पार्क जैसी आधारभूत संरचना की स्थापना न केवल कुशल मानव संसाधन की वृद्धि करेगा बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग इकाई, बैंक ऑफिस की स्थापना हेतु प्रेरित भी करेगा, जिससे राज्य की छवि उन्नत आई.टी. केन्द्र के रूप में उभरेगी।

भारत सरकार के आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड ईन्सेंटिव स्कीम के अंतर्गत एडवांस केमिकल सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक एवं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटो

मोबाईल एवं ऑटो कॉम्पोनेंन्ट्स, फॉर्मास्युटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम व नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाईल उत्पादन, फूड प्रोडक्ट्स एवं सोलर पी०वी० मॉड्युल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर बिहार भी इस योजना से लाभान्वित हो सकता है।

राज्य में विद्युतीकरण में वृद्धि से विद्युत पम्पों और बिजली से चलने वाले कृषि के सर्वोत्तम उपकरणों के उपयोग में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि उपकरणों के बाजार में अब उच्च वृद्धि देखी जा रही है। बिहार में कृषि से संबंधित छोटी मशीनों के निर्माण का अवसर है। राज्य में सही निवेश के साथ विनिर्माण इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकती हैं।

बिहार सर्वधर्म की एक अनुकरणीय उदाहरणार्थ पवित्र भूमि रही है, जहाँ हिन्दू, बौद्धों, जैन, सिख एवं इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों का समावेश रहा है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिनमें बिहार को प्रमुख धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित करना तथा बिहार के प्रमुख पर्यटन परिपथ (सर्किट) को बढ़ावा देना है। इन पर्यटन सर्किट में बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, गांधी सर्किट अशोका सर्किट आदि शामिल है। बिहार के योग केन्द्रों का समुचित ढंग से प्रचार करना आवश्यक है। अगर बिहार के पर्यटक स्थलों का समुचित विकास किया जाए तो पर्यटन आधारित अन्य उद्योग जैसे होटल, रिजोर्ट, टैक्सी सर्विसेज इत्यादि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो सकता है।

बिहार के अपने कुछ औद्योगिक सांकेतिक उत्पाद GI टैग के लिए मशहूर है। इनमें मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला मखाना, भागलपुरी सिल्क, जरदालू आम, मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, सिक्की, घासकला, सुजनी कढ़ाई शामिल हैं। इन उत्पादों का निर्यात कर बिहार के राजस्व में वृद्धि की अपार संभावनाएँ है।

राज्य सरकार के पास उद्योग के अनुकूल 3 हजार एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है। निवेशक प्रमुख रूप से राज्य में निवेश करने से पूर्व जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहते हैं। सरकार यदि निवेशकों को जमीन मुहैया कराती है तो बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां यहाँ स्थापित हो सकती हैं।

बिहार में उद्योगों के लिए एक बुनियादी ढाँचा के निर्माण में दीर्घकालिक निवेश से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार की विकास परियोजनाओं की सहायता कर सकेगा। निवेश के अवसरों में बेहतर सड़क और रेल नेटवर्क, मल्टी मॉडल परिवहन, औद्योगिक पार्कों की स्थापना आदि शामिल है।

बिहार के औद्योगिकीकरण में बैंकों की भी अहम भूमिका है। बैंक द्वारा संचालित रूरल सेल्फ इंम्पलॉयमेन्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (RSETI) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंधित सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बैंक की तत्परता एवं प्रतिबद्धता बिहार में औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक है।

विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्टार्ट–अप, नवाचार एवं इंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित शिक्षा एवं इनक्युवेसन केन्द्र की स्थापना कर युवाओं में उद्योग स्थापित करने की प्रेरणा दी जा सकती। जिससे उद्योग के अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा।

बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु समय–समय पर उद्योग संघों, उद्योग के प्रतिनिधियों, निवेशकों एवं विषय–विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजित कर उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है।

बिहार में व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय (Ease of Doing Business) जैसे श्रम संबंधी कानूनों में सुधार, कर में छूट, पर्यावरण कानूनों में सुधार, सिंगल विन्डो के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों का निष्पादन इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे निवेशकों को बिहार में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इथनॉल के उत्पादन में बिहार हब बन सकता है। इथनॉल उत्पादन संवर्द्धन नीति 2021 की मंजूरी के बाद अब मक्का के अधिशेष मात्रा एवं चावल के कण से भी इथनॉल का उत्पादन किया जा सकता है जो अब तक सिर्फ गन्ना तक सीमित था। इस निर्णय से अब राज्य में मक्का किसानों को भी लाभ मिलेगा। वर्ष–2030 तक सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। देश में इथनॉल की आवश्यकता 1600 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है,

जो 4000 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में सिर्फ 450 करोड़ लीटर इथनॉल का उत्पादन होता है। इस प्रकार बिहार में इथनॉल का उत्पादन, खपत और निर्यात मांगों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक संभावनाएँ हैं।

निश्चित ही इस निर्णय से आने वाले दिनों में बिहार में रोजगार एवं उद्योगों में अपार वृद्धि की संभावनाएँ हैं। साथ ही इथनॉल के वृहद स्तर पर उत्पादन से आयातित पेट्रोल पर निर्भरता में कमी आयेगी एवं पर्यावरण प्रदूषण भी घटेगा।

बिहार में निवेश, रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता एवं निर्यात वृद्धि की असीम संभावनाएँ हैं। यह बिहार के विकास के समग्र मॉडल का काम कर सकता है। इसके अलावा भारत के 5 ट्रीलियन ड्रीम इकोनॉमी के लक्ष्य प्राप्ति हेतु भी बिहार की भागीदारी में बढ़ोत्तरी अपेक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो विजन 'आत्म निर्भर भारत' एवं 'वोकल फॉर लोकल' का है उसमें भी बिहार की महती सहभागिता आवश्यक है। दृढ़ निश्चय के साथ सही दिशा में उठाया एक कदम मीलों दूर मंजिल पर हमें पहुँचाता है। स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में औद्योगिकीकरण की भूमिका सर्वोपरि है।

नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री सह स०वि०स०
38—झंझारपुर

विधान सभा समितियों की विधायी कार्यों में भूमिका

बिहार विधान सभा में मुख्यतः तीन तरह के कार्य होते हैं – विधायी, वित्तीय और माननीय सदस्यों के कार्य। विधान सभा अपने कर्त्तव्यों का विस्तारीकरण समिति के रूप में करती है। विधान सभा का सत्र 30 से 40 दिनों के बीच में पूरे साल में चलता है। इस दौरान इतना समय नहीं होता कि एक–एक चीज की समीक्षा की जा सके। यह काम समितियों के माध्यम से सदन करता है और इसलिये समितियों को सदन का लघु रूप कहा जाता है जिसके लिये समितियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। समितियां सामान्यतः विधायी कार्य नहीं बल्कि वित्तीय प्रावधान एवं कार्यान्वयन की समीक्षा तथा संसदीय कार्यों को करती हैं।

विधान सभा की समितियां सर्वदलीय होती हैं। माननीय सदस्य अपने कर्त्तव्यों के तहत समिति के लिए आबंटित कार्य अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समय–समय पर सुपुर्द किये गये कार्यों का निष्पादन करते हैं। समितियों की नियुक्ति विशेष प्रयोजनों के लिए की जाती है। आवश्यकतानुसार उसमें विशेषज्ञों से परामर्श भी प्राप्त किये जा सकते हैं। यह समिति प्रणाली लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है।

संविधान निर्माता महानुभावों तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनाने वाले पुरोधाओं ने समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दूरदर्शिता दिखाई थी और समितियों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता दी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समितियों का गठन कर दिये जाने के बाद जब समिति अपना प्रतिवेदन तैयार कर लेती है तो उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान समितियों को सशक्त बनाता है जिसके कारण समितियां निर्भयता से राज्यहित में काम करती हैं।

समितियों के संबंध में तीन प्रकार के नियम हैं। सामान्य नियम, जो सभी समितियों पर लागू होते हैं। विशिष्ट नियम, जिसमें समिति विशेष के लिए उपबंध किया गया है और आंतरिक नियम, जिसके माध्यम से प्रत्येक समिति अपने लिये आंतरिक प्रक्रिया निर्धारित करती है। आंतरिक नियम कार्य करने की विस्तृत प्रक्रिया से संबंधित होते हैं जो संबंधित समिति द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से बनाये जाते हैं। विधान सभा में कुल 25 समितियां हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के संसदीय कार्य आबंटित हैं।

विधान सभा की समितियाँ यदि कारगर ढंग से काम करें तो राज्य सरकार के विभागों को सही मार्गदर्शन देने में सहायक हो सकती हैं और इससे जनता के बीच न सिर्फ समिति की छवि सुदृढ़ होगी बल्कि सदन का मान भी बढ़ेगा। साथ ही, समिति में काम करने से माननीय सदस्यों का न सिर्फ ज्ञानवर्धन होता है बल्कि उन्हें यह संतुष्टि मिलती है कि वे भी गरिमापूर्ण संसदीय तंत्र का हिस्सा हैं।

विधान सभा का एक मौलिक कार्य यह है कि वह सभी कार्यों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करे। इसके मूल में यही सिद्धांत है कि चूंकि विधान सभा लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इसे सरकारी कार्यों की निगरानी करने और कार्यपालिका पर सतत् नजर रखने में समर्थ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायकों को संवैधानिक रूप से कार्यपालिका द्वारा किए गए नीति–निर्धारण पर अपने विचार व्यक्त करने और आवश्यकतानुसार संशोधन सुझाने की स्वतंत्रता के लिए जनादेश प्राप्त है। इसके लिए उनके पास सदन और समितियों जैसे सशक्त फोरम हैं।

विधान सभा अपने कार्य का एक बड़ा हिस्सा समितियों के माध्यम से सम्पन्न करती है। यह संसदीय समिति प्रणाली बहुत लाभदायक है। इससे सदन का समय बचता है जो अन्य मामलों पर चर्चा में लगाया जा सकता है।

विशेष प्रयोजन से समितियां इसलिए गठित की गयी हैं कि जनसाधारण को निःशुल्क न्याय मिल सके। न्यायिक प्रणाली खर्चीली है जबकि लोकतंत्र के इस मंदिर में याचिका समिति जैसी समिति के माध्यम से जनता माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को सीधे सम्बोधित कर आवेदन दे सकती है, ऐसी व्यवस्था है। याचिका पर विभाग से विमर्श कर उस पर समिति अपनी राय देकर सदन को अवगत करा सकती है।

सदन में दल–बदल कानून सदस्यों को अपने विजन के अनुरूप कुछ करने से रोकता है। उन पर व्हिप लागू रहता है इसलिए सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य कानून बनाते समय या बजट की खामियों को स्पष्ट रूप से उजागर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह दल विरोधी कार्यों की श्रेणी में आ जायेगा लेकिन संसदीय समितियों में व्हिप नहीं रहता जिसके कारण माननीय सदस्य समिति में दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय ले सकते हैं।

अजीत शर्मा
माननीय सदस्य, बि.वि.स
156–भागलपुर

बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर

शिक्षा हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् विद्या वह साधन है, जो मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा के द्वारा हम रोग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, दासता, गरीबी, बेकारी, अभाव, अज्ञानता, कुसंस्कार आदि की दासता से स्वतंत्र होते हैं। ''साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः'' अर्थात् साहित्य, संगीत, कला विहीन मनुष्य बिना पुच्छ के पशु के समान है। बिहार राज्य में लगभग तेरह करोड़ लोगों में शिक्षा के विकास और शत्–प्रतिशत शिक्षित बिहार की कामना निरंतर की जा रही है। प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा की भूमिका और उद्देश्य स्पष्ट है कि व्यक्ति एवं समाज का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही हो सकता है, तब क्या कारण है कि वर्तमान में शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। आज बौद्धिक स्तर में गिरावट आ रही है। आज बौद्धिक स्तर पर भले ही शैक्षणिक विकास हो रहा हो किंतु संवेदना और जीवन–मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज की शिक्षा में नैतिकता की अनिवार्यता स्वीकार की गई है।

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्येद वित्तमेति च याति च।
अक्षीणों वित्ततः क्षीणों वृत्ततस्तु हतो हतः।

अर्थात् चरित्रहीन व्यक्ति मृतक के समान है। धन तो आता जाता है, धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता पर चरित्र के नष्ट हो जाने से वह मरे हुए के समान है। इसलिए चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अतएव शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश अवश्य होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास करना है। समाज के आर्थिक विकास में आई गिरावट भी शिक्षा के गिरते स्तर के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही, शिक्षा के उद्देश्य का व्यावहारिक ज्ञान न होना, मौलिकता का अभाव, साहित्य और कला का अभाव और शारीरिक श्रम का अभाव भी मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

बिहार राज्य में वर्ष 2008–2009 में तथा अब तक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 लाख तक की गयी है। माध्यमिक कक्षाओं में समान शिक्षा व्यवस्था न होना एवं पाठ्यक्रमों में विभिन्नताएँ, माध्यमिक कक्षाओं में छात्र एवं छात्राओं के पूर्ण पठन–पाठन में बहुत बड़ी बाधा है और यह बिहार में गिर रहे शिक्षा के स्तर का मुख्य कारण है। सक्षम अभिभावक अपने बच्चों को धन के बदौलत शिक्षित बनाने में सामर्थ्य हैं, परन्तु शिक्षित व्यक्तियों के बेरोजगार रहने के कारण शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है।

आज आधुनिक युग में रोजगार पाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था है, जबकि सरकारी विद्यालयों के बच्चे कम्प्यूटर से कोसों दूर प्रतीत होते हैं। वर्ष 2013–14 में हर विद्यालय में कम्प्यूटर लगाया गया जिसमें कम्प्यूटर शिक्षकों द्वारा लगभग एक वर्ष तक पठन–पाठन कराया गया, लेकिन रख–रखाव के अभाव में सरकारी विद्यालयों में यह भी नदारद है। शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने हेतु एवं शिक्षा से आम लोगों के चंहुमुखी विकास हेतु सरकार को मेरी समझ एवं राय से माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत फैशन डिजाइनिंग, कृषि, खेल–कूद, संगीत एवं खाना–खजाना से संबंधित शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार एक से तेरह वर्ष की अनिवार्य शिक्षा तो दे रही है लेकिन यह शिक्षा केवल सैद्धान्तिक प्रतीत होती है, व्यावहारिक नहीं। वर्तमान शिक्षा–व्यवस्था केवल डिग्री प्रदान कर रही है, व्यक्तियों को सम्मानजनक रूप से आजीविका कमाने के लिए कोई मार्ग प्रदर्शित नहीं करती। शिक्षा के इसी निम्न स्तर के कारण देश में बेरोजगारी और अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शिक्षा के मूल्यों में ह्रास के कारण देश और समाज में असंतोष का वातावरण तैयार हो रहा है। समाज और देश के लिए ज्ञान का अत्याधिक महत्व है। क्योंकि शिक्षित राष्ट्र ही अपने भविष्य को संवारने में सक्षम हो सकता है। राष्ट्र की भौतिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा के मूल्यों

का उपयोग कर ही उन्नति की सही राह चुनी जा सकती है। आवश्यकता है ऐसी शिक्षा प्रणाली के विकास की, जो जीविकोपार्जक हो तभी बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर में गुणात्मक सुधार की जा सकती है। निजी विद्यालयों में सभी तरह की शिक्षा का प्रलोभन दिया जाता है, जिससे सामर्थ्यवान लोग उसकी महँगी फीस भरकर ही बच्चे का नामांकन करवा पाते हैं, परन्तु वह भी अपने शिक्षण संस्थानों को मात्र व्यवसायिक संस्थान बनाकर निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ऐसे शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करना है । बिहार में सरकारी विद्यालयों में इन्हीं सुविधाओं के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को भी शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू करनी है, जिससे निश्चित ही हम भी भारत के विकास में अहम् भूमिक निभाने के साथ बिहार राज्य को शिक्षित प्रदेश बनाने में अहम् भूमिका निभा सकेंगे। इसके लिए बिहार में समान काम के लिए समान वेतन और समान शिक्षा प्रणाली लागू करना अनिवार्य है। इसके साथ–साथ शिक्षकों को भी अपनी भूमिका कबीर के इस दोहे के अनुसार निभानी होगी–

''गुरू कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ी–गढ़ी काढ़ै खोट,
अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहै चोट ।।

अर्थात् गुरू, कुम्हार और शिष्य घड़ा के समान है। गुरू भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मारकर और गढ़–गढ़ कर शिष्य की बुराइयों को दूर करते हैं।

राकेश कुमार रौशन
माननीय सदस्य, बि.वि.स.
174–इस्लामपुर

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका : वर्तमान संदर्भ में एक समीक्षा

यह सर्वमान्य तथ्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अब तक की राज व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है जो मतवैभिन्य पर आश्रित है अर्थात् जहां मतों की भिन्नता है वहीं लोकतंत्र का निवास है। शायद इसीलिए संसदीय लोकतंत्र की जननी इंग्लैंड में विपक्ष को सत्ता पक्ष के बराबर महत्व दिया जाता है और उसे "Her Majesty's Loyal Opposition" कह कर संबोधित किया जाता है। ऐसे में विपक्ष लोकतंत्र का प्राण होता है। यद्यपि हमारा लोकतंत्र भिन्न परिस्थितियों में विकसित हुआ है, फिर भी संसदीय लोकतंत्र के वही सैद्धान्तिक आधार हैं जो ब्रिटेन में हैं परन्तु विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि विपक्ष की आवाज का महत्व घटता जा रहा है या यूं कहें कि विपक्ष अपने कर्त्तव्यों से या तो विमुख हो जाता है या सत्ता पक्ष उसे महत्व नहीं देता।

यह सत्य है कि संसदीय भूमिकाओं का ह्रास हो रहा है विद्वान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा संसदीय लोकतंत्र एक 'प्रतिक्रियावादी विधायिका' का रूप धारण करती जा रही है। (आर्थर रूबिनॉफ 2007)। इकॉनामिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (10 फरवरी, 2009) के लेख में कहा गया है कि संसद के लोकतांत्रिक कार्यकरण पर प्रश्न उठने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है। वर्त्तमान परिस्थितियों के आलोक में यहां विपक्ष की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है।

संसदीय विपक्ष का उद्‌भव

विद्वानों की मान्यता है कि प्रत्येक काल के हर शासन में और प्रत्येक भौगोलिक परिस्थितियों में सत्ता का विरोध होता है तथा विरोधी पक्ष संगठित भी रहा है। प्राचीन यूनान तथा रोम की शासन के साथ प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्थाओं में भी विरोधी पक्ष के प्रमाण मिलते हैं परन्तु यह असंगठित रूप में रहा है। मध्य काल में भी सामन्तवादी सत्ताधारियों का तथा आधुनिक काल के प्रारम्भ में संसदीय संस्थाओं द्वारा सम्राट का विरोध किया जाता था। संसदीय प्रतिपक्ष का उदय 1688 में माना गया है, परन्तु प्रथम बार "Her Majesty's Loyal Opposition" पद का व्यवहार उन्नीसवीं सदी में ही हुआ। कालान्तर में प्रतिपक्ष के वर्त्तमान स्वरूप का विकास हुआ विशेषकर राजनीतिक दलों के उदय ने प्रतिपक्ष को प्रथम संसद के रूप में विकसित कर दिया। ब्रिटेन संसद में विपक्ष के स्वरूप का निर्धारण इसके कार्य एवं कार्य प्रयासों से होता है। ब्रिटेन में भी विपक्ष का प्रत्यक्षीकरण प्रथम बार 1937 में हुआ। नेता विपक्ष सम्बन्धित विधायन कनाडा में 1905, आस्ट्रेलिया में 1920 तथा साउथ अफ्रीका में 1946 में हुआ। बीसवीं सदी में संसदीय पद्धति वाले लगभग सभी राष्ट्रों में विपक्ष को विधायिका का अभिन्न अंग बनाया गया। यहां तक कि विपक्ष को 'शैडो कैबिनेट' या 'वैकल्पिक कैबिनेट' की संज्ञा भी दी गई। परन्तु विपक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए गिलबर्ट कैम्पियन ने कहा कि वर्त्तमान मंत्रिमंडल द्वारा विश्वास खो देने के फलस्वरूप विपक्ष वैकल्पिक सरकार बनाने की क्षमता रखती हो तथा इसमें उनकी सकारात्मक नीतियों का विकल्प हो। विपक्ष मात्र विघटनात्मक विरोध का परिचायक न हो। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यवस्थाओं ने प्रतिपक्ष को महत्व नहीं दिया, प्रतिपक्ष का गला घोंट दिया वे व्यवस्थाएं बिखर गईं। संयुक्त सोवियत जैसा विशाल राष्ट्र भी ध्वस्त हो गया। यदि सरकारी तन्त्र में विरोध का स्थान नहीं है तो जनता अपनी जान देकर सत्ता का विरोध करती है।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष

जनता बहुमत और अल्पमत दोनों का ही चुनाव करती है। यदि अल्पमत और बहुमत में लगभग सन्तुलन की स्थिति होती है तो दोनों ही पक्ष अति सतर्क होते हैं तथा दोनों पक्ष के द्वन्द जन–समर्थन या जनता के रूख के कायल होते हैं, ब्रिटेन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। बहुदलीय संसदीय प्रणाली में विपक्ष में बहुरूपता होती है अर्थात् विपक्ष का

निर्माण विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं मुद्दे वाले दलों के समूह से होता है तथा इन दलों में ही आपसी विवाद होते रहते हैं। कई मुद्दों पर विभिन्न विपक्ष दल सम्मिलित विरोध नहीं कर पाते और सत्तासीन दल आरामदेह स्थिति में होता है। जब कभी निर्वाचन में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो दलों में सरकार बनाने के लिए गठबन्धन होते हैं। इस परिस्थिति में अल्पकालिक सरकारें बनती हैं क्योंकि एक गठबन्धन टूट कर दूसरे गठबन्धन का निर्माण करता है। भारतीय संसदीय प्रजातंत्र इसका उदाहरण है। केंद्र तथा राज्यों में यह स्थिति कई बार आ चुकी है। वर्त्तमान विपक्ष आपस में संगठित नहीं है। मुद्दा चाहे जो हो कभी–कभी सत्तासीन दल की स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वह विभिन्न विपक्ष दल पर हावी होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विपक्ष की भूमिका महत्वहीन हो जाए। विपक्ष अपनी मौलिक विभिन्नता से ही सरकार पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। सरकार की नीति निर्माण की प्रक्रिया पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि मुद्दों के आलोक में विपक्ष संगठित होता रहता है तथा जनसमर्थन को जीतने का प्रयास करता है। इसके लिए विपक्ष सरकार की त्रुटियों और क्रियाकलापों को सार्वजनिक तौर पर जनता के समक्ष रखता है। जेनिंग्स ने ठीक ही कहा है कि निर्वाचन केवल सरकार के चयन के लिए नहीं होते बल्कि विपक्ष के लिए भी होते हैं। सामान्य स्थितियों में प्रधानमंत्री के समक्ष नेता विरोधी दल होता है जो सदन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखता है। विपक्ष ही प्रजातंत्र को अधिनायकतंत्र से अलग करता है, अधिनायकतंत्र में राज्य की सत्ता पर एकाधिकार कायम हो जाता है। विपक्ष के अभाव में फासीवाद, सीजरीज्म और निरंकुश नौकरशाही ही स्थापित हो सकती है।

विपक्ष की भूमिकाओं का निरूपण

विधायिका के अंग के रूप में विपक्ष सरकार की त्रुटियों एवं क्रियाकलापों का पर्दाफाश करता है। जनता बहुमत दलों को अस्थायी तौर पर प्रबंधन का भार सौंपती है साथ ही, विपक्ष को उस पर अंकुश हेतु अपना मत देती है। सरकारी नीतियों पर अनवरत् निगरानी रखकर विपक्ष उसे प्रजातंत्र के उपयोगी उपकरण के रूप में काम करने की प्रेरणा देता है। विपक्ष ही सरकार से उसकी त्रुटियों में सुधार लाने हेतु बाध्य करता है। विपक्ष के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर तथा संसदीय विधियों में भाग लेकर खामियों को दूर करते रहते है। इस संदर्भ में यहां लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष मा. सोमनाथ चटर्जी के शब्द उल्लेखनीय हैं, ''विपक्षी सदस्यों को इतना दक्ष होना चाहिए कि यदि उन्हें सरकार की कोई नीति या कार्रवाई जनता के हितों के प्रतिकूल प्रतीत होती है तो वे जनता के मुद्दों को सभा में उठा सकें, परन्तु यह विरोध मात्र के लिए नहीं होना चाहिए।'' विपक्ष की अपीलें न तो केवल सत्ता पक्ष के किसी सदस्य या नेता से होती है बल्कि वह सदन के बाहर जनमत से भी करता है।

विपक्ष की सकारात्मक भूमिका भी होती है। यद्यपि ये राजनीतिक दल सदन में एक–दूसरे के प्रति कड़ा रूख रखते हैं परन्तु प्रजातंत्र की मौलिकता को बनाए रखने में एक साथ हो जाते हैं। सदन की कार्यवाही के संचालन में भी सदन में सभी दल एकता बनाए रखते हैं। पुनः चटर्जी साहब का यह परामर्श संदर्भ योग्य है, ''जब राष्ट्रीय महत्व के मामले और अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले सामने आते हैं तो यह आशा की जाती है कि संपूर्ण सभा दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करे।'' इसके लिए विभिन्न उपायों में संयुक्त संसदीय समितियां बनाकर मुद्दों पर सहमति कायम करना तथा विधान या कानून निर्माण में भी विपक्ष के सदस्यों का सीधा योगदान करना महत्वपूर्ण है।

विपक्ष नौकरशाही को भी सत्तापेक्षी होने से बचाता है। विपक्ष यह स्पष्ट कर देता है कि सरकार द्वारा किये गये सामाजिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था आम जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं या नहीं ? नागरिक स्वतंत्रताओं का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिकों को प्रशासन की कुकृत्यों की आलोचना करने की कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है।

जनमानस को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने का दायित्व मुख्य रूप से विपक्ष का ही है। विपक्ष ही जनमत संगठित करने के क्रम में आम जनता को निर्णय एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। विपक्ष ही विभिन्न सार्वजनिक मामलों को तथा विभिन्न दलों की नीतियों की सूचना मतदाताओं एवं आम जनता तक पहुंचाता है, जिससे आम जनता राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों एवं राजनीतिक दलों के निर्णयों का प्रचार–प्रसार करते हैं, जिससे जनमानस नीतियों एवं कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन कर निर्णय लेने की स्थिति बना लेते हैं परन्तु भारतीय संसदीय लोकतंत्र का अधिकांश काल मान्यता विहीन विपक्ष के रूप

में दिखता है।

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष

यह एक यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारा संसदीय लोकतंत्र विपक्ष की मानक भूमिकाओं के अनुरूप रहा ? ज्ञात हो कि प्रभावकारी विपक्ष की पहली शर्त सदन में मान्यता प्राप्त विपक्ष का होना है। विपक्ष सरकार की असीम शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। ए. एल. पावेल का कथन है कि मान्यता प्राप्त विपक्ष की उपस्थिति मात्र से सरकार के प्रजापीड़क कार्यों पर अंकुश लग जाता है तथा जनमत के अनुरूप नीतियों वाली विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व मात्र से अधिनायकवादी बहुमत दल पर प्रतिबंध लग जाता है।

विडम्बना यह रही कि भारत में विपक्ष प्रारंभ से ही सुदृढ़ नहीं रहा। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय लोक सभा में किसी भी विपक्षी दल की संख्या इतनी नहीं हो सकी कि किसी को नेता विपक्षी दल का दर्जा दिया जा सके। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नेता विपक्षी दल के लिए उस दल के कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का दस प्रतिशत सदस्य आवश्यक है। पहली बार लोक सभा में कांग्रेस में विभाजन होने के चलते लोक सभा में कांग्रेस (संगठन) के नेता राम सुभाग सिंह को दिसम्बर 1969 में नेता विपक्ष घोषित किया गया जो अल्पावधि के लिए रहे और विपक्ष विकल्प विहीन ही रहा। 1971 में अप्रत्याशित जीत के कारण कांग्रेस इतनी प्रबल थी कि 1971 से 1977 तक कोई भी इसके योग्य नहीं था। 1977 के बाद भी विपक्ष सबल नहीं रहा। फिर भी इस बीच डॉ. राम मनोहर लोहिया तथा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रबुद्ध विपक्षी नेता उभरे जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कर्णधार बने रहे। बाद में 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी नेता विपक्ष की भूमिका में रहे। 2004 से 2014 तक आडवाणी एवं सुषमा स्वराज ने नेता विपक्ष के रूप में सरकार पर कड़ी निगरानी का दायित्व निभाया। पुनः 2014 से 2021 तक नेता विपक्षी दल का पद रिक्त रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले सत्तर वर्षों में 42 वर्षों तक भारतीय संसद नेता विपक्षी दल के बिना रहा।

अब प्रश्न उठता है कि संसदीय लोकतंत्र को सजीव रखने में नेता विपक्षी दल की क्या भूमिका रहती है ? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जिसके चलते विपक्ष का निर्माण कई दलों से होता है। सभी दल अपनी भिन्न–भिन्न नीतियों के आधार पर सदन में स्थान पाते हैं। सत्ता पक्ष के विरूद्ध होते हुए भी इन दलों में आपस में नीतिगत समानता नहीं होती। यह स्थिति 1989 के बाद अधिक स्पष्ट हुआ जब क्षेत्रीय दलों का व्यापक विस्तार हुआ जो राष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो गये। इस प्रकार विपक्ष में बिखराव रहा। दूसरी ओर विपक्ष के राष्ट्रीय दल भी सीमित संख्या के कारण प्रभावहीन हो गये। ऐसी परिस्थिति में संसदीय लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए विपक्ष को एकजुट रखने का कार्य नेता विपक्षी दल ही कर सकता है। संसदीय कार्यप्रणाली में चार ऐसी विधाएं हैं जिनमें विपक्ष को सरकार की आलोचना और समीक्षा का अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, विनियोग विधेयक, कार्य स्थगन तथा अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति/राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर सरकार की नीतियों की समेकित समीक्षा, आलोचना तथा विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर होता है जो नेता विपक्षी दल के अभाव में नहीं हो पाता। उसी प्रकार बजट के दौरान विनियोग विधेयक पर वाद–विवाद में संगठित विपक्ष का होना आवश्यक है तभी सरकारी व्यय पर विपक्ष का अंकुश रह सकेगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव एक अत्यंत महत्वूपर्ण अवसर है जिसमें विपक्ष प्रबल बन जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव है जो विपक्ष को विकल्प (सरकार का और नीतियों का विकल्प) रखने का अवसर प्रदान करती है।

बिहार विधायिका एवं विपक्ष

उपरोक्त मानकों पर बिहार विधायिका में विपक्षी भूमिका का आकलन आवश्यक है। 1952 के आम चुनावों के पश्चात् बिहार सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस को विशाल बहुमत प्राप्त हुआ परन्तु बिहार के विधान सभा में 1957 से 1962 तक एस. के. बागे, 1962 से 1967 तक कामख्या नारायण सिंह तथा 1967 से 1969 तक महेश प्रसाद सिंह नेता विपक्षी दल रहे। 1969 से 1972 तक भोला पासवान शास्त्री, रामानंद तिवारी एवं दरोगा प्रसाद राय एक–एक वर्ष के लिए रहे। इसके बाद की लंबी अवधि तक में कर्पूरी ठाकुर (1972 एवं 1980 से 1988 के दौरान) एवं डॉ. जगन्नाथ मिश्र (1978 से 1980 तथा 1990 से 1994 के दौरान) रहे। नेता विपक्ष के रूप में कर्पूरी ठाकुर की भूमिका बिहार ही नहीं भारत के संसदीय इतिहास में विलक्षण स्थान रखती है। वे नेता विपक्ष के रूप में भिन्न–भिन्न नीतियों वाले

विभिन्न दलों में समन्वय बनाने, सामाजिक–आर्थिक विषमता को दूर करने, कमजोर वर्गों को हक दिलाने, लोकहित के प्रति सजग रखने, संसदीय मर्यादाओं का पालन करने जैसे कामों में सफल रहे। इसीलिए उन्हें 'विपक्ष का प्राण' की उपाधि दी गई। नेता विपक्ष के रूप में उनके संबोधनों में तथ्यों एवं उच्च मूल्यों का समावेश आज भी हमारे लिए मिसाल है। उनके बाद एक छोटी अवधि के लिए लालू प्रसाद यादव भी नेता विपक्ष रहे जिन्होंने सरकार की सामंतवादी नीति का जमकर विरोध किया था। 1996 से 2004 तक सुशील कुमार मोदी इस पद पर रहे। 2017 से लगातार आजतक (मार्च 2021) तक तेजस्वी यादव नेता विपक्ष के पद पर हैं।

स्वस्थ विपक्षी भूमिका की शर्तें : भरत वाक्य

संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है और विपक्ष का अधिकार इसके मूल में है। मतभेद होना एक मान्य संसदीय अभिव्यक्ति है। सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, ''किन्तु इसका (विपक्ष का) प्रदर्शन संसदीय साधनों के दायरे और मानदण्डों के भीतर ही किया जाना चाहिए .... संसदीय प्रणाली की प्रभावी कार्यकरण हमें यह बतलाता है कि हम अन्य लोगों, दलों, विचारों और सिद्धांतों के प्रति उच्च कोटि की सहिष्णुता दर्शाएं।'' इसी प्रकार प्रो. दण्डवते की मान्यता है कि 'सदन नेता एवं नेता विपक्ष के बीच संतुलन एवं आपसी सद्भाव रहना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेता विपक्ष सरकार विरोधी हो सकता है पर राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता है।' विपक्ष की भूमिका पर बोलते हुए मोरारजी देसाई ने कहा था, ''उन्हें मानवीय लय और सदाचार का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। विपक्ष को समय भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए।'' विपक्षी सदस्यों का संख्या बल भले ही कम हो पर उनका महत्व तनिक भी कम नहीं होता। इसलिए विश्वभर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विपक्ष को महत्व दिया जाता रहा है। विपक्ष के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व के कई हिस्सों में 'विपक्ष दिवस' भी मनाया जाता है। (उदाहरणार्थ कनाडा में) जिसमें छोटे दलों को वाद–विवाद के लिए एक विषय चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है।

अब यदि इक्कीसवीं सदी में बिहार में विपक्ष की भूमिका का आकलन किया जाए तो हम पाते हैं कि उपरोक्त मानकों के अनुरूप विपक्ष की भूमिका में कर्पूरी जी की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। कर्पूरी जी लगभग संसदीय विधाओं का, संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए, भरपूर उपयोग करते थे। उनके संबोधनों में तथ्य, सिद्धांत, कमजोर वर्गों के हित एवं सार्वजनिक हित की बातें रहती थी। उनके संबोधन को सत्तापक्ष भी ध्यान से सुनता था। यह उचित समय है कि विपक्षी सदस्यों को अपने कृत्यों के प्रति आत्म मंथन करनी चाहिए। विपक्षी दलों को सत्ताधरी दलों की निंदा केवल जनहित में करना चाहिए एवं व्यक्तिगत आक्षेपों से दूर रहना चाहिए। मेरा परामर्श है कि विधायकों, खासकर विपक्ष के सदस्यों को अपनी भूमिका निभाते हुए विधायी सदनों के सत्रों को बाधित करने, अशोभनीय एवं अमर्यादित व्यवहार, विकल्प विहीनता, लोकहित से ज्यादा दलीय हितों की संरक्षा आदि से दूर रहना चाहिए।

नई पीढ़ी के विधायकों को चाहिए कि वे कुछ समय पुस्तकालय में गुजारें और कर्पूरी जी के साथ–साथ विपक्षी भूमिका में रहे पुरोधा सांसदों के वक्तव्यों एवं संबोधनों का अध्ययन करें ताकि वो स्वस्थ विपक्ष की भूमिका से अवगत हो सकें तथा मंत्री पद प्राप्त करने पर सरकार के दायित्वों के निर्वहन में उसका उपयोग कर सकें। संभव हो तो वरीय विधायकों, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, से समय–समय पर संवाद करें क्योंकि जन प्रतिनिधि का सर्वोपरि दायित्व जनहित का रक्षण ही है जो उनके लंबे राजनीतिक जीवन का आधार बनता है। आज सभी विधायकों को संकल्प लेना चाहिए कि वे मानक संसदीय व्यवहार का पालन करते हुए जनेच्छाओं की संरक्षा करेंगे।

डॉ0 रामचन्द्र पूर्वे
पूर्व मंत्री बिहार
सदस्य बिहार विधान परिषद्, पटना

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं का पारिवारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने और अपने देश के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है । आज के आधुनिक समाज में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रन्थों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं । लेकिन विडंबना तो देखिए। नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यन्त आवश्यकता महसूस हो रही है ।

बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ उपयोगी कदम उठाए हैं । विभिन्न योजनाओं के द्वारा आज बिहार की महिलाओं को समाज में अच्छी पहचान और उनके विकास के लिए तरह–तरह से महिलाओं के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इससे न केवल महिलाओं को आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही है अपितु उनके परिवार वालों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। बिहार सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालिका साईकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना'' के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है । जबकि कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय पाँच हजार रुपये तक की राशि सहायता स्वरूप दी जाती है । हिंसा पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकीय एवं विधि परामर्श उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला में महिला हेल्प लाईन संचालित है । महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति लागू किया गया है । जिसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा नियोजन में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है । पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कॉन्सटेबल की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का आरक्षण है । सरकार के सात निश्चय योजना के तहत ''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार'' के तहत सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के समाजिक परिवर्तन के लिए भी कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए शराबबंदी जैसे निर्णय लिये गये हैं। दहेज प्रथा एवं बाल–विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जीविका के माध्यम से अब तक 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है । अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपये दिया जाता है । बालिकाओं और किशोरियों के पूर्ण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को पूरे राज्य में लागू किया गया है । एक कन्या के जन्म से स्नातक तक कुल पचपन हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है । यह हकीकत है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दें तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी । दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम में योगदान तेजी से कम हुआ है, यह लगातार चिंता का विषय बना हुआ है । लेकिन फिर भी महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है । नेशनल सैंपल सर्वे (68वाँ राउंड) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला सहभागिता दर 25.51 प्रतिशत थी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 24.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में मात्र 14.7 प्रतिशत थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते है ? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाएं मात्र 17 प्रतिशत का योगदान दे रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार क्रिस्टी लगार्डों का कहना है कि ज्यादा–से–ज्यादा महिलाएं श्रम में भागीदारी करे तो भारत की जी0डी0पी0 27 प्रतिशत बढ़ सकती है । समान परिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता । कार्यस्थल में उत्पीड़न के खिलाफ वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है । यह चिरन्तन सत्य है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। महिलाओं को सशक्त किए जाने को लेकर बिहार में चलने वाली योजनाएं किसी एक महकमे से संचालित नहीं हो रहीं। एक साथ कई महकमों को सरकार ने सशक्तिकरण के काम में जोड़ा है । महादलित समुदाय की महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और पोषण रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नारी ज्योति कार्यक्रम को लाया गया है कृषि क्षेत्रों में महिला उत्पादक समूहों को गठित किया गया है । नवांकुर ग्राम उद्यम कार्यक्रम के तहत ग्रामीण नवांकुर महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने और फिर उन्हें उद्यम चुनने का विकल्प देकर सरकार सहायता करती है । जीविका समूह को विस्तारित किया गया है । सात निश्चय कार्यक्रम के तहत आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार कार्यक्रम शुरू हुआ और 2016 से ही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को लेकर महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । समाज कल्याण, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग तो अपने बजट का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा महिलाओं पर खर्च कर रही है।

जब समाज सशक्त और विकसित होता है तब राष्ट्र मजबूत होता है। इस प्रकार एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है । माता के रूप में नारी एक बालक की प्रथम गुरु होती है । जॉर्ज हर्बर्ट ने कहा था कि ''एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती हैं इसलिए उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए।''

भारतीय समाज में वैदिक काल से ही नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारा अखंड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना ही जाता है । किन्तु कालांतर में नारी की स्थिति का ह्रास हुआ, मध्यकाल आते–आते यह स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। क्योंकि अंग्रेजों का मकसद भारत पर शासन करना था न कि भारत की रीति–रिवाजों, मान्यताओं और समाज सुधार करना था । इसलिए ब्रिटिश शासन काल में भारतीय नारियों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । अपवाद के रूप में कुछ छोटी–मोटी पहल जरूर हुई पर इसका कोई विशेष असर नारी की स्थिति पर नहीं पड़ा ।

प्राचीन काल में नारी को विशिष्ट सम्मान एवं पूजनीय दृष्टि से देखा जाता था । सीता, सती, सावित्री, अनुसूइया, गायत्री आदि अनगिनत भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है ।

कालांतर में देश पर हुए अनेक आक्रमण के पश्चात भारतीय नारियों की दशा में भी परिवर्तन आने लगा । समाज में उसका स्थान हीन होता चला गया । अंग्रेजी शासन काल के आते–आते भारतीय नारियों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उसे अबला की संज्ञा दी जाने लगी तथा दिन–प्रतिदिन उसे उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद ऐसा सोचा गया था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सांस लेंगी और शोषण तथा उत्पीड़न से मुक्त होंगी किन्तु ऐसा हुआ नहीं ।

वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16(2), 23, 39(क), 39(घ), 39(5) एवं 42 द्वारा महिला अधिकारों को विविध रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है । इसके अलावा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में उनके लिए आरक्षण का प्रावधन भी किया गया है ।

यह सही है कि सरकार द्वारा अपने स्तर पर नारी सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं परंतु यह प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब तक धरातल पर पुरुष प्रधान मानसिकता का संपूर्ण रूप से विनाश ना हो जाए । आज भी घटता लिंगानुपात, भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बंधुआ मजदूरी, नारी तस्करी जैसी कुरीतियां हमारे देश में अभी तक बनी हुई है । यह नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही विकट समस्या बनकर खड़ी हुई है ।

वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के लिए जन–जन तक यह संदेश जाना जरूरी है कि महिला

सशक्तिकरण देश के विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है । आज महिलाओं को राजनैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता है।

महिलाओं को पुरुषों की तरह प्रत्येक अवसर का लाभ मिलना चाहिए। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परम्परा है लेकिन आज केवल यह एक ढोंग मात्र रह गया है । आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक है । जिसका परिणाम हुआ है कि कई सारे स्वयं सेवी समूह और एन.जी.ओ.आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं । महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएँ भी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएं है । वैसे तो शहरी क्षेत्र में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में वह काफी पीछे है ।

वर्ष 2018 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट द्वारा पता चला है कि भारत में हर वर्ष 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है । जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रूक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नहीं हो पाती है । सरकार द्वारा महिलाओं के हित के लिए कई कानून बनाए गए हैंः– अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1856, दहेज रोक अधिनियम, 1961, समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1987, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, 1994, बाल विवाह रोकथाम, 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013।

बिहार वर्ष 2021 तक पूर्ण साक्षर राज्य होगा । 2011 की जनसंख्या में महिला साक्षर वृद्धि दर में बिहार अव्वल था। इसके लिए राज्य को पुरस्कृत भी किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में महिला की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । सभी लड़कियों को कम से कम इंटर तक की शिक्षा दी जाएगी । माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस साल 1000 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे । इससे बाल विवाह की कुप्रथा भी समाप्त होगी । लिंगानुपात भी सुधरेगा । अभी बिहार में 1000 लड़कों पर मात्र 917 लड़कियां हैं । बिहार में वर्ष 2015–16 में 26.4 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक एकाउन्ट था जबकि अब 76.7 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है । मोबाइल का इस्तेमाल करने वाली महिलाओ की संख्या 40.9 प्रतिशत से बढ़कर 51.4 प्रतिशत हो गई है । शहरों में 61.8 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 49.3 प्रतिशत महिलाएं मोबाइल का उपयोग करती है । बिहार में बेटियों को शिक्षित करने के लिए चलायी जा रही साइकिल योजनाओं से चहुमुखी विकास की झलक दिख रही है । खासकर बेटियों को शिक्षित करने के लिए चलायी जा रही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के कारण लड़कियों की शिक्षा में 8 प्रतिशत का सुधार हुआ है। एन. एफ.एच.एस. 4 में शिक्षा की यह दर 49.6 प्रतिशत थी। अब 57.8 प्रतिशत हो गयी है। शिक्षा का स्तर ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में सुधरा है। शहरी क्षेत्र में 4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है । यानि शिक्षा की लौ शहर से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में फैली है । बेटियों के शिक्षित होने का ही असर है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बेटियाँ अधिक मुखर हुई है। पहले 42.5 प्रतिशत बेटियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती थी जबकि 2020 में यह आंकड़ा 40.8 प्रतिशत आ गया है ।

महिला सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से 11 प्रतिशत अधिक महिलाएं अस्पताल जाने लगी है तो शहरी क्षेत्र की 14 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाएं अस्पताल में प्रसव कराने पहुंच रही है । वर्ष 2015–16 में 43.2 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित थी । अब यह आंकड़ा 40 प्रतिशत है ।

नारी को सशक्त बनाए बगैर हम मानवता को सशक्त नहीं बना सकते । संवेदना, करूणा, वात्सल्य, ममता, प्रेम, विनम्रता, सहनशीलता आदि नारी के वे गुण हैं, जिससे वह मानवता को निखार और संवारकर उसे मजबूत रूप से सशक्त बना सकती है। इसके लिए अतिआवश्यक यह है कि महिलाओं का सम्मान हो और हर क्षेत्र में समान भागीदारी हो।

महिलाओं को साक्षर बनाने का हर संभव प्रयास किया

जाए और हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व भावना को प्रोत्साहन देते हुए महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। महिलाओं पर हो रही हिंसा का अन्त हो और उन्हें शांति, सुरक्षा और विकास के हर एक पहलू में शामिल किया जाए । हर राष्ट्र को यह चाहिए कि महिलाओं को आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास योजना में शामिल किया जाए । हर राष्ट्र को ''जेंडर बजटिंग'' प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसकी पहल भारत में हो चुकी है ।

इन सबके साथ–साथ यह भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि सभी कार्यक्रम एवं योजनाएं तभी अपना रंग दिखा पाएंगे जब नारी खुद के अधिकार के संदर्भ में जागरूक हों तभी यह स्वयं को सशक्त कर सकेंगी ।

जिस तरह से भारत में आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को जैसे – समाज की पितृसत्तात्मक और पुरूष प्रधान व्यवस्था को समझना और उसे हटाना होगा । यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधनिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएं। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हों, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है । महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक–आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है । महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है । हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए । इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है । महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं । आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है । वर्तमान में नारी ने रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है । यह एक सुखद संकेत है । लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है ।

स्वर्णा सिंह
माननीय सदस्या, बि.वि.स.
79–गौड़ा बौरम

बिहार में पर्यटन की संभावनाएं

ऐतिहासिक यादें सांस्कृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक विरासत से समृद्ध भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली, जैनधर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉ– राजेन्द्र प्रसाद, महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, मैथिल कवि (कोकिल) विद्यापति की जन्म स्थली 'बिहार' जहां लोकतंत्र की सबसे पहली नींव रखी गयी हो, जहां मगध, पाल, गुप्त, मौर्य साम्राज्य की अनंत पुरातात्विक और ऐतिहासिक यादें छिपी हों, भला वहाँ पर्यटन की संभावनाओं की कमी हो, यह हो नहीं सकता ।भौगोलिक बनावट के हिसाब से बिहार के बीचो– बीच पश्चिम से पूरब गंगा नदी बहती है जो यहाँ की धरती को पावन और मिट्टी को उर्वरा बनाती है साथ ही पर्यटन की असीम संभावनाओं को तराशती है । हम दक्षिण बिहार के गया जिले से पर्यटन की संभावनाओं की तलाश करें तो अकेले यह शहर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है । मोक्ष भूमि गया की फल्गु नदी जहां देश के विभिन्न प्रान्तों के हिन्दू धर्मावलम्बियों को पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने के लिए आकर्षित करता है, वहीं बौद्ध धर्म मानने वालों को पूरे विश्व से ज्ञान की भूमि बोधगया शांति और ज्ञान प्रदान करता है । जापान, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, थाईलैंड, चीन आदि देशों से बौद्ध धर्मावलम्बी हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष बोधगया आते हैं। इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से सीधे जोड़ दिया जाय तथा बोधगया के आस–पास सुरक्षा, रात्रि मनोरंजन के लिए स्थल विकसित हो, पटना से एक्सप्रेस–वे, हरियाली, पार्क, फाइव और सेवन स्टार होटल, ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय टेंपल आदि स्थापित किए जायं तो निःसंकोच बोधगया में ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे और राज्य में पर्यटन से राजकोष में अच्छी आमदनी के साथ –साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा । गया से सटे तथा राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कभी विश्व स्तर के शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसके अवशेष और खंडहर आज काफी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सन् 2006 में राज्य एवं केंद्र सरकार की मदद से नालंदा विश्वविद्यालय पठन –पाठन के लिए फिर से चालू कर दिया गया है जो पर्यटकों एवं देश–विदेश के छात्रों को काफी आकर्षित कर रहा है । नालंदा से सटे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह पहाड़ी और जंगल का प्राकृतिक मनोरम दृश्य का तो कहना ही क्या !

महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल पुणे स्थित 'भाजे' और 'लोनावला' से भी खूबसूरत प्राकृतिक मनोरम दृश्य– पहाड़, जंगल, झरने, बुद्ध मंदिर, जैन टेम्पल, रोपवे, विश्व शांति स्तूप, घोड़ाकटोरा का नौका विहार, इको पार्क को देखने अगर एक बार पर्यटक चले आएं, तो यह निश्चित है कि वह दूसरी बार अपने परिवार और दोस्तों को भी राजगीर घूमने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर स्टेट टूरिजम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो 2001 में बिहार में मात्र 85673 विदेशी पर्यटक बिहार आए थे जो आंकड़ा 2019 मे बढ़कर 10.9 लाख हो गया । इसी तरह बिहार में आने वाले कुल पर्यटकों की बात करें तो 2001 में 61 लाख पर्यटक आए थे जो 2019 में बढ़कर 3.5 करोड़ हो गया । बिहार आने वाले पर्यटकों में सर्वाधिक पर्यटक नालंदा, राजगीर और बोधगया आते हैं, ये पर्यटक दूसरे जिलों में भी जा सकते हैं, इसके लिए अनुकूल वातवारण तैयार करने की जरूरत है । यह आंकड़ा सरकार के थोड़े से प्रयास से एक साल में दोगुना किया जा सकता है । राजगीर से सटे जैन धर्मावलम्बियों की भगवान महावीर की निर्वाण स्थली पावापुरी भी आकर्षण का केंद्र है, जिसे अगर सही तरीके से विकसित किया जाय तो पूरे हिंदुस्तान से जैन धर्म मानने वालों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर्षित किया जा सकता है । पावापुरी

से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर नवादा जिले के फतेहपुर प्रखण्ड के शीतल जल का जलप्रपात 'ककोलत' में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं है । अभी यहाँ गर्मी के दिनों में स्थानीय पर्यटक हजारों की संख्या में प्रतिदिन पहाड़ी से गिरते ठंडे जल के झरने में स्नान करने आते हैं । यहाँ का जल इतना ठंडा है कि इसके झरने से गिरने वाले जल की वजह से आस –पास के तीन –चार किलोमीटर पहले से ही शीतलता का एहसास होने लगता है । इलाका जंगली है लिहाजा सुरक्षा और यातायात की सुगमता, टूरिस्ट बंग्लो, लग्जरी होटल, पार्क के निर्माण पर अगर ध्यान दिया जाय तो बोधगया और नालंदा आने वाले पर्यटक समय निकाल कर अपनी थकान मिटाने ककोलत जरूर जायेंगे, जिससे राजकोष की वृद्धि हो सकती है । नवादा से सटे शेखपुरा, जमुई, लखीसराय की बात करें तो शेखपुरा के बरबीघा प्रखण्ड के सामक्ष स्थित पालकालीन बेसाल्ट पत्थर की एकास्म सात फीट ऊंची भगवान विष्णु की आदमकद प्रतिमा जो एक तलाब की खुदाई के दौरान निकली है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कीमती काली बेसाल्ट पत्थरों से बनी यह प्रतिमा दक्षिण भारत के बालाजी तिरुपति वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी सात इंच ऊंची है। शेखपुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर कुसेढ़ी नामक जगह पर पालकालीन बेसाल्ट पत्थर का बना भगवान शिवजी का एक शरीर और पाँच मुख वाली मूर्ति है जिसे 'पंचवदन स्थान' के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि स्वंय प्रकट होने वाले एशिया महाद्वीप में भगवान शंकर की इस तरह की मूर्ति कहीं दूसरी जगह नहीं है । लोग दूर– दराज से यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। कहा जाता है कि पंचवदन स्थान में भगवान शिवजी से जो कोई सच्चे दिल से मांगता है भगवान उसकी मुरादें पूरी करते हैं । स्थानीय लोगों के प्रयास से यहाँ एक भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है । इस स्थल को भी अगर विकसित किया जाय तो नालंदा, राजगीर और बोधगया आने वाले टूरिस्ट पार्वती, अफसढ़ (वराह मूर्ति) होते हुए सामस विष्णुधाम और पंचवदन स्थान का भी दर्शन करने अपने –आप चले आएंगे । दूरी के हिसाब से भी यह राजगीर से मात्र 35 –40 किलोमीटर ही है लिहाजा लोगों को विष्णुधाम और पंचवदन स्थान कुसेढ़ी जाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा । सामस से ही 17 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर, मनोरम प्राकृतिक दृश्य वाला शेखपुरा का गिरिहिंडा पहाड़ भी है । पहाड़ पर जाने के लिए सीढ़ियों के अलावा सड़क भी बनाई गयी है । पहाड़ पर बना शिव मंदिर काफी संख्या में आस– पास के जिलों के पर्यटकों को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब अज्ञातवास में घूम रहे थे तब शेखपुरा के पहाड़ पर भीम को हिडिंबा नामक राक्षसी से प्रेम हो गया था और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया थे । उस वक्त उसी हिडिंबा के नाम पर हिडिंबा पहाड़ी नाम रखा गया था बाद मे उस पहाड़ी का नाम गिरिहिंडा हो गया । गिरिहिंडा पहाड़ से शेखपुरा शहर को देखने का आनंद ही कुछ और है । यहाँ आने वाले पर्यटक को पहाड़ से नीचे झांकने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आसमान में उड़ते जहाज से धरती की सुंदरता को देख रहा हो । शेखपुरा से पाँच किलोमीटर पश्चिम 100 एकड़ में फैले मटोखरझील भी नौका विहार के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस झील की प्राकृतिक बनावट को देखकर टूरिस्ट स्पॉट बनाने की घोषणा भी की है । बताया जाता है की इस झील का निर्माण मुगल काल में शेखपुरा के ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए जन सहयोग से किया गया था । इस स्थल को अगर विकसित किया जाय तो बड़ी संख्या में पर्यटक शेखपुरा की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। शेखपुरा से सटे लखीसराय का 'अशोक धाम' भी पर्यटन का एक बड़ा केंद्र हो सकता है । पाल कालीन शासक राजा इन्द्र दमनेश्वर के काल में बना पाल कालीन महादेव का शिव लिंग यहाँ खुदाई के दौरान आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व मिला था, अब यहाँ पूजा– पाठ, शादी –विवाह, मुंडन आदि कार्य करने हजारों की संख्या में दूर – दराज से लोग आते हैं। कहा जाता है कि अशोक धाम में शादी – विवाह तथा मुंडन के लिए कोई लग्न और मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। अब तो यहाँ जन सहयोग से कोणार्क शैली में कई भव्य एवम् विशाल मंदिर, धर्मशाला आदि भी बना दिये गए हैं जो बड़ी संख्या में हिन्दू धर्मावलम्बियों को आकर्षित करता है। अशोक धाम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर

बड़हिया में माता जगदंबा त्रिपुरसुंदरी का विशाल एवं भव्य मंदिर है । कहा जाता है इस मंदिर में माता से सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है माता उसकी मुरादें पूरी करती हैं, यही कारण है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़हिया जगदंबा स्थान जाकर पूजा –अर्चना करते हैं । लखीसराय में ही चानन पहाड़ और जंगल के बीच श्रृंगीऋषि में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है, यहाँ भी संख्या में शिव भक्त जाते हैं , जंगली इलाका होने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखते बनता है। लखीसराय में ही लाल पहाड़ी में पाल कालीन कई अवशेष, मूर्तियाँ मिली हैं, पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई भी कर रहा है। अगर लाल पहाड़ी को भी विकसित किया जाय तो भगवान महावीर के जन्म स्थल जमुई के लछुआड़ आने वाले जैनी पर्यटक लखीसराय के पर्यटक स्थलों का दर्शन करने में नही हिचकेंगे। इसी तरह चूंकि जमुई के 'लछुआड़'का दर्शन करने हजारों की संख्या में जैनी हर साल आते हैं लिहाजा जमुई में भी हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता है । जमुई के सिकंदरा के समीप महादेव सिमरिया में पाल कालीन बाबा धनेश्वर नाथ शिवमंदिर है। मंदिर के आस – पास बड़ी संख्या में पाल कालीन मूर्तियाँ मिलती रहती हैं लिहाजा यहाँ भी पर्यटन की संभावनाएं दिख रही हैं। कहा जाता है कि महादेव सिमरिया का शिवलिंग देवघर वाले वैद्यनाथ धाम मंदिर का उपलिंग माना जाता है । प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मंदिर का निर्माण गिद्धौर राज के राजा पुरनमल सिंह के द्वारा 13वीं सदी में किया गया था। जमुई से सटे सिमुलतल्ला की प्राकृतिक सुंदरता, जमुई–मुंगेर के रास्ते का 'भीम बांध डैम', मुंगेर का 'बिहार स्कूल ऑफ योगा' देशी–विदेशी पर्यटकों एवं योग साधना का विश्व स्तरीय केंद्र है । मुंगेर के कर्ण का किला, बंगाल के नवाब मीरकासिम की गुफा, खौलते पानी का कुंड सीता कुंड, कष्टहरनी गंगा का घाट, आई टी सी आदि जगह पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह भागलपुर का सिल्क सेंटर नाथ नगर , बांका का मंदार हिल पर्वत, बेगूसराय का कावर झील जो पूरे बिहार में सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। यह पक्षीविहार भी काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, इसे पर्यटकों के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली को भी अगर संजीदगी से विकसित किया जाय तो बिहार आने वाले पर्यटक एक बार सिमरिया का दर्शन करने जरूर जाएंगे जिससे इलाके का विकास हो सकेगा। दिनकर जी की जन्म स्थली सिमरिया को तो राष्ट्रीय धरोहर मानकर विकसित करने की मांग बार – बार संसद में भी उठती रही है , लिहाजा इसे भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

बात पटना की करें तो यह बिहार की राजधानी के अलावा कई ऐतिहासिक विरासतों को अपने सीने में दबाए है। पटना सिटी जहां सिखों के दसवें गुरु गुरुगोविंद सिंह की जन्म स्थली है। यहाँ का 'तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा' सिखों के आस्था का केंद्र है। इसका निर्माण 1836 में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा स्थापत्य काल में कराया गया था हालांकि इसका निर्माण 1954 में पूर्ण हुआ था। सिख धर्मावलम्बी प्रति वर्ष लाखों की संख्या में यहाँ आकर मत्था टेकते हैं। इसी तरह मौर्य काल की अनंत यादों की समेटे पटना का 'कुम्हरार' ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ खुदाई में निकले पत्थर से बने मौर्य काल के 80 स्तम्भ युक्त विशाल कक्ष पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है ।

पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर ,संग्रहालय ,पटना से सटे 'मनेर शरीफ' का सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी के दरगाह में लाखों की संख्या में लोग अपनी मुरादें पूरी होने के लिए मन्नतें मांगने और चादर पोशी के लिए जाते हैं। छोटी पटनदेवी शक्तिपीठ की पूजा आदिकाल से ही होती आ रही है, यहाँ भी बड़े सच्चे भाव से लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। सम्राट अशोक की यादों से जुड़ा पटना सिटी का अगम कुआं जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी विकसित करने की आवश्यकता है । यहाँ भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं ।

भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के हीरो 1777 के प्रसिद्ध शासक भोज के वंशज रहे 'बाबू वीर कुँवर सिंह' भोजपुर जिले के 'जगदीशपुर' ग्राम के रहने वाले थे । उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता आंदोलन में मंगल पांडे का

साथ दिया और अपनी बिगड़ती सेहत के वावजूद 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लोहा लेने का माद्दा रखते थे और अंग्रेजों से लड़ने में संकोच नहीं किया । उनकी जन्म स्थली को भी राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए विकसित करने की आवश्यकता है तथा स्कूली बच्चों को पर्यटन के लिए ले जाया जा सकता है । इसी तरह सासाराम के शेरशाह का मकबरा, औरंगाबाद का 'देव' सूर्यमन्दिर धार्मिक आस्था से लेकर ऐतिहासिक यादों से जुड़ा है। कहा जाता है यहाँ भगवान सूर्य तीन स्वरूपों में विराजमान हैं । पूरे हिंदुस्तान में यही एक मंदिर है जो पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। यहाँ छठ के अवसर पर लाखों की संख्या में हिन्दू श्रद्धालु देव सूर्य मंदिर में छठ करने आते हैं । इस स्थल को भी राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

इसी तरह 'लिच्छवि गणराज्य' की राजधानी वैशाली जो भगवान बुद्ध की सबसे प्रिय जगह मानी जाती थी, इस नगर का प्राचीन नाम विशाला था जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है लोकतंत्र की पहली नींव यहीं रखी गयी यहाँ बज्जियों का संस्थागार था, जो उसका संसद सदन था। भगवान बुद्ध ने लिच्छवि की न्याय प्रणाली की खूब प्रशंसा की है, लिहाजा वैशाली को भी भगवान बुद्ध की यादों से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता है जहां देशी के साथ – साथ विदेशी पर्यटक आकर भगवान बुद्ध के उपदेशों को सीख कर बिहार की माटी की सुगंध ले सकें तथा हमारी सभ्यता और संस्कृति से अवगत हो सकें ।

सोनपुर का 'हरिहर क्षेत्र पशु मेला' पूरे विश्व में प्रसिद्ध है । यहाँ सभी तरह के पशु – पक्षी की खरीद बिक्री होती है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी – विदेशी पर्यटक हर वर्ष आते हैं । इस पशु मेला में मध्य एशिया से बड़ी संख्या में पशु कारोबारी भी आते हैं लिहाजा इसे टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है ताकि मेला के दिनों के बाद भी पर्यटक यहाँ आएं और इस इलाके की संस्कृति से रूबरु हो सकें। गोपालगंज के 'जीरादेई' जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ– राजेन्द्र प्रसाद की जन्म स्थली है, को भी विकसित किया जा सकता है ताकि राजेन्द्र बाबू से जुड़ी यादों को नजदीक से देखा जा सके । इसी तरह महात्मा गांधी का देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहले किसान आंदोलन की यादों से जुड़ी 1917 का चंपारण नील सत्याग्रह का स्थल 'भीतिहरवा आश्रम' को भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार जैसे विकासशील प्रदेश जहां पर्यटन की असीम संभावनाओं के बावजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था आप भी कृषि आधारित है। यहाँ पर्यटन को विकसित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता है एक ईमानदार पहल, दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति की । बिहार भी पर्यटन के मायने में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी की बराबरी कर सकता है, जरूरत है बिहार की धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक धरोहरों को संजो कर रखने की तथा उसे विकसित करने की । आवश्यकता है हमारी पुरातात्विक विरासतों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उसे इन्टरनेट, सोशल मीडिया, अखबार, मैगजीन, डाक्यूमेंट्री और टेली फिल्म तैयार कर बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देश – विदेश में पहुंचाने की ताकि पर्यटक बिहार की ओर अग्रसर हो सके ।

विजय कुमार
माननीय सदस्य, बि.वि.स.
169–शेखपुरा

राजनीति में युवाओं की भागीदारी

शिक्षित, समर्थ युवा राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रगति के वाहक हैं लेकिन आज के समय राजनीति में जातिवाद और सम्प्रदाय ने खास जगह ले ली है। राजनीति में वैसे युवा नेता आज नहीं है जो अपने होश और जोश से युवा वर्ग के मन में एक नई क्रांति का संचार कर सके।

इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि आजाद भारत में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के बाद से राजनीति में युवाओं की भागीदारी अस्त की ओर मुखर होती गई।

भारत आज युवाशक्ति के मामले में दुनिया में सबसे अधिक समृद्ध है, जो विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण दिशा दे सकती है। यह सपना तभी पूरा होगा जब देश, समाज एवं राजनीतिक दल युवाओं को प्राथमिकता देंगे। युवा विकास एजेंडा तय करने के लिए अपने आपको देश और राजनीति के लिए समृद्ध और समर्पित करेंगे। सी.एस.डी.एस.–लोकनीति द्वारा किये गये एक सर्वे में रोचक तथ्य सामने आये हैं। इस सर्वे के मुताबिक 46 प्रतिशत युवा राजनीति में किसी भी प्रकार की रूचि नहीं रखते जबकि देश के 75 प्रतिशत यानी तीन चौथाई युवा किसी भी चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं होते।

युवाओं की भागीदारी के बिना यथास्थिति में बदलाव की आशा बेमानी होगी। पिछले छः दशकों में जो भी देशव्यापी, सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन हुए हैं चाहे वह 1967 का भाषा आंदोलन हो, संपूर्ण क्रांति हो, असम का छात्र आंदोलन हो या एंटी करप्शन मुवमेंट हो, उसमें युवाओं की भागीदारी रही है। युवाओं को ट्रोल और भीड़ बनने के बजाय राजनीति का विकल्प बनना होगा। सृजन और निर्माण से जुड़ना होगा। राजनीति को युग धर्म मानते हुए जीवन पद्धति का हिस्सा बनाना होगा और उस मार्ग पर चलना होगा। उन्हें अपने कंधों पर राष्ट्र–राज्य के संचालन की जिम्मेवारी लेनी होगी। युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना आज की जरूरत है।

युवाओं में ऊर्जा का भंडार है। उनके अंदर इच्छाशक्ति होती है। मेरा मानना है कि युवाओं को राजनीति में भाग्य आजमाने की जरूरत है।

युसुफ सलाहउद्दीन
माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा
76–सिमरी बख्तियारपुर

बिहार में औद्योगिकीकरण की प्राख्यिति एवं संभावनाएं

अतुल्य बिहार

प्राचीन काल से ही बिहार ने लोकतंत्र, शिक्षा, राजनीति, धर्म एवं ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को मार्गदर्शन देने का कार्य किया है। लोकतंत्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लिच्छवी गणतंत्र और शिक्षा जगत में नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के भग्नावशेष आज भी शिक्षा एवं ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में अपने स्वरूप की कहानी कहते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अशोक, शेरशाह, चाणक्य, बाबू कुंवर सिंह, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. श्रीकृष्ण सिंह आदि का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। राष्ट्रपिता गाँधी ने भी बिहार के पश्चिम चम्पारण को अपनी कर्मभूमि बनाया था तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी इसी धरती से सम्पूर्ण क्रांति का आगाज किया था। धर्म के क्षेत्र में भी भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान की मशाल से देश ही नहीं, विश्व का कोना–कोना रोशन हो रहा है।

औद्योगिकीकरण

औद्योगिकीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक अधिक सरल, अधिक उत्पादक तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। यह बड़े–बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योग–धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने की मशीनों की व्यवस्था है। आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना, मनुष्यों के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भरता और कम से कम मेहनत में जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है। इसके माध्यम से मनुष्यों की मशीन पर निर्भरता बढ़ती है और प्रकृति पर मनुष्यों के नियंत्रण में वृद्धि होती है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कल–कारखानों तक ही सीमित रहती है बल्कि यह मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मशीनों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाती है।

बिहार में औद्योगिकीकरण

बिहार के पास भरपूर मानव संसाधन है लेकिन मानव संसाधन का विकास वैसा नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी मजदूरी करने के लिए अभिशप्त होती है। उसे अपना राज्य छोड़कर बाहर प्रवासी मजदूर बनना पड़ता है। वस्तुतः बिहार में औद्योगिकीकरण की स्थिति बहुत बुरी है। ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकतर उद्योग धंधों का संकेन्द्रण पश्चिमी भारत में हुआ। मुंबई और अहमदाबाद वस्त्र उद्योग के रूप में विकसित हुए जिसमें अंग्रेजों ने बिहार के मजदूरों को खपाया और यही हाल आजादी के बाद भी हुआ। बिहार और भारत के पूर्वी इलाके जो खनिज संसाधन के लिहाज से संपन्न थे, वह सरकारी नीतियों के कारण पिछड़ते गए। बिहार विधान सभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पूंजी की कमी और कच्चे माल की गैर मौजूदगी ने बिहार में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को हमेशा पीछे रखा। सड़क ,संचार जाल और साथ में बिजली की कमी ने बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिये माहौल बनने नहीं दिया। बिहार के विभाजन के बाद बिहार में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया और भी धीमी हो गई क्योंकि उद्योगों का मुख्य केन्द्र छोटा नागपुर के पठार के इलाकों में था जो झारखंड में चला गया।

राज्य के मात्र 3.58 लाख लोग ही उद्योग–धंधों से जुड़े हुए हैं। देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले इस प्रांत में आँकड़े बताते हैं कि यहाँ 43,015 उद्योग–धंधे हैं जिनमें 6,938 करोड़ की स्थाई पूँजी लगी हुई है। राष्ट्रीय अनुपात में बिहार में सवा तीन प्रतिशत औद्योगिक इकाइयाँ हैं तथा उत्पादन महज 5.4 प्रतिशत है जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन

21.2 प्रतिशत तथा तमिलनाडु और गुजरात में 11 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, यहाँ बरौनी तेलशोधक कारखाना और सिंदरी, बरौनी तथा अमझोर खाद कारखाना, बंजारी, जमशेदपुर, सिंदरी तथा चाईबासा के सीमेंट कारखाने, निजी क्षेत्र में 13 चीनी मिल तथा सार्वजनिक क्षेत्र की 15 चीनी मिलें, सहकारिता क्षेत्र में बनमनखी में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल, कटिहार जूट मिल, समस्तीपुर तथा दरभंगा में पेपर मिल, मुजफ्फरपुर, मोकामा में सूता मिल, बोकारो स्टील प्लांट आदि मिलों की स्थापना का शुभारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। उसके बाद से उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में आई.डी.पी.एल. को छोड़कर किसी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकी है बल्कि पूर्व स्थापित इकाइयों में आधी से अधिक चीनी मिल बंद हैं, डालमिया नगर उद्योग समूह, बरौनी खाद कारखाना, आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर, अशोक पेपर मिल, दरभंगा, ठाकुर पेपर मिल, समस्तीपुर सहित अन्य कई कारखाने बंद पड़े हुए हैं।

मौजूदा समय में खाद्यान, तंबाकू, चमड़े, चीनी, दूध, रेशम से जुड़े उत्पाद बिहार में मौजूद हैं जिन्हें विकसित कर औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

उदारीकरण के पश्चात की स्थिति

उदारीकरण के दौर में बिहार में विदेशी निवेश के भी प्रयास किए गए। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में 5,431 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल में 2,926 करोड़ रुपये, दिल्ली में 2,426 करोड़ रुपये और गुजरात में 1,474 करोड़ रुपये का निवेश हुआ परन्तु बिहार में मात्र 71 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग औद्योगिकीकरण का महत्त्वपूर्ण सूचकांक है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार में जहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 61 किलोवाट आवर विद्युत का उपयोग किया जाता है वहीं पंजाब में 863 किलोवाट आवर यानी 14 गुना अधिक विद्युत का उपयोग होता है और राष्ट्रीय औसत 330 किलोवाट आवर है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में खेतिहर श्रमिक दूसरे प्रांतों में रोजगार की खोज में जाते हैं।

उद्योग से संबंधित बिहार के आँकड़े

- बिहार के कुल जीडीपी में उद्योगों का योगदान तकरीबन 20 फीसदी के आसपास है। यह भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। यह झारखंड (37%) छत्तीसगढ़ (48%) और उड़ीसा (42%) से भी कम है। भारत के कुल जीडीपी में उद्योगों के तकरीबन 31% के योगदान से तकरीबन 11% कम है।
- साल 2016–17 में भारत के कुल जीडीपी में बिहार के उद्योगों का योगदान केवल 0.5% था। उसके बाद से यह और कम हुआ और अब 0.3% के आसपास पहुंच गया है।
- बिहार के एक कारखाने में औसतन 40 लोग काम करते हैं। जबकि पूरे देश का औसत निकाला जाए तो एक कारखाने में तकरीबन 77 लोग काम करते हैं। इस तरह से बिहार की स्थिति इस मामले में आधी बैठती है। अगर बिहार की तुलना हरियाणा से की जाए, जहां एक कारखाने में औसतन 120 लोग काम करते हैं तो बिहार की स्थिति एक तिहाई के आसपास होगी।
- बिहार में 1528 औद्योगिक इकाइयों में से केवल 236 मध्यम या बड़ी इकाइयां हैं। जिलों में मध्यम या बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं। 11 जिले तो ऐसे हैं जिनमें औद्योगिक इकाइयों की संख्या 5 भी नहीं पार कर पाती है।

उद्योगहित में सकारात्मक नीतियों का निर्माण और योजनाओं का कार्यान्वयन

आजादी के शुरुआती वर्षों को छोड़ शेष अवधि में बिहार में कृषि, सिंचाई, विद्युत तथा औद्योगिक विकास के लिए नगण्य काम हुए। न उत्पादन बढ़ा, न पूँजी संचय हुआ, न पूँजी निर्माण हुआ और न ही प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी। इस दौरान राजस्व तथा राज्य की आय घटी। राजकाज पर खर्च बढ़ा। स्वाभाविक है कि राज्य दरिद्र होता गया। कर्ज लेकर राज्य की व्यवस्था चलती रही। बिहार की केन्द्र सरकार द्वारा भी उपेक्षा होती रही है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना की स्थापना, कृषि के विकास हेतु सिंचाई तथा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए। निवेश तथा सहायता के पक्षपातपूर्ण बँटवारे के कारण भी बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा।

सुझाव

- पहली तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही प्रारम्भ की गई भू–सुधार और चकबन्दी की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए ।
- बेरोजगारी निवारण हेतु लघु तथा कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाए ।
- जनसंख्या नियन्त्रण को प्रमुखता दी जाए ।
- नदी जल उपयोग का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए ।
- अशिक्षा उन्मूलन के साथ आम नागरिकों को शांति एवं सुरक्षा प्रदान की जाए।
- राज्य सरकार मजबूती से केन्द्र से अपना हक प्राप्त करे।
- केन्द्र सरकार से भी संसाधन वितरण के लक्ष्य में जनसंख्या तथा पिछड़ेपन को संसाधन आवंटन का आधार बनाए जाने हेतु पहल की जाय ।
- बिहार को मूल्य–आधारित खनिज की रॉयल्टी देने के साथ–साथ दूसरे राज्यों में स्थित कार्यालयों को बिहार वापस लाया जाए।
- राज्य में स्थित बैंकों द्वारा उद्योग प्रारंभ करने के इच्छुक लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है यहां तक कि साख जमा अनुपात का जो स्थापित फार्मूला है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। बैंकों पर दबाव देने की आवश्यकता है ।

बिहार के आंतरिक संसाधनों को गतिमान करने के लिए आधारभूत संरचना, विद्युत, सिंचाई, परिवहन, यातायात की जिम्मेदारी केन्द्र स्वयं ले ऐसी पहल की जानी चाहिये।

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विदेशी बिनिवेश का रुख बिहार की ओर मोड़ा जाए जिससे प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने के साथ पूँजी संचय एवं पूँजी निर्माण बढ़े जिससे बिहार भी खुशहाल बनकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सके।

बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार द्वारा किए गए नीतिमूलक निर्णय के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हुई है । औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया गया है। सभी प्रकार के क्लीयरेंस, अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि के लिए ऑनलाइन क्लीयरेंस पोर्टल की व्यवस्था की गई है। उद्योग की स्थापना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं परामर्श विभाग के अधीन कार्यरत उद्योग मित्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवा युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित, जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना विभाग द्वारा लागू की गई है। हस्तकरघा एवं रेशम बुनकरों के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन प्रशिक्षण और विपणन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की व्यवस्था की गई है। खादी के समग्र विकास हेतु बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कतिन बुनकर के रोजगार सृजन हेतु संस्था समिति को चरखा एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। उनके उत्पादित वस्तुओं की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु खादी का शुभारंभ किया गया है।

राज्य में औद्योगिक निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 सितंबर 2016 से लागू है । इसके तहत निवेशकों द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर 30 दिनों के भीतर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा स्वीकृति निर्गत किए जाने का प्रावधान है। नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु यंत्र विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेक्सटाइल प्रक्षेत्र, प्लास्टिक प्रक्षेत्र, ऊर्जा प्रक्षेत्र, हेल्थकेयर प्रक्षेत्र, चमड़ा प्रक्षेत्र एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है। इस नीति के तहत स्टांप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क 20 करोड़ तक ब्याज अनुदान तथा कर अनुदान देय है। निश्चित ही इन सुधारों के उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे।

इसी प्रकार सम्पूर्ण मिथिलांचल बहुविपदा प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि, लू, शीतलहर, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं से जूझता रहता है। ये अर्जित विकास को भी प्रतिवर्ष पीछे धकेल देते हैं जिससे मानव विकास सूचकांक पीछे लुढ़क जाता है। खासकर भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित मधुबनी जिला तो प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ आपदा के कारण आधारभूत संस्थागत एवं मानवीय विकास सूचकांक में पीछे चला जाता है। यह राज्य एवं राष्ट्रीय क्षति है। मधुबनी जैसे बहु आपदा पीड़ित एवं पिछड़े जिला को विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, यथा–

1. समेकित जल संसाधन प्रबंधन, 2. आवश्यकता आधारित योजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं समुचित संसाधन उपयोगिता, 3. तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा का प्रारंभ, 4. जिला में मौजूद बंद पड़े रैयाम, लोहट एवं सकरी चीनी मिलों को चालू करना, 5. एथेनॉल की फैक्ट्री की स्थापना, बुनकर विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, 6. रामायण सर्किट के कारण बढ़ते शहरीकरण की स्थिति में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम, 7. मिथिला संस्कृति, ज्ञान एवं मीमांसा की भूमि है। इसे बढ़ावा देने हेतु मधुबनी में मिथिला पेंटिंग विश्वविद्यालय की स्थापना, दर्शन और मीमांसा की भूमि अंधराठाढ़ी में महान दार्शनिक वाचस्पति मिश्र के नाम पर दर्शन विश्वविद्यालय, तीन–तीन वेदों की रचना–स्थली मिथिला के मधुबनी में हिन्दू धर्म विश्व विद्यालय, जल संसाधन शोध केंद्र इत्यादि की स्थापना, 8. स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाकर उसमें टैक्स होलीडे का लाभ दिलाने हेतु केन्द्र से पहल किया जाना, 9. दरभंगा हवाई अड्डा पर आयात–निर्यात सुविधा मुहैया करवाया जाना, 10. मधुबनी जिला में पर्यटन के दृष्टिकोण से चिन्हित 58 जगहों को विकसित करना, 11. खादी मॉल की स्थापना।

समीर कुमार महासेठ
माननीय सदस्य, बि.वि.स.
36–मधुबनी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता"

जहां नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं।

हमारे शास्त्रों और ग्रंथो में नारियों को आदरणीय स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में नारी को माता के रूप में परम पूजनीय स्थान हासिल था जिसका पालन देश के लगभग हर धर्म में हुआ। तत्पश्चात समय के बदलते रूप के साथ–साथ नारी के अस्तित्व में भी परिवर्तन होने लगा और एक वक्त ऐसा आ गया जब नारी को अपनी प्रतिष्ठा गवां कर बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन निर्वाह करना पड़ा। लेकिन भारतीय नारी शुरुआत से ही विपरीत परिस्थितियों से जूझना जानती थी, जिसने समाज की प्रताड़ना को अपने सामर्थ्य का आधार बना लिया और अपने साथ–साथ अपने देश व समाज के गौरव की रक्षा का स्रोत बन गयी। रानी पद्मिनी व कर्णवती के जौहर और अनेक महिलाओं के बलिदान से भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया तथा रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय साहस ने भारतीय नारी की निर्जीव प्रतिष्ठा को पूर्ण सजीव कर दिया। लेकिन बदलते हालातों में नारी के प्रति होते मानसिक व शारीरिक अत्याचारों, दुराचारों और दुष्कर्मों को देख कर आज डर इस बात का लगता है कि भारतीय नारी का स्वर्णिम इतिहास कहीं केवल किताबों तक ही सीमित न रह जाये।

भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ पुरुष प्रधान देश भी रहा है। भारतीय समाज में महिलाओं ने बेशक पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी को पुरुषों के समरूप निभाया है, लेकिन उन्हें आज समाज में वो प्रतिष्ठित स्थान हासिल नहीं है जिसकी वे हकदार हैं। दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के चलते परिवार में पैदा होने वाली लड़कियों को बोझ समझा जाता है। परिवार पर आर्थिक बोझ समझी जाने वाली इन बालिकाओं को पहले तो जन्म लेते ही मार दिया जाता था पर जैसे–जैसे विज्ञान ने उन्नति की, उन्हें अंततः गर्भ में ही मार देना शुरू कर दिया गया। कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय विचारधारा के अनुसार पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है जबकि लड़कियाँ केवल उपभोक्ता के रुप में ही परिवार का अवांछित सदस्य होती हैं। समाज में ये गलतफहमी है कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं जबकि लड़कियाँ पराया धन होती हैं। आज स्थिति ये है कि भारत का लिंग अनुपात संसार में सबसे बुरे स्तर पर दिखाई देता है।

एक अनुमान के अनुसार पांच वर्ष पूर्व के तीन दशकों में भारत में करीब डेढ़ करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार डाला गया या फिर पैदाइश के बाद 6 वर्षों के अंदर ही उनको मौत के मुँह में धकेल दिया गया। दिल्ली की एक महिला दो लड़कियों की माँ बनने के बाद जब तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसने भ्रूण परीक्षण कराया। ये पता लगने पर कि उसके भ्रूण में फिर एक कन्या पल रही है, उसने गर्भपात करा लिया। परिवार के दबाव में भ्रूण हत्या की यह प्रक्रिया उसने इस उम्मीद के साथ आठ बार दोहराई कि वो एक बेटे की माँ बन सके। अफसोस की बात ये है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में इंसानियत के दर्दनाक घात की ऐसी बेशुमार घटनाएं सुनी जा सकती हैं।

दिलचस्प बात ये है कि पहले तो कन्या भ्रूण हत्या पिछड़े और अशिक्षित समाज में प्रचलित प्रथा थी, लेकिन अब कन्या को जन्म से पहले मारने की प्रथा धीरे–धीरे उन जगहों पर भी प्रचलित हो रही है जो अब तक इससे बचे हुए थे। अरब जातियों में लड़कियों को जिंदा दफन करने की प्रथा असभ्य काल में प्रचलित थी लेकिन भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा उन क्षेत्रों में उभरी है जहाँ शिक्षा, खासकर महिलाओं की शिक्षा काफी उच्च दर पर है और लोगों का आर्थिक स्तर भी अच्छा है। वर्ष 1994 में सरकार ने एक क़ानून पारित कर भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था

लेकिन इस क़ानून पर अमल अब तक ना के बराबर ही हुआ है।

गैर–सरकारी संगठनों ने – महिला उत्थान अध्ययन केंद्र और सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च ने एक संयुक्त प्रकाशन में चेतावनी दी थी कि यदि महिलाओं की संख्या यूँ ही घटती रही तो समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक घटनाऐं बढ़ जाएंगी। नतीजा हमारे सामने है, दिल्ली के निर्भया रेप केस तथा जम्मू के कठुआ रेप केस के अलावा ऐसी हजारों घटनाएं, जिन के बारे में हमें पता भी नहीं चलता, प्रतिदिन इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। दुःख और हैरत की बात यह है कि जितनी तीव्रता से हमारा देश और समाज विकसित हो रहा है, उतनी ही तीव्रता से महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ती जा रही है। इस विकराल समस्या के पीछे संभावित कारण न केवल बालिकाओं, बल्कि समूचे समाज की शिक्षा का अभाव है।

भारत में लड़कियों की संख्या तेजी से घटने का एक ख़ास कारण यह भी माना जाता है कि भारत सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अभियान में ख़ामियाँ रही हैं जिनके चलते कुछ नीतियों में कुछ जबरदस्ती के पहलू भी शामिल किये गए। यहां तक कि कुछ राज्यों में तो सरकार ने दो से अधिक बच्चे रखने वाले माता–पिता को कुछ अधिकारों से वंचित करने की नीति भी अपनाई। मिसाल के तौर पर तीन बच्चों की माँ को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो उसे प्रसव के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा, तीसरे बच्चे को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाऐं प्रदान नहीं की जाएंगी आदि। बेशक इन नीतियों से महिलाओं को शारीरिक व मानसिक समस्याओं से बचाया जा सकता है, लेकिन ये भी संभव है कि दो बच्चों में से एक बेटा होने की चाहत में लोग दूसरी बार लड़की के गर्भ धारण पर अवश्य ही गैरकानूनी ढंग से गर्भपात करवाएंगे। इस लिए सरकार को केवल जनसंख्या नियंत्रण प्रक्रिया पर ही नहीं बल्कि समाज में महिलाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा।

बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा देश में लगातार घटती कन्या शिशु–दर को संतुलित करने के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की गयी जिसका अर्थ है "कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो"। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है।

हम सब जानते हैं कि बालिकाओं के साथ शोषण होने के पीछे मुख्य कारण अशिक्षा है, लेकिन शिक्षा अपने आप में महिला उत्थान का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि महिला का उत्थान शिक्षा के उत्तम स्तर पर निर्भर करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें समाज में शिक्षा के स्तर को उठाने के प्रयास करने होंगे, जिनसे महिलाओं के सम्मानजनक अस्तित्व के प्रति एक सामाजिक क्रांति लायी जा सके। अगर हम पढ़े–लिखे शिक्षित होते हैं तो हमें सही–गलत का ज्ञान होता है। शिक्षित लोगों के साथ कुछ भी गलत करना आसान नहीं होता। लड़की पढ़ी–लिखी होगी तो न वो अपने साथ कुछ गलत होने देगी और न ही किसी और के साथ होते देखेगी। जब बेटियां अपने पैर पर खड़ी होंगी तो कोई भी उन्हें बोझ नहीं समझेगा। इसीलिए लड़की का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है।

हमें इस बात पर भी सहमत होना पड़ेगा कि महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक रुझान को ख़त्म करने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। अगर तर्क के आधार पर पश्चिमी देशों के समाज का अध्ययन करें तो ये बात समझ आएगी कि जहाँ–जहाँ पर महिलाओं की श्रम में भागीदारी अधिक रही है वहाँ यह समस्या कम दिखाई देती है। इसलिए लड़की को अवांछित बनाने वाले सामाजिक परिवेश को ही हमें बदलना होगा। लेकिन भारतीय सन्दर्भ में स्त्रियों को श्रम भागीदार बनाना ही काफी नहीं, बल्कि उनके कार्य करने के स्थान पर उनकी भौतिक सुरक्षा का इंतजाम करना भी जरूरी है, क्योंकि क़ानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है। इसलिए बालिकाओं को शिक्षित व आत्मरक्षा में प्रशिक्षित करना बेहद आवश्यक है।

कहते हैं कि जब एक बालक को पढ़ाया जाता है तो केवल एक इंसान ही शिक्षित होता है जबकि एक बालिका

को पढ़ाने से पूरी पीढ़ी साक्षर होती है। साक्षर मां ही अपने बच्चे का चरित्र–निर्माण करती है। अतः वह जन्म–दाता ही नहीं, चरित्र निर्माता भी है, क्योंकि उसके अनेक किरदार हैं। एक लड़की जन्म लेकर सर्वप्रथम बेटी बनती है जो अपने मां–बाप के लिए हर संकट में ढाल बनकर खड़ी रहती है, बहन बनकर भाई का सहयोग करती है, तो पत्नी बनकर अपने पति और ससुराल का हर सुख–दुःख में साथ देती है और वही बेटी, मां बनकर अपने बच्चों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। अपने बच्चों में संस्कार का बीजारोपण करती है। सही माने समझें तो स्त्री सभ्य समाज का आधार है।

पिछले तीन दशकों में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव गिरते लिंगानुपात और विवाह योग्य लड़कों के लिए वधुओं की कमी के रूप में सामने आये हैं। इसके अलावा जनसंख्या विज्ञानी आगाह करते हैं कि अगले बीस सालों में चूँकि विवाह योग्य महिलाओं की संख्या में कमी आएगी इसलिए पुरुष कम उम्र की महिलाओं से विवाह करेंगे जिससे जन्मदर में वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भी ऊँची हो जाएगी। दूसरी ओर अविवाहित पुरुषों की अधिक तादाद वाले समाज के अपने खतरे हैं। यौनकर्मी के तौर पर अधिक महिलाओं का शोषण होने की सम्भावना है। यौन शोषण और बलात्कार इसके स्वाभाविक परिणाम हैं। पिछले कुछ सालों से यौन अपराधों का तेजी से बढ़ता ग्राफ असमान लिंगानुपात के परिणामों से जुड़ा है। इसलिए भारतीय समाज को आज गिरते लिंग अनुपात को सँभालने की जरूरत है और इसमें राज्य, मीडिया, पत्रकारों, गैर–सरकारी संगठनों, चिकित्सकों, महिला संगठनों और जनता को साथ खड़े होने की आवश्यकता है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कन्या भ्रूण हत्या विरोधी कानून पूरे तरीके से और कारगर ढंग से लागू हो पाएं।

भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की गंभीर स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। कानून के साथ–साथ मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे वास्तविकता में बेटियों को बराबरी का हक दिया जा सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केवल कानून बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हमें मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू कर महिला अधिकारों को मजबूती देनी होगी। हमें अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालना होगा और उन्हें समान रूप से सफल बनाना होगा ।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' केवल एक योजना या अभियान नहीं है, बल्कि यह लोगों की सोच से जुड़ा एक सामाजिक विषय है। ईश्वर के बाद केवल महिलाओं के पास सृजन की क्षमता है। जरा सोचिए वो समाज कैसा होगा, जहां महिलाएं न हों। केवल कल्पना करने की जरूरत है, तस्वीर खुद–ब–खुद साफ हो जायेगी। ऐसा कोई काम नहीं, जो लड़कियां नहीं कर सकतीं। वो भी देश की प्रगति में समान रुप से भागीदार हैं। इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक ऐसे लाखों नाम हैं, जिन्होने देश का नाम रौशन किया है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्त आदि के नामों से हमारा इतिहास उज्ज्वल है। विश्व की प्रख्यात महिलाओं में सावित्री जिन्दल, इन्दू जैन, किरण मजूमदार, शोभना इन्द्रा नूई, शिखा शर्मा, चंदा कोचर आदि ने विश्व पटल पर भारत का नाम रौशन किया है। इन महिलाओं ने पुरुषों से अधिक ख्याति प्राप्त कर इस बात को साबित कर दिया है कि महिला को केवल एक अवसर देने कि आवश्यकता है, उसे हर अवसर को अंजाम तक पहुंचाना बखूबी आता है ।

शशि लखनपाल मिश्रा
सचिव
पंजाब विधान सभा

नशाबंदी

नशा की प्रवृत्ति परिवार, समाज, राज्य के लिए अच्छी नहीं होती है। यह व्यक्ति के शरीर को दीमक की तरह खोखला कर देता है। समाज में नशे का आकर्षण और उसकी सामाजिक स्वीकार्यता विगत कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में युवा अधिकांशतः विद्यालयों में या बाहर अपने साथियों से नशाखोरी सीखते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है जो राष्ट्र के भविष्य हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में बढ़ती नशाखोरी के कारण ऐसे लोगों को सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन की जरुरत है। भारत में 34 लाख से अधिक नशाखोरी से पीड़ित लोग हैं एवं 1.1 करोड़ लोग शराब की लत में डूबे हैं। इसके दुष्परिणाम से उसके साथ, समूचा परिवार अभिशप्त है। वर्तमान में आर्थिक संवृद्धि और संसाधन बढ़ने के साथ भारत में परम्परागत नशीले पदार्थों के साथ रासायनिक और संश्लेषित नशीली दवाओं के इस्तेमाल में तेज वृद्धि देखी जा रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी नशामुक्ति का आन्दोलन चलाया था और कहा था कि " शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है "। शराब का सेवन महाभारत काल में भी मिलता है। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व से किया जाता रहा है। समाज में नशे के प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों में शराब, भांग, गांजा, कोकीन, अफीम, हेरोइन, तम्बाकू आदि हैं, जिसके सेवन से मनुष्य ऊर्जाविहीन, चरित्रहीन, शारीरिक शिथिलता, मानसिक विकलांगता से ग्रसित हो जाता है।

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ 272 जिलों के लिए 'नशा मुक्त भारत ' अभियान की शुरुआत की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों से सम्बंधित अनुच्छेद 47 में मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों को प्रतिबन्धित करने का प्रयास करने को कहा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है कि राज्य पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो शराबबंदी कानून लागू कर सकता है।

लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भारत में गुजरात, बिहार, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू किया गया है। हरियाणा ने भी वर्ष 1996 में शराबबंदी का प्रयोग किया था लेकिन 1998 में इसे हटा दिया गया। इसका मुख्य कारण है विकसित एवं अविकसित राज्यों के राजस्व के बड़े हिस्से की प्राप्ति इन्हीं मदों से होती है। शराबबंदी कानून लागू होने से राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्यों को सफल रूप से कारगर बनाने में धन की कमी होने लगी। जिसके पश्चात् शराबबंदी कानून को अन्य राज्यों ने वापस ले लिया।

इसी सन्दर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुये 1 अप्रैल, 2016 को बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के शराबों की बिक्री पर पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह कदम काफी सराहनीय है। शराब के कारण सैकड़ों परिवार बर्बाद हो रहे थे। शराबियों के आतंक से महिलाएं घर और बाहर आतंकित रहती थीं। गरीब परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। लिहाजा, सरकार के इस फैसले की सबसे ज्यादा तारीफ महिलाएं ही कर रही हैं। इसका विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया।

1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने शराब पर पाबन्दी लगाई थी। लेकिन शराब की कालाबाजारी और कई अन्य परेशानियों की वजह से यह पाबन्दी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। बिहार में नई उत्पाद नीति से शराब कारोबार में व्यापक परिवर्तन के बाद सरकार के राजस्व में भी ऐतेहासिक वृद्धि देखने को मिली जो क्रमशः वर्ष 2005–06 में 295 करोड़, 2014–15 में 3220 करोड़, 2015–16 में 4000 करोड़ राजस्व पहुँच गया। पूर्ण शराबबंदी के समय

तक राज्य में 5967 स्वीकृत शराब की दुकाने थीं।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस ऐतिहासिक कदम को कई अर्थशास्त्रियों, राजनेताओं, लोकसेवकों एवं अन्य पढ़े–लिखे मध्यमवर्गीय व्यक्तियों ने विरोध किया। अर्थशास्त्रियों एवं अन्य बड़े राजनेताओं के अनुसार पूर्ण शराबबंदी से राजस्व संग्रह में भारी कमी आ जाएगी। जिससे राज्य के विकास में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। पढ़े–लिखे मध्यमवर्गीय, बड़े व्यापारीवर्ग, शराब कारोबारी जो खुद नहीं पीते हैं, उनके अनुसार शराब की कालाबाजारी बढ़ जाएगी, अन्य परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। शराब पीना या न पीना हमारा मौलिक अधिकार है आदि बातें सुनने को मिलती थीं।

सरकार ने शराबबंदी के सफल कार्यान्वयन हेतु दो मोर्चे पर लड़ाई प्रारंभ की। पहला नीतिगत फैसले लेकर और दूसरा सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर। नीतिगत निर्णय लेते हुये सरकार ने शराब के आदी लोगों को शराब की लत छुड़ाने के लिए नशामुक्ति केंद्र खोले हैं। साथ हीं चिकित्सा और परामर्श की भी व्यवस्था की है। अवैध शराब कारोबारियों एवं शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हेतु बिहार में मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। तत्पश्चात् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया है, जिसमें आर्थिक दंड के साथ करावास का प्रावधान है। उत्पाद विभाग द्वारा शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। शराबबंदी को सफल बनाने हेतु सभी जिलों में कन्ट्रोल रूम खोले गए हैं। इसके उलंघन करने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

कानूनी सख्ती के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत शराब की बुराइयों से अवगत कराने एवं इसके विरुद्ध जन चेतना जागृत करने के लिए गाँव से मुख्यालयों द्वारा सरकारी और गैर–सरकारी तंत्र के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मद्यनिषेध के प्रचार–प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित कराये जा रहे हैं। साथ ही साथ विज्ञापन, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी के इस ऐतिहासिक कदम उठाने के लगभग साढ़े पांच सालों में अकल्पनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की इस ऐतिहासिक घोषणा को सफल बनाने के लिए अलग–अलग प्रक्रियाएँ, माननीय मुख्यमंत्री की अपील, साक्षरता कर्मियों द्वारा नारा लेखन, विद्यालयी बच्चों के अभिभावक द्वारा संकल्प पत्र हस्ताक्षर एवं कला जत्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां अपनाई गईं। एक चुनौती एवं विविधता पूर्ण अभियान के संचालन में राज्य स्तर से एक बहुत ही समझ वाली टीम ने अभियान को सफल बनाने वाली सकारात्मक एवं नकारात्मक बातों का ध्यान रखते हुए छोटे–छोटे बिन्दुओ पर गौर किया एवं इसे अंजाम तक पहुँचाया।

पुलिस मुख्यालय द्वारा अपराध के वर्षवार आंकड़े

वर्ष	बलात्कार	छेड़खानी	घरेलू हिंसा	दहेज उत्पीडन	दहेज हत्या
2017	1199	1814	4021	4873	1081
2018	1475	501	3958	3387	1107
2019	1450	486	4723	3556	1120
2020	1438	905	3946	2686	1045
2021	1274	457	2207	2967	828

शराबबंदी के साढ़े पांच सालों के उपरांत इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा में कमी आयी है। महिलाओं के प्रति हिंसा का आँकड़ा वर्ष 2016 में जो 54 प्रतिशत था अब मात्र 5 प्रतिशत की शिकायत मिल रही है। खाद्य पदार्थों का सेवन 30 प्रतिशत बढ़ गया है। शराब पर प्रतिबंध से पैसों की बचत होती है, उसे हरी सब्जी, दूध, मछली, मीट, ट्यूशन, अच्छे कपड़ों पर खर्च किया जा रहा है।

भोजन पर जो पहले 1005 रू० साप्ताहिक खर्च था अब 1331 रू० हो गया है। लोग नई सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं और मकानों की मरम्मति करा रहे हैं। महिलाएँ परिवार और समाज के कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा पर साप्ताहिक व्यय 364 रू0 से बढ़कर 612 रू0 हो गया। आपराधिक घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े और

दलित समुदाय में स्पष्ट देखने को मिलता है। शराब सेवन के चलते पहले समाज में क्या हालत थी, इनकी अपनी गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद कर देते थे, घर का माहौल तनावपूर्ण रहता था। महिलाओं और बच्चों की स्थिति घर में काफी खराब थी।

वर्त्तमान समय में शराब की कालाबाजारी, घर में ही बनी नकली शराब, जिसके सेवन से कितने लोग अंधेपन एवं मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। इसपर सरकार काफी गंभीर है। इसके लिए इस व्यवसाय में जो अभी भी संलिप्त हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश प्राप्त है। आशा है कि आने वाले समय में बिहार की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक विकास में भी भारत के अन्य राज्यों के साथ प्रथम पंक्ति में बिहार का भी नाम दर्ज होगा।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की मौजूदगी में बिहार विधान सभा के शताब्दी समारोह पर पांच सामाजिक अभिशाप मुक्त अभियान की घोषणा की गई जिसमें 'हमारा परिवार और समाज नशामुक्त हो'। बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस अभियान की शुरुआत देशरत्न डॉ० राजेंद्र प्रसाद के गृह जिला सिवान से की। इसी प्रकार इस अभियान को राज्य के प्रत्येक जिले तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया है, जो राज्य के सामाजिक विकास के लिए सराहनीय कदम है।

इस अल्पावधि अभियान के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अभियान खड़ा करना आसान होता है। अभियान खड़े भी कर दिए जाते है एवं अभियान सफलतापूर्वक संम्पन्न भी हो जाता है, लेकिन अभियान को खड़ा करने, अभियान के संचालन के पीछे की कहानी बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। इतने बड़े राज्यव्यापी अभियान को सफल बनाने में विभिन्न स्तरों पर साक्षरता कर्मी , विभागीय पदाधिकारियों की एक टीम अनवरत प्रयास करती रहती है, तभी अभियान का सफल संचालन हो पाता है। स्वाभाविक है कि ऐसे अभियान के संचालन में दिक्कतें आती हैं, अवरोध भी आते हैं, आनंद भी आता है और साथ ही सीख भी मिलती है।

मनीष कुमार
बिहार विधान सभा

भारतीय संसदीय प्रणाली

परिचय–भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनुपम संविधान है । भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं, जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक पहचान प्रदान करते हैं । भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का अद्‌भुत सम्मिश्रण है। हमारा संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति नम्य है और न ही अमरीकी संविधान की भांति अत्यधिक अनम्य है ।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण से पूर्व विश्व के प्रमुख संविधानों का विश्लेषण किया और उनकी अच्छाइयों को संविधान में समाविष्ट किया । भारतीय संविधान पर विश्व के कई देशों के संविधान का प्रभाव है । जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, आयरलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि।

परंतु भारतीय संविधान जिस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है वो है ब्रिटिश संविधान और प्रभावित होना भी स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय जनता को लगभग दौ सौ वर्षों तक ब्रिटिश प्रणाली के अनुभवों से गुजरना पड़ा।

ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण और एकल नागरिकता को संविधान में समाविष्ट किया गया है ।

भूमिका–संसदीय प्रणाली लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता, विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है । इस प्रणाली में राष्ट्र का मुखिया (राष्ट्रपति) तथा सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) अलग–अलग व्यक्ति होते हैं ।

भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ और न ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था 'संप्रभु संविधान सभा' ने संविधान का निर्माण किया है, जिसकी प्रस्तावना ने हमारी आगे की दिशा तय की । संविधान सभा में काफी सोच–विचार और बहस के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था चुनी गई ।

केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है।

संविधान के अनुच्छेछ 74 और 75 के अन्तर्गत केन्द्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अन्तर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है ।

- संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है ।
- इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक–दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं । इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग–अलग व्यक्ति होते हैं ।
- संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश का शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है ।

संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ :–

- बहुमत प्राप्त दल का शासन–संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में एक है बहुमत प्राप्त दल का शासन अर्थात् लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है । भारत में राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं । राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं तथा शेष मंत्रियों की नियुक्ति राश्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं ।

हम जानते हैं कि बहुमत उन्हीं को प्राप्त होता है

जिनको जनता पसंद करती हैं, अपनी इच्छा से चुनती है अर्थात् हम कह सकते हैं संसदीय शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन है ।

- नाममात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका—भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है ।
- लोकसभा के प्रति सामुहिक उत्तरदायित्व—मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है । जबतक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है ।
- केन्द्रीय नेतृत्व—संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं । वे मंत्रीपरिषद् के प्रमुख होते हैं ।
- दोहरी सदस्यता—मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं ।
- द्विसदनीय विधायिका—संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है ।

भारत में भी लोकसभा जिन्हें निम्न सदन और राज्य सभा जिन्हें उच्च सदन कहते हैं, की व्यवस्था की गई है ।

- स्वतंत्र लोक सेवा—संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है ।
- गोपनीयता—संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है ।

संसदीय व्यवस्था के कुछ दोष हैं जो निम्न है :—

- अस्थायित्व—संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, अर्थात् यदि मंत्रिपरिषद् लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना पड़ता है ।
- शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है या यों कहें कार्यपालिका के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है ।
- अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन—संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, हो सकता है उनके पास विशेष ज्ञान का आभाव हो ।
- गठबंधन की राजनीति—संसदीय शासन व्यवस्था ने अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण किया है । इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए बाधित किया है ।
- राजनीति का अपराधीकरण—संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृति के लोग भी धन, बल व बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं ।

निष्कर्ष—यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली दोष से युक्त भी हैं, तथापि यह एक बहुत ही लोकप्रिय शासन प्रणाली है, जो अब्राहम लिंकन के इस कथन को साकार करती है—"लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित सरकार है।" क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की बागडोर संभालते हैं । 7 दशकों तक सफल लोकतंत्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के लिए उपयुक्त/उचित प्रणाली है और संसदीय व्यवस्था ने भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है ।

ये दोनों प्रणालियाँ किसी भी समाज एवं राज्य के लिए श्रेष्ठ होती है क्योंकि इनके 'जनहित' की भावना सर्वोपरि होती है, अधिकारों की सुनिश्चिता होती है तथा अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है ।

संसदीय प्रणाली हमारे देश के लिए, या यों कहें किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वरदान हैं । परंतु वर्त्तमान समय में संसदीय प्रणाली मे मूल्यों का ह्रास तेजी से हो रहा है। अपराधियों का राजनीतिकरण तथा राजनीति का अपराधीकरण, संसद में अभ्रद भाषा का प्रयोग, बहस का गिरता स्तर, सांसदों की खरीद—फरोख्त, चुनावों में धांधली आदि संसद के गिरते मूल्यों को प्रमाणित करते हैं ।

वर्त्तमान में बढ़ता सत्ता एवं धन का लालच समाज के

साथ–साथ इन राजनीतिक संस्थाओं के पतन का मुख्य कारण है । राजनीतिज्ञ लालच देकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं तथा जनता कभी मजबूरीवश तो कभी लालच एवं स्वार्थ के वशीभूत होकर इन्हें मत देती है जो कि अंततः लोकतंत्र में ह्रास का प्रमुख कारण बनता है ।

भारत जैसे राष्ट्र में संसद अर्थात् विधायिका का अपना ही महत्व है, क्योंकि यह एक मात्र ऐसी संस्था है जहां पर मुट्ठी भर लोग बैठकर सवा अरब भारतीयों के भाग्य का निर्धारण करते हैं, अर्थात् कानून बनाते हैं फिर चाहे यह कानून अपराधी को बचाने के लिए बनाये जा रहे या फिर तीन तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए या 370 को समाप्त करने के लिए लेकिन जब संसद ही अपने आप में बेकाबू हो जाय तो यह लोकतंत्र को शर्मशार करके रख देती है। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को तो अपनाया परंतु यह व्यवस्था स्वीकार नहीं की जिसमें उनके सांसदों की तरह हमारे सांसद भी अनुशासित हो पाते हैं ।

भारत में सांसद बनने के लिए हमारे नेता पहले लाखों खर्च करते हैं, और फिर सांसद बनकर करोड़ों कमा भी लेते हैं, विभिन्न योजनाओं के पैसे खर्च करने के बजाय दल को देना अच्छा समझते हैं, इतनी परोपकार की भावना के साथ सांसद, संसद में सुशोभित होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जिनको संसद भवन में आगे की सीट नसीब नहीं होती है, पीछे बैठकर उपद्रव मचाते हैं और इसका वास्तविक कारण है सस्ती लोकप्रियता। इसका मतलब है कि पहले संसद की कैंटीन का सस्ता खाना खाना और फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो तो कैमरा फोकस पाने के लिए जबरदस्ती का उपद्रव मचाना । जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 19 (1) ए के तहत प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन हमें यह भी पता है कि यह स्वतंत्रता सीमित है अर्थात् जो बात समाज को तोड़ती हो वह बात सार्वजनिक रूप से फैलना मना है ।

लेकिन संसद के अन्दर यह अभिव्यक्ति की आजादी असीमित है, अर्थात् अगर कोई संसद के अन्दर कुछ भी बोलना चाहता है तो वह आजाद है ।

उदाहरण स्वरूप अगर कोई व्यक्ति संसद के अन्दर आतंकवादियों के समर्थन की बात करता है या फिर भारत के टुकड़ों की बात करता है, भारतीय संविधान न्यायपालिका की आलोचना करता है या वो माननीय प्रधानमंत्री को गाली क्यों न दें, उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन यह आलोचना संसद से बाहर करता है तो उस पर देशद्रोह तक का केस लग सकता है ।

हमारे प्रिय सांसद संसद के अन्दर जो जी में आता है करते हैं, जो जी में आता है बोलते हैं फिर भी उन पर कोई कार्यवाई नहीं होती, इसका कारण है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार लेकिन आज समय के साथ विभिन्न सांसदों द्वारा इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारतीय राजनीति के लिए घातक तो है ही साथ ही क्रियाशील सरकार को रोकने में भी बाधक है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है किसान आंदोलन, जिस आंदोलन के नाम पर हमारे तिरंगे झंडे का अपमान हुआ परंतु फिर भी हमारी आँखे नहीं खुलीं क्योंकि वोट की राजनीति और कुर्सी के लालची नेता ये नहीं देख पा रहे हैं कि सही में ये किसान है या खालीस्तानी, उनके समर्थन में अंधे हैं, क्या सच में कोई भी भारतीय किसान हमारे देश के तिरंगे का अपमान करेगा ? कतई नहीं ।

जे.एन.यू. में भारत विरोधी नारे लगे परंतु उनका भी समर्थन किया गया, सिर्फ एक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, हराने के लिए नेता, सांसद कोई भी गलत तरीका अपना रहा है और उसको हटा दे रहा है और हमारे देश की भोली–भाली जनता उनके गंदे राजनीति को नहीं समझ पा रही हैं ।

जब सरकार कुछ सही करती है, तो उसे भारत सरकार के रूप में संदर्भित किया जाता है, और जब कोई गलती करती है, तो उसे मोदी सरकार के रूप में संदर्भित किया जाता है ।

ये सब क्या ? ये सब गंदी और भद्दी राजनीति का एक जीता–जागता नमूना है, इसका श्रेय जाता है भारतीय कानून को जो कि सांसद के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग । आज भी कई ऐसे सांसद है जिनका नाम मर्डर केस में भी है फिर भी वे चुनाव लड़ते हैं, लोग उन्हें वोट दे रहे हैं ।

राजेश कुमार तिवारी

बिहार विधान सभा

साईकिल की सवारी

दोहा— छोटी सवारियों में साईकिल, सबसे अच्छी होए।
सर्व सुलभ सबसे सुगम, यह जानत सब कोए।।

सबसे सस्ती हरदम मस्ती, साईकिल की सवारी।
सबसे हल्की सबसे न्यारी, यह सबको है प्यारी।।

नर शक्ति से यह चलती है, ईंधन का कोई खर्च नहीं।
पैसे भी यदि नहीं पास में, तो भी कोई हर्ज नहीं।।
पगडंडी पर भी चलती है, साईकिल की सवारी।
सबसे हल्की सबसे न्यारी, यह सबको है प्यारी।।

मरम्मत में भी इसके, अधिक रकम का काम नहीं।
छोटे—मोटे गड़बड़ियों से, होता चक्का जाम नहीं।।
सदा साथ देने वाली है, साईकिल की सवारी।
सबसे सुन्दर सबसे न्यारी, यह सबको है प्यारी।।

छोटे—बड़े सभी नर—नारी, बड़े शौक से रखते हैं।
हाकिम हो या हो चपरासी, इस पर तो सब चढ़ते हैं।।
धनी—गरीब सभी करते हैं, साईकिल की सवारी।
सबसे हल्की सबसे न्यारी, यह सबको है प्यारी।।

स्व० मुसाफिर पासवान
माननीय सदस्य, बि.वि.स.
91 बोचहाँ
(अ०जा०)विधान सभा क्षेत्र
मुजफ्फरपुर

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी समारोह वर्ष की संक्षिप्त झलक

बिहार विधान सभा की विकास यात्रा में वर्ष 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा जो बिहार के संसदीय इतिहास की दृष्टि से विधान भवन का शताब्दी उत्सव वर्ष था। आधुनिक बिहार को गढ़ने, सजाने और संवारने की खातिर लिये गये निर्णयों का साक्षी रहा लोकतंत्र का मंदिर विधान सभा भवन ने अपने सृजन के शताब्दी वर्ष उत्सव पर एक बार फिर पूरे देश को नया संदेश दिया। बिहार विधान सभा का यह भवन कई स्मृतियां संजोये आज भी भव्यता के साथ अडिग और अटल है जहां विकास की नीति और जनता को विश्वास में लेने की रणनीति बनती है। यह शताब्दी समारोह उस सफरनामा का गवाह बना जहां एक नियत समय में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्थितियों को लोकतांत्रिक सांचे में ढाला गया।

बिहार विधान सभा के गौरवशाली इतिहास में 21 अक्टूबर, 2021 की तिथि का नया अध्याय जुड़ा। इस दिन विधान परिसर में विधान सभा भवन के सृजन का शताब्दी समारोह मनाया गया जिसके मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। शताब्दी वर्ष समारोह की विशेषता और ऐतिहासिकता का आभास रंग–बिरंगी रौशनी में नहाये बिहार विधान मंडल परिसर और समारोह स्थल की भव्यता देखने से हो रहा था। इस पावन अवसर पर वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए और इस ऐतिहासिक भवन से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया। समारोह की सुरक्षा की चाक–चौबंद व्यवस्था के साथ ही जन–जन तक पहुंचाने के लिए यू–ट्यूब, फेसबुक, लाइव वेबकास्टिंग और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण की भी व्यवस्था की गई थी।

पूर्वाह्न 10.50 बजे माननीय राष्ट्रपति का विधान सभा परिसर में आगमन हुआ जहॉ मा.राज्यपाल श्री फागू चौहान, मा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, मा. उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह एवं विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। माननीय राष्ट्रपति द्वारा विधान सभा परिसर में शंखनाद के साथ शांति का प्रतीक बोधिवृक्ष के शिशु पौधे को रोपित किया गया जिसे विशेष तौर पर दो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधगया से लाया गया था। साथ ही उन्होंने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी किया जिसे विधान सभा भवन के सौ वर्षों के सफर की याद में बनाया जा रहा है। 25 फीट ऊंचा यह स्तंभ बिहार की विधायी परंपरा का प्रतीक होगा। इसके ऊपर 15 फीट ऊंचा धातु का बना एक बोधिवृक्ष होगा। स्तंभ की कुल ऊंचाई 40 फीट की होगी जिसमें बिहार की झलक होगी। इसकी नौ शाखाएं बिहार के नौ प्रमंडलों की पहचान होंगी और 38 उप–शाखाएं होंगी, जो 38 जिलों का संकेतक होंगी। इन शाखाओं पर 243 पत्तियां होंगी, जो सभी विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगी।

इसके बाद माननीय राष्ट्रपति विधान सभा के बाहरी परिसर में बनाये गये समारोह स्थल पर पहुॅचे जहॉ उनके साथ माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान, मा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, मा. उपमुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी, विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह एवं विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा मंचासीन हुए। राष्ट्रधुन के बाद माननीय राष्ट्रपति ने अपने कर–कमलों से दीप प्रज्जवलित कर इस समारोह का उद्घाटन किया। उनके साथ मंचासीन सभी गणमान्यों ने बारी–बारी दीप प्रज्जवलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत आग़ाज किया। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा बिहार विधान सभा की स्मारिका का विमोचन किया गया और माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा पांच

सामाजिक संकल्प अभियान का रिमोट से शुभारंभ किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण :

माननीय अध्यक्ष ने मंचासीन गणमान्यों और सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए विधान सभा भवन के सौ वर्षों की विधायी यात्रा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह भवन ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी रहा है। हमें जाति–धर्म और लिंग भेद को भुलाकर अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है और देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। यह सुखद संयोग है कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही हम बिहार विधान सभा भवन का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपनी मेधा, श्रमशीलता और सक्रियता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इन्हीं गुणों के बदौलत हमने अपनी स्मिता और पहचान बनाये रखी है। उन्होंने इस कार्यक्रम में आने की अपनी कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर बिहार से गहरा लगाव दर्शाने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त किया और समारोह के आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ाने एवं मार्गदर्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने ग्यारह महीने के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि इस अल्प अवधि में कई सार्थक विमर्श हुए। विधायकों की गंभीरता, सरकार की सजगता और संवेदनशीलता से शत–प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होना, सदन में रिकॉर्ड शून्यकाल की सूचनाएं लिया जाना और सत्रों में शत–प्रतिशत सदन का चलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही।

माननीय अध्यक्ष ने समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए पांच संकल्प दिलाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 वरदानों से युक्त और 5 सम्मानों से पूर्ण बनाना होगा जो स्वामी विवेकानंद जी की उस भविष्यवाणी को चरितार्थ करेगा कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्व गुरू बनेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस शताब्दी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में एक अभिनव संदेश जायेगा और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का संबोधन :

माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधान सभा शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए माननीय अध्यक्ष को बधाई दी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस विशेष कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि माननीय कोविंद जी का बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है। वे बिहार में लगभग दो साल के लिए राज्यपाल रहे थे और इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला इसलिए हम बिहार के लोग इन्हें गर्व से बिहारी कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद श्री कोविंद पहली बार तीसरे कृषि रोडमैप की शुरुआत के लिए 9 नवंबर, 2017 को बिहार आये थे। इसके बाद 15 नवंबर, 2018 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आये थे। 25 अक्टूबर 2019 को विश्व शांति स्तूप, राजगीर के 50 वें वार्षिकोत्सव में हमारे विशेष आग्रह पर ये यहां पधारे थे। जापान के फूजी गुरु जी ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था जिसका शिलान्यास 6 मार्च, 1965 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया और 25 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने इसका उद्घाटन किया था।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वर्ष 2009 से ही 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इसी क्रम में वर्ष 2012 में बिहार राज्य के 100 सौ साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 22 मार्च, 2011 से विधायी परिषद् बनी थी, उसके लिए पूरे एक साल तक कार्यक्रम चला था जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शामिल हुई थीं। 3 मई, 2011 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि विधायी परिषद् की पहली बैठक पटना कॉलेज में 20 जनवरी, 1913 को हुई थी। 1920 में परिषद् भवन का निर्माण कराया गया जो अब बिहार विधान सभा भवन कहलाता है जिसके 100 साल पूरा होने पर आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने 7 फरवरी 2016 से इसके लिए कार्यक्रम की शुरूआत की थी। उस समय के नये 98 विधायकों को बहुत सारी चाजों की जानकारी दी गई थी।

उन्होंने बुद्ध स्मृति पार्क की भी चर्चा की जहॉ परम–पावन दलाई लामा जी के द्वारा बोधि वृक्ष का रोपण किया गया। वहां के बुद्ध स्मृति संग्रहालय, करुणा स्तूप और विपश्यना केन्द्र का भी जिक्र किया जिसका 3 जुलाई 2018 से नियमित संचालन हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। इस विपश्यना केंद्र में जाकर अनुभव प्राप्त करने के लिए सबसे आग्रह भी किया।

माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान :

माननीय राज्यपाल ने बिहार विधान सभा भवन के ऐतिहासिक विधायी यात्रा से अवगत कराते हुए भारत में प्रतिमूलक राज व्यवस्था की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जहां वज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, मिथिला, कोलांग आदि गणराज्यों में प्रतिमूलक राज व्यवस्था थी जिसका संचालन सभा समिति एवं गणपति के माध्यम से हुआ करता था। मध्यकाल के दौरान राज–काज की यह व्यवस्था समाप्त तो हो गई किन्तु ग्राम सभा और पंचायतों का अस्तित्व बना रहा। इस प्रकार प्रतिवादी शासन व्यवस्था से हमारा पुराना परिचय रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबी बहस के बाद भारत के लिए संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया था जो प्रतिमूलक राज व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि सदन का मुख्य कार्य कानून बनाना, जनोपयोगी मुद्दों पर बहस एवं चर्चा कराना तथा नीतियों का निर्णय लेना है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोगों की इच्छा और जरूरतों को, गंभीर विचार–विमर्श तथा बहस के माध्यम से सामने ला पाते हैं, किंतु इन दिनों बैठक की घटती संख्या, बढ़ते व्यवधान, सदन के बार–बार स्थगित होने के कारण आमजन के मुद्दों की चर्चा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और बिना किसी सार्थक बहस के विधेयक पारित हो जाते हैं। आमजन की आकांक्षाएँ बढ़ गई हैं, अतः आवश्यक है कि विधायी फैसला लेने में सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी हो तथा तर्कपूर्ण बहस एवं गंभीर विचार– विमर्श के जरिये कानून बनाया जाय।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार और विपक्ष एक–दूसरे से भिन्न नहीं हैं। दोनों ही पक्षों के सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तथा दोनों का ही उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान, उनकी भलाई तथा देश एवं राज्य को विकसित करना है। इसलिए दोनों पक्षों को अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर सदन में बहस और विमर्श को सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें।

श्री रामनाथ कोविंद, माननीय राष्ट्रपति :

माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि वह अपने को बिहारी कहे जाने पर गदगद महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बिहार के थे और इसी धरती के राज्यपाल डॉ. जाकिर हुसैन भी बाद में राष्ट्रपति बने, उन्होंने जो विरासत छोड़ी उसे आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला। बिहार आने पर घर जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा से इतिहास रचता आया है। यहॉ की रत्नगर्भा धरती और स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है, इसलिए जब भी यहॉ आता हूँ तो सुखद अनुभूति होती है। भरपूर स्नेह और सम्मान के लिए उन्होंने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास कर के प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे गर्व होता है कि बिहार विश्व की प्रथम लोकतंत्र की जननी रहा है। भगवान बुद्ध ने विश्व के आरंभिक गणराज्यों को प्रज्ञा और करुणा की शिक्षा दी थी और उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर अपने संघ के नियम निर्धारित किये थे। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि बौद्ध संघों के अनेक नियम आज की संसदीय प्रणाली में भी उसी रूप में विद्यमान हैं। महाबोधि के पौधे का विधान सभा परिसर में प्रत्यारोपण कर के वह स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिभावान लोगों की धरती है। पूरे देश को गौरवपूर्ण बनाने वाली एक महान परंपरा की स्थापना इसी धरती पर नालंदा, विक्रमशिला और उदवंतपुरी जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्रों, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, चाणक्य जैसे नीति निर्माता तथा अन्य महान विभूतियों द्वारा की गयी थी। इस समृद्ध विरासत

को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी बिहार के सभी निवासियों की है। उन्होंने बिहार के लोगों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जब संविधान सभा द्वारा हमारे आधुनिक लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जा रहा था, तब बिहार की विभूतियों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और सौहार्द की आधारशिला पर निर्मित हमारा लोकतंत्र प्राचीन बिहार के लोकतांत्रिक मूल्यों को आधुनिकता में समेटे हुए पुष्पित व पल्लवित हो रहा है, जिसका श्रेय बिहार की जनता एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को जाता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण और कार्यशैली से जनता की आशाओं को यथार्थ रूप देने का प्रयास करते रहने की नसीहत दी।

राष्ट्रपति ने बधाई देते हुए कहा कि छठ पूजा अब एक ग्लोबल त्योहार बन गया है। नवादा से न्यू जर्सी और बेगूसराय से बोस्टन तक छठ मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है, जो इस बात का प्रमााण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े मेहनती लोगों ने विश्व पटल पर जगह बनाई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बिहार विधान मंडल के सदस्यों ने सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण एक संकल्प अभियान शुरू किया है जो धन्य है और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कामना की कि सभी विधायक इस सदन में लिए गये संकल्पों को लागू करें और बिहार को एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत और सुविकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास करें। इस तरह के प्रयासों के बल पर बिहार आजादी के शताब्दी वर्ष (वर्ष 2047) तक मानव विकास के मानकों पर अग्रणी राज्य बन सकेगा। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पंक्तियों के साथ बिहार राज्य की उन्नति का स्वर्णिम अध्याय लिखे जाने की कामना की।

गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे गौतम के उपदेश,
ध्वनित हो रहे इन लहरों में देवि अहिंसा के संदेश।

श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् का धन्यवाद ज्ञापन :

माननीय कार्यकारी सभापति ने माननीय राष्ट्रपति के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने कर–कमलों से पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया और शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करने की कृपा की। साथ ही उन्होंने मंचासीन सभी गणमान्यों, सभागार में उपस्थित महानुभावों को भी कार्यक्रम में योगदान देने एवं सफल बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया।

राष्ट्रधुन के पश्चात शताब्दी वर्ष समारोह कई अतीतों को समेटे हुए भव्य तरीके से संपन्न हुआ जो लंबे समय तक विधायिका के लिए गौरवशाली और प्रेरणापुंज बना रहेगा।

सप्तदश बिहार विधान सभा का गठन और सत्र समीक्षा

बिहार की सोलहवीं विधान सभा का 5 वर्षों का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2020 को पूरा हो रहा था। इसको दृष्टि में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सप्तदश विधान सभा के गठन की दिशा में उठाये गये प्रथम कदम के रूप में विधान सभा के कुल 243 सदस्यों के निर्वाचन हेतु दिनांक 25.09.2020 को राज्य में आम चुनाव की घोषणा की गई। चुनाव कुल तीन चरणों में क्रमशः 28.10.2020, 03.11.2020 एवं 07.11.2020 को संपन्न हुए। सभी परिणामों की घोषणा के पश्चात् दिनांक 11 नवंबर, 2020 को चुनाव आयोग द्वारा सप्तदश विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई।

भारत निर्वाचन आयोग
अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001/ दिनांक 11 नवंबर, 2020, 20 कार्तिक, 1942 (शक)

सं० 308/बिहार–वि.स./2020:–यत–बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 उप–धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्या बी1–3–72/2020–30, बी1–3–72/2020–37 एवं बी1–3–72/2020–41 जो क्रमशः 1 अक्टूबर 2020, 9 अक्टूबर 2020 एवं 13 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी, के अनुसरण में बिहार राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन कराया गया; और

अतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों का परिणाम संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित यदि कोई हो, इस अधिसूचना की अनुसूची में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

आम चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ

चुनाव की घोषणा	:	25 सितम्बर, 2020
अधिसूचना निर्गत होने की तिथियाँ	:	01 अक्टूबर, 2020 09 अक्टूबर, 2020 13 अक्टूबर, 2020
मतदान	:	28 अक्टूबर, 2020 03 नवम्बर, 2020 07 नवम्बर, 2020
मतगणना	:	10 नवम्बर, 2020
विधान सभा के गठन की अधिसूचना निर्गत होना	:	11 नवम्बर, 2020

चुनाव सम्बंधी महत्वपूर्ण आँकड़े

	पुरुष	महिलाएँ	अन्य (ट्रान्सजेंडर)	कुल
प्रत्याशियों की कुल संख्या	3362	370	01	3733
जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या	217	26	0	243

सप्तदश बिहार विधान सभा में

पहली दफा निर्वाचित सदस्यों की संख्या	:	105
सोलहवीं विधानसभा के वैसे सदस्य जो पुनः सत्रहवीं बिहार विधान सभा में भी निर्वाचित हुए	:	98
सोलहवीं विधानसभा के पूर्व के वैसे सदस्य जो कुछ अंतराल के बाद पुनः निर्वाचित हुए	:	40
कुल		**243**

सप्तदश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र का सारवृत्त

सप्तदश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से प्रारम्भ हुआ। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी “COVID-19” के कारण विधान सभा का यह सत्र भौतिक दूरी एवं आवश्यक

दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए बिहार विधान सभा स्थित सभा–वेश्म में न होकर बिहार विधान मंडल विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में सम्पन्न हुआ। निर्धारित कार्यक्रमानुसार पाँच दिवसीय यह सत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया।

शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान

सप्तदश बिहार विधान सभा के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा श्री जीतन राम मांझी, वरिष्ठतम सदस्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद–180 के खण्ड–(1) के अधीन अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को श्री जीतन राम मांझी, प्रोटेम स्पीकर द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष राजभवन में शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान किया गया। उन्हें महामहिम राज्यपाल ने ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जिनके समक्ष बिहार विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यगण शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगे।

श्री मांझी ने सप्तदश बिहार विधान सभा के सभी नवनिर्वाचित 242 सदस्यों को शपथ दिलायी।

अध्यक्ष का निर्वाचन

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2020 की तिथि अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियत की गई थी। श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी को सर्वसम्मति से सप्तदश बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझमें विश्वास प्रकट करते हुए मुझे इस आसन पर बैठाया। उसके बाद मैं लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिसमें यह व्यवस्था है कि मेरे जैसा व्यक्ति अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है। मैं यह सोचकर रोमांचित हो रहा हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर तक सोचकर यह व्यवस्था की थी । बिहार विधान सभा इस राज्य की जनता की आंकाक्षाओं का मंदिर है। संविधान निर्माताओं ने तीन स्तम्भों का प्रावधान किया था जिसमें विधायिका भी एक प्रमुख है। एक सुविचारित व्यवस्था की कि सरकार के हरेक कार्यकलाप पर विधान सभा की नजर हो, चलते सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा आमने–सामने सरकार को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि सूचनाओं के द्वारा अवगत कराया जाता है। साथ ही, याचिका समिति जैसी अन्य समिति के माध्यम से सीधे जनता को सदन को जोड़ा गया है। बिहार विधान सभा में प्रत्यायुक्त विधान–समिति भी है जिसे सरकार के नियम परिनियम को जांचने की शक्ति है। बिहार विधान सभा की समितियां रिपोर्ट के माध्यम से बजटीय सिस्टम ठीक रखने और सुधार के विभिन्न उपायों से सरकार को अवगत कराकर जनहित के कामों को कराती है। स्वस्थ आलोचना और उसका प्रत्युत्तर इस सदन की गरिमा के अनुरूप है। मैंने अपने सदन के जीवन में देखा है बहुत सारे वरीय सदस्य हैं जिनसे सीखने का मौका मिला है। जिनके नेतृत्व में हमने कदम बढ़ाया है, मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में इस सदन की मर्यादा बचाने के लिए आपकी जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि छोटी–छोटी बातों को तूल न देकर राज्य के विकास की बातों पर यदि ध्यान केन्द्रित करेंगे तो श्रेयस्कर होगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमलोगों को ऐसा आचरण अपनाना चाहिए जिससे यह सदन देश के सभी राज्यों में एक उदाहरण पेश करे। चाहे जितनी भी कटु से कटु बात हो हमें उसे सुनना चाहिए और संयम तथा शालीनता से उसका उत्तर देना चाहिए । वैश्विक महामारी के दौर में मानव जाति संकट में पड़ी है। इस दौरान आचार–विचार, रहन–सहन कई व्यवस्थाएं बदल गयी हैं। हमलोगों के विचार को भी बदलना होगा । 21वीं सदी की दहलीज पर विकसित भारत कदम रखने के लिए तैयार है। बिहार को फिर उसी ऐतिहासिक पौराणिक वातावरण में ले जाने के लिए हम सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे । एक नये विचार के साथ, नये सकारात्मक भाव के साथ हम कदम बढ़ायें। अध्यक्ष का कर्त्तव्य सभा का सुव्यवस्थित संचालन करना है इसलिए मुझे इस पर बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। इस संवैधानिक पद का दायित्व आपलोगों ने मुझे दिया है इसके लिए मैं आप लोगों का अनुगृहीत होने

के साथ ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ । मैं सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा परन्तु आप सब जानते हैं कि सदन के संचालन के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली गठित है। इस नियमावली के अन्तर्गत जितनी भी अपेक्षाएं आपकी होगीं उन सब को पूरा करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। परम्परा रही है कि सभी माननीय सदस्य किसी न किसी समिति के सदस्य बनाये जाते हैं, उस परम्परा का निर्वहन आगे भी होता रहेगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि समिति के कार्यकलाप को पारदर्शी– दूरदर्शी बनाने हेतु समिति की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को सकारात्मक सुझाव देंगे ताकि बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। आप सभी माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर विश्वास किया है इसके लिए एक बार फिर मैं आपलोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ तथा अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आज सप्तदश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र आरम्भ हो रहा है। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि नवगठित बिहार विधान सभा का कार्यकाल बिहार को विकसित बनाने एवं जन–जन तक खुशहाली लाने में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करेगा। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

अभी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं। राज्य की जनता ने विकास के एजेन्डे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में खासकर युवाओं, महिलाओं एवं वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इस जागरूकता को रचनात्मक आयाम देते हुए सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी पूरे विश्व के समक्ष एक चुनौती बनी हुई है। पूरा देश और बिहार भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को पूरी तरह लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए है। केन्द्र सरकार से भी इसके लिए जरूरी मदद मिली है। अन्य राज्यों में फंसे कुल 20.95 लाख लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। विशेष ट्रेनों एवं अन्य माध्यम से अधिक संक्रमण वाले 11 शहरों (दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गाँव, फरीदाबाद, मुम्बई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता एवं बंगलौर) से लौटने वाले 15 लाख से अधिक लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन केन्द्रों में रखा गया और प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 5,300 रुपये खर्च किये गये। राज्य के 1 करोड़ 64 लाख राशन कार्डधारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1,000 रूपये प्रति परिवार की दर से दिया गया। कुल 23.38 लाख वंचित परिवारों को राशन कार्ड स्वीकृत कर वितरित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के राहत कार्यों पर 10 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक की राशि खर्च की गयी।

केन्द्र सरकार द्वारा भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारियों को अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त अनाज तथा 1 किलो प्रति परिवार की दर से दाल और चना उपलब्ध कराया गया। अन्य राज्य से लौटे मजदूरों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। साथ ही बिहार के 85 लाख परिवारों को 3 माह के लिए मुफ्त एल.पी.जी. सिलेण्डर उपलब्ध कराया गया। कोरोना के जाँच एवं इलाज के लिए उपकरण एवं आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करायी गयीं तथा बिहार में 500 बेड के दो कोविड अस्पताल बनाये गये। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से अन्य प्रकार की भी सहायता मिली है। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध जारी संघर्ष

में केन्द्र का भी पूरा सहयोग है।

राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जाँच की सुविधा, संक्रमितों के आइसोलेशन और उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। इस महामारी की रोकथाम हेतु जाँच की कार्रवाई तेज गति से की जा रही है। अभी बिहार राज्य में 1 लाख से अधिक जाँच प्रतिदिन किये जा रहे हैं। अबतक बिहार राज्य में 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जाँच कराये जा चुके हैं। बिहार में अब तक की गयी प्रति मिलियन जाँच राष्ट्रीय औसत से 10 हजार से भी अधिक है। बिहार राज्य का रिकवरी रेट पूरे देश की औसत रिकवरी रेट से अधिक है। बिहार राज्य में कोरोना से संक्रमितों की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन का भारत एवं दुनिया के कई अन्य देशों में ट्रायल का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वैक्सीन उपलब्ध होने के उपरांत कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को सजग और सचेत रहना होगा और पूरे तौर पर सावधानी बरतनी होगी।

न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त पर हर क्षेत्र का विकास एवं हर तबके का उत्थान राज्य सरकार का मूल संकल्प है। राज्य सरकार कानून का राज कायम रखने के लिए संकल्पित है। बिना कोई द्वेष या भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

लोगों की शिकायतों के निदान के लिये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया है एवं सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली लागू की गयी है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। हाल में सभी त्यौहार शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के माहौल में संपन्न हुए हैं जिसके लिए बिहार की जनता बधाई की पात्र है। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की है। राज्य में एक ओर जहाँ प्रभावी विधि–व्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिली है तो दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के साथ–साथ मानव संसाधन के विकास में भी नई ऊँचाइयाँ हासिल की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है। ठोस अनुशासनिक एवं आधुनिक प्रशासनिक तथा वित्तीय संरचना को स्थापित करते हुए राज्य में विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इस प्रकार पिछले 15 वर्षों में बिहार की विकास दर दो अंकों में रही है। बिहार के विकास की रणनीति विकेन्द्रीकृत विकास की रही है। इससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचा है और गरीबी में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार की तरक्की और इसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि और महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास तथा कल्याण की अनेक योजनाएँ जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती रही है और करती रहेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके तक अवश्य पहुँचे।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन के विकास को दृष्टिगत कर शिक्षा पर शुरू से ध्यान केन्द्रित किया है। विद्यालय में वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने एवं लड़के, लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कक्षाओं की संख्या बढ़ायी गयी, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित की गयी और पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजना चलायी गयी है। राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई की तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके आगे राज्य में शिक्षा के गुणात्मक स्तर में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

विगत वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय काम किये गये हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के

विस्तार एवं उनकी बेहतरी पर लगातार काम किया जाएगा। गाँव–गाँव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। विगत कई वर्षों में इस क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि के विकास के लिए लागू तीसरे कृषि रोड मैप के रास्ते चलकर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को और बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जैविक खेती को और बढ़ावा देने तथा मौसम के अनुकूल कृषि को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जायेगा। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सभी संभव प्रयास करेगी। राज्य के कोने–कोने में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। सड़कों एवं पुल, पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों को संपर्कता दी गई है। लगभग सभी ग्रामीण बसावटों को एकल संपर्कता दी गई है। सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण के लिए नीति बनाई गई है। बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। हर घर में बिजली पहुंचा दी गयी है। राज्य सरकार आगे भी बिहार में आधारभूत संरचनाओं को और बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। पूर्व से चल रही विभिन्न योजनाओं से गाँव एवं शहरों के आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि सभी लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। हर घर में शौचालय निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकांश घरों में नल का जल दिया गया है एवं अधिकांश घरों तक पक्की नाली एवं गलियाँ बन चुकी हैं। बचे हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नाली एवं हर घर शौचालय जैसी सभी योजनाओं के रख–रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी। राज्य सरकार शराबबंदी को दृढ़तापूर्वक लागू रखने के साथ–साथ बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक अभियान जारी रखेगी। युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा जैसे कार्यक्रम लागू हैं जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ–साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगें। युवाओं में उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नये अवसर पैदा करने हेतु नयी संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2020 लागू की गयी है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बनायी गयी है, जिसके तहत् औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी। सरकार के इन प्रयासों से एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा तथा युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्पित है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल–जीवन– हरियाली अभियान के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। राज्य के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नये कार्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा। राज्य के अपने प्रयास और केन्द्र सरकार के सहयोग से बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया जायेगा। राज्य सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के राज्य की प्रगति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी। विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। लोकतंत्र के हित में तथा बिहार के विकास के लिए आप सभी के सहयोग एवं योगदान की कामना है।

नवगठित बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत सत्र में आप सबों की उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, राज्य में सामान्य निर्वाचन के बाद सप्तदश बिहार विधान सभा का गठन हुआ । गठन के उपरान्त इसके प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 23 नवम्बर,

2020 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को समाप्त हो रही है । इस सत्र में कुल– 05 (पाँच) बैठकें हुई । इस सत्र की खास बात यह रही कि कोरोना प्रोटोकोल को देखते हुए सत्र की बैठक अपने मूल सभा वेश्म में न होकर नवनिर्मित सेंट्रल हॉल में हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को अस्थायी अध्यक्ष द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के लिए नव–निर्वाचित माननीय सदस्यों में से 190 माननीय सदस्यों को एवं दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को 48 माननीय सदस्यों को तथा दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को शेष 04 माननीय सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया । इसी दिन सप्तदश बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन भी सम्पन्न हुआ । दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल द्वारा सह–समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया गया । आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार तथा विरोधी दल के नेता के रूप माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की गई। इस सत्र में राज्यपाल द्वारा प्राख्यापित बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 एवं बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । सभा सचिव द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित क्रमशः महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत 03 विधेयक एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 10 विधेयकों का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया । कुल– 16 (सोलह) जननायकों के निधन के प्रति शोक–प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी । प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधान सभा के दस–दस सदस्यों (जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं तीन पिछड़े वर्ग के हों), कृषि विश्वविद्यालयों के लिए सात–सात सदस्यों, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए दो सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद् के लिए तीन सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए पाँच सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए दो–दो सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए दो सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उनके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे, का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

आज दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री श्रवण कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर द्वारा किया गया । वाद–विवाद के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । सत्र के दौरान बिहार विधान सभा के तीनों वित्तीय समितियों के वर्ष 2020–2021 के गठन के संबंध में निर्वाचन की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को उन समितियों के सदस्यों के मनोनयन हेतु सदन द्वारा प्राधिकृत किया गया । साथ ही, इन तीनों वित्तीय समितियों में बिहार विधान परिषद् के सदस्यों को सह सदस्य के रूप में मनोनीत करने हेतु बिहार विधान परिषद् से आग्रह किया गया ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ–साथ पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से आप सबों को साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपके सहयोग से ही इस सत्र का संचालन अपेक्षाकृत अधिक सफलता से हो पाया है । आशा है आने वाले सत्र में पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहेगा एवं हम सभी अधिकतम जनहित साधने में सफल होंगे जो हमारा अभीष्ट है ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

क्रिसमस की शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष के शुभागमन में मैं प्रदेश की जनता एवं आप सबों के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं।

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र : बजट सत्र का सारवृत्त

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 19 फरवरी, 2021 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2021 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। द्वितीय सत्र में कुल बाईस (22) बैठकें सम्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण, सत्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं । प्रथम सत्र तो विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं का सत्र होता है ।

वास्तव में दूसरे सत्र से ही माननीय सदस्यगण संसदीय कार्य प्रारम्भ करते हैं ।

यहां बहुत सारे माननीय सदस्यगण ऐसे हैं जिनका मार्गदर्शन मेरे लिये मील का पत्थर साबित होगा । मैं सदैव उन वरीय माननीय सदस्यों से सीखने का प्रयत्न करूंगा । 105 जो नये माननीय सदस्य सभी दलों के चुनकर आये हैं, आज मैं उनको विशेष रूप से शुभकामना देता हूं । सभी नये माननीय सदस्यों को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली दी गई है । मुझे आशा है कि उसे उन्होंने पढ़ा होगा और पढ़कर समझा होगा ।

सदन के सुव्यवस्थित संचालन की जिम्मेवारी आप सबने मुझे दी है, जिसका निर्वहन मैं नियमावली और परम्पराओं के अनुरूप करूंगा। मैं नये माननीय सदस्यों से विशेष अनुरोध करूंगा कि वे कार्य संचालन नियमावली के परिशिष्ट में वर्णित आचार संहिता का अवलोकन कर उसे आत्मसात कर अपने आचरण में प्रदर्शित करें ताकि यह सदन देश के सभी सदनों को एक नई राह दिखा सके । सदन सार्थक विमर्श के लिए है और विमर्श तभी संभव है जब हम सभी अपने लिए एक आचार संहिता, मर्यादा की एक लक्ष्मण रेखा बना लें । यहां बोलते भले ही माननीय सदस्य हों लेकिन यह आवाज हमारी नहीं बल्कि हमारे माध्यम से जनता अपनी आवाज इस सदन को और सदन के माध्यम से सरकार को सुनाती है। इसलिए हम सबको सार्थक विमर्श करना चाहिए और यही एक माध्यम है जिससे जनता की आकांक्षाओं को हम सब मिलकर पूरा कर पायेंगे ।

हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती है कि कैसे इस राज्य को विकास के पथ पर देश के अन्य राज्यों से आगे ले जाएं। इस राज्य के हरेक परिवार को कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे जोड़ें कि हर परिवार अपने को राज्य के शासन–संचालन में भागीदार समझे ।

माननीय सदस्यगण, आज माघ मास शुक्ल पक्ष, अचला सप्तमी का शुभ दिन है। मान्यता है कि आज के किये हुए कार्य द्वारा अर्जित पुण्य एवं पाप दोनों अचल रहते हैं । आप सभी को अचला सप्तमी की शुभकामना देता हूं ।

बिहार की जागरूक जनता ने हम सबों पर भरोसा करते हुए राज्य के लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा के लिए भेजा है । इस लोकतंत्र के मंदिर में राज्य की करोड़ों जनता की समस्या रूपी तकलीफों को दूर कर उनको विकास रूपी सुख उपलब्ध कराने का संकल्प लेते हुए इस सत्र को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से चलाना है जिससे सदन में सार्थक विमर्श हो सके । सत्र में विधायी एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन संवैधानिक प्रावधानों के तहत करना है। इसके लिए सदन का माहौल शांतिपूर्ण एवं सुखद बनाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है ।

इस सदन रूपी फुलवारी में हम सब अलग–अलग रंगों और खुशबू के फूलों की तरह हैं जिसकी महक से नकारात्मक शक्तियां आशा, उम्मीद और विश्वास के रथ पर सवार होकर सकारात्मकता के रूप में परिवर्तित होकर जन जीवन को सरल एवं सुलभ बनायेंगी ।

हमें सदन में ईमानदारी से एक माली की तरह अपनी

भूमिका निभाते हुए अपनी कर्तव्य–निष्ठा का परिचय देना होगा ताकि सदनरूपी इस फुलवारी से पूरा बिहार सुगंधित हो सके। सदन में हम सबों के आचरण एवं व्यवहार से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाय । हम आने वाली पीढ़ी और युवा पीढ़ी को एक बेहतर बिहार उपलब्ध करायें । लोकतंत्र के इस पावन मंदिर से ऐसा नाद पूरे बिहार में गूंजे जिससे बिहार का माहौल पूरी तरह से उत्साहजनक बने, लोग आनंदित हों और उन्हें इस बात पर गर्व महसूस हो कि उनके जनप्रतिनिधि उनकी अपेक्षा के अनुरूप अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हम सबों को कदम बढ़ाना है।

यह सत्र बिहार को अगले एक साल तक के लिए विकास के पथ पर ले जाने वाला सत्र साबित हो, सबके विश्वास पर खड़ा उतरने वाला सत्र साबित हो, बिहार की करोड़ों जनता की भलाई के लिये याद किये जाने वाला सत्र हो, यह हमारी कामना है ।

आइये, हम सब लोग परस्पर मिल–जुलकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने और विकास के पथ पर ले जाने का संकल्प लें ।

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

गुजरा हुआ साल–2020 वैश्विक महामारी कोविड–19 से आक्रांत रहा और इसका प्रकोप अभी भी जारी है। पूरा देश और बिहार भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के दिशा–निर्देशों को पूरी तरह लागू किया है। इस महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिये 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार से भी इसके लिए जरूरी मदद मिली है। इस बीमारी का सामना करते हुए सबको स्वस्थ रखने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किया है। राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए जाँच की सुविधा एवं इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ दिन पहले के आँकड़ों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 लाख 72 हजार 425 लोगों की जांच की गयी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 लाख 49 हजार 440 है। राज्य में कुल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक जाँच किया गया है। बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट 99.19 प्रतिशत है. जबकि राष्ट्रीय औसत 97.31 प्रतिशत है। कोविड–19 से मृत्यु का प्रतिशत जहाँ पूरे देश में 1.43 प्रतिशत है वहीं बिहार राज्य में यह 0.58 प्रतिशत है। राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक नियंत्रित हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 587 रह गई है। केन्द्र सरकार पूरे देश में कोविड–19 टीकाकरण के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। केन्द्र सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अन्य विकसित देशों की तरह भारत में भी वैक्सीन बनाई जा रही है तथा पूरे देश में एक साथ टीकाकरण के लिए दो प्रकार की वैक्सीन कोविशिल्ड तथा कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। टीकाकरण किस प्रकार से किया जाना है, इसके लिए आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं। बिहार में भी केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया है, जिसमें बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। उसके बाद फ्रंटलाईन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से कम आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 4 लाख 95 हजार 792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जायेगा।

टीकाकरण आरंभ होने का यह मतलब कदापि नहीं है कि लोग सावधानी बरतना छोड़ दें। सभी लोगों को अभी भी पूरी तरह से सजग और सचेत रहना होगा और पूरे तौर पर सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से विधि–व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित करना तथा लोगों को भयमुक्त समाज एवं विकास प्रदान करना है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू है। पुलिस तंत्र का सुदृढीकरण किया गया है ताकि वे दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें । यह सरकार के संकल्प का ही परिणाम है कि राज्य में सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2020 में भ्रष्ट लोक सेवकों को ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के 22 कांड, पद के दुरूपयोग संबंधित 4 कांड एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 6 कांड अर्थात कुल 32 कांडों में कार्रवाई की गई है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत अपराध जनित अवैध परिसम्पत्तियों की जब्ती के कुल 161 प्रस्ताव इकाई द्वारा प्रवर्त्तन निदेशालय को भेजे गये हैं, जिनमें से अबतक 28 अभियुक्तों की 45 करोड़ 81 लाख रूपये की अपराध जनित परिसम्पत्तियाँ जब्त की जा चुकी हैं।

प्रशासनिक एवं वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के साथ–साथ राज्य के नागरिकों को कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत जाति, आय, आवासीय, ओ०बी०सी० प्रमाण पत्रों की सेवा को पूरी तरह से ऑनलाईन किया गया है, जिसके माध्यम से लोग बिना काउन्टर पर गए आवेदन दायर कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सरकार भवनों में भी लोक सेवा हेतु काउन्टर स्थापित किए गए हैं, जिनसे ग्रामीणों को निःशुल्क सेवाएँ उनके निकटतम स्थान में प्राप्त हो रही हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू कर लोगों को उनके परिवाद पर सुनवाई के साथ–साथ नियत समय–सीमा में इसके निवारण का भी कानूनी अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों एवं सभी तबकों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, विकेन्द्रीकृत होने के साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि तथा वंचित वर्गों के विकास तथा कल्याण के लिए जो अनेक योजनाएँ सफलतापूर्वक चल रही है, उनसे बहुत कुछ हासिल हुआ है और इन सभी को और सुदृढ़ करते हुए क्रियान्वित किया जाता रहेगा। विकसित बिहार की परिकल्पना साकार करने के लिए अब राज्य सरकार ने कुछ नये संकल्प लिए हैं। न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020–2025 के तहत सात निश्चय–2 को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 से इससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जायेगा।

बिहार देश के सबसे युवा–बहुल राज्यों में से एक है। युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम लागू है. जिसका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ–साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार का पहला निश्चय 'युवा शक्ति बिहार की प्रगति' के तहत राज्य के प्रत्येक आई०टी०आई० एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेन्टर आफ एक्सीलेन्स बनाया जाएगा। वैसे युवा जो आई०टी०आई० एवं पॉलीटेक्निक संस्थानों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल

सेन्टर खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को अल्प अवधि का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके साथ–साथ प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण पाने के पश्चात् युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

राज्य में उद्यमिता संस्कृति के विकास के लिए उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उन्हें नया उद्यम अथवा व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपये का ऋण मात्र 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। सरकार के प्रयासों से सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किये जायेंगे।

बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेल–कूद को बढ़ावा देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के प्रति संवेदनशील है और यह इसकी प्रमुख नीतियों का अभिन्न अंग है। सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण की नींव रखी गई। 'जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के गठन से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। राज्य में लगभग 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा 1 करोड़ 20 लाख से अधिक परिवारों की महिलाएँ इससे जुड़ गई हैं। साथ ही जीविका समूहों के माध्यम से अस्पतालों में भी मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार के दूसरे निश्चय 'सशक्त महिला सक्षम महिला' के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यह व्यवस्था पहले से ही है, अब सभी महिलाओं के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित छात्राओं को 25 हजार रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर छात्राओं, जो विवाहित हों अथवा अविवाहित, को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन यथा– थानों, प्रखण्डों, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में महिलाओं को अधिक संख्या में पदस्थापित कर उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। कृषि कार्यों में सिंचाई की महत्ता को देखते हुए सरकार के तीसरे निश्चय 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' के तहत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि सभी लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। हर घर में शौचालय निर्माण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। अधिकांश घरों में नल का जल दिया गया है एवं अधिकांश घरों तक पक्की नाली एवं गलियाँ बन चुकी हैं। बचे हुए शेष कार्यों को भी शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा। सरकार के चौथे निश्चय 'स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव' के तहत हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नाली एवं हर घर शौचालय जैसी सभी योजनाओं के रख–रखाव के लिए विशेष व्यवस्था की जायेगी। सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाएगा। गाँव में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाएगी। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन एवं मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनसे राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार शहरों के विकास के लिए भी पूरा प्रयास कर रही है। सरकार के पाँचवें निश्चय 'स्वच्छ शहर विकसित शहर' के तहत सभी शहरों में ठोस एवं तरल

अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कराई जाएगी। शहर में रह रहे बेघर–भूमिहीन, गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि शहरों में जल–जमाव की समस्या न रहे। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को वहाँ पर दाह संस्कार हेतु जरूरी सुविधाएँ मिल सकें। शहरों में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा।

राज्य के कोने–कोने में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, राज्य के हर सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस लक्ष्य को घटाकर अब 5 घंटे किया गया है और इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य चल रहा है। लगभग सभी ग्रामीण बसावटों को एकल सम्पर्कता दी गई है। सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण के लिए नीति बनाई गई है। इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सरकार के छठे निश्चय 'सुलभ सम्पर्कता' के तहत शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गाँवों को महत्वपूर्ण स्थानों यथा – प्रखण्ड, थाना, अनुमण्डल, बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सरकार के सातवें निश्चय 'सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा' के तहत पशुओं एवं लोगों के लिए भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाएं निःशुल्क होंगी और उनकी डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे, जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा और आवश्यकतानुसार मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के द्वारा लोगों के घरों में पहुँचकर सेवाएँ दी जाएँगी। देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित एवं बेहतर रूप से संचालित कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाएंगी तथा टेलिमेडिसिन के माध्यम से लोगों को बेहतर ईलाज की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए नई योजना 'बाल हृदय योजना' लागू की जा रही है।

सुशासन 2020–25 के अन्य कार्यक्रमों के तहत विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सिलिंग सेन्टर, राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डाटा बेस का संधारण एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से दलहन की खरीद की व्यवस्था शामिल है।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन के विकास को दृष्टिगत कर शिक्षा पर शुरू से ध्यान केन्द्रित किया है। विद्यालय से वंचित वर्गों का दाखिला सुनिश्चित कराने एवं लड़के, लड़कियों के बीच शिक्षा के अंतर को दूर करने के लिए बहुआयामी रणनीति के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये, कक्षाओं की संख्या बढ़ायी गयी, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित की गयी और पोशाक, साईकिल, प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति योजनाएं चलायी गयी हैं। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। 5 हजार 82 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है तथा शेष 3 हजार 304 पंचायतों में भी कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू हो गई है।

बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधायें सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार, सतत् प्रयत्नशील है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध

कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य योजनायें संचालित की जा रही हैं एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना राज्य का महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान होने एवं इसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए इसे विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 5 हजार 540 करोड़ रुपये की लागत से इसे 5 हजार 462 बेड के अस्पताल एवं 250 नामांकन के चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है जिसका कार्यारम्भ दिनांक 08.02.2021 को किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा तथा पूरे विश्व में यह दूसरे स्थान का अस्पताल होगा। यहाँ पर लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए इसे गंगा पथ एवं अशोक राज पथ के ऊपर बनने वाले एलिवेटेड पथ से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त पटना मेट्रो से भी इसे जोड़ा जा रहा है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में कुल बेडों की संख्या 2 हजार 732 किये जाने का कार्य जारी है। इस संस्थान में किडनी एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी का कार्य आरंभ हो चुका है। लीवर प्रत्यारोपण की भी सारी व्यवस्थाएँ की जा चुकी हैं। निकट भविष्य में हृदय प्रत्यारोपण आदि कार्य प्रारंभ किये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में राज्य कैंसर संस्थान के रूप में 100 बेड के अत्याधुनिक संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से कैंसर अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि हस्तान्तरित कर दी गयी है।

मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न माध्यमों से विविध प्रकार के सकारात्मक पहल किये गये है, जिसका प्रतिफल मृत्यु दर जो वर्ष 2005–06 में 312 था वह घटकर वर्तमान में 149 हो गया है। वर्ष 2005–06 में शिशु मृत्यु दर 61 था वह घटकर वर्तमान में 32 हो गया है। टीकाकरण का आच्छादन जहाँ 2005–06 में मात्र 11 प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है। बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। बिजली के सभी क्षेत्रों में यथा उत्पादन, संचरण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हर घर में बिजली पहुंचा दी गयी है। यह बिजली में हुए सुधार का ही नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहाँ 700 मेगावाट थी वह अब बढ़कर 5 हजार 932 मेगावाट से अधिक हो गयी है। राज्य में कृषि कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत् 1300 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है। देश में पहली बार स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन प्री–पेड प्रणाली के साथ बिहार में शुरू किया गया है और अब तक 1 लाख से भी अधिक प्री–पेड स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की बदौलत कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। कोरोना महामारी के बाद जब सारे कार्य लगभग बंद हो गये तो भी किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को चलाये रखा है। किसानों को घर तक बीज पहुँचाने के लिए बीज की होम डिलिवरी की शुरूआत की गयी। इस कार्यक्रम के तहत खरीफ–2020 मौसम में 49 हजार 246 किसान तथा रबी–2020 मौसम में 71 हजार 98 किसान लाभान्वित हुए। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा इसके लिए गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों एवं अन्य जिलों को मिलाकर कुल 13 जिलों का चयन किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु वर्ष 2020–21 में कुल 6 करोड़ 16 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राज्य के सभी पशुओं की पहचान हेतु इयर टैगिंग का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। राज्य में मत्स्यिकी क्षेत्र में आशातीत विकास हुआ है। 2019–20 में राज्य में 6 लाख 41 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ। अब मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। राज्य के सभी प्रखण्डों में स्वचालित मौसम केन्द्र के अधिष्ठापन का कार्य

समाप्ति पर है। साथ ही राज्य के सभी पंचायतों में स्वचालित रेन गेज लगाने का काम प्रगति पर है।

लोगों को मौसम के संबंध में सटीक सूचना उपलब्ध कराने हेतु बिहार मौसम सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। किसानों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ–साथ उनकी उपज का वाजिब मूल्य भी दिलाया जा रहा है। राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत तरीके से किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्रदान कराना है। इस वर्ष राज्य में धान की अधिप्राप्ति दिनांक 21.02.2021 तक की जाएगी। कुछ दिन पहले तक 6 हजार 478 समितियों के माध्यम से 4 लाख 14 हजार 868 किसानों से 30 लाख 22 हजार 536 मेट्रिक टन धान का क्रय किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा दलित–महादलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सरकार की रणनीति उन सभी नागरिकों को सशक्त बनाने की रही है, जो तुलनात्मक रूप से वंचित हैं और हाशिए पर हैं। सभी को बराबरी का अवसर मिले ताकि वे इसका फायदा उठा सकें और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। राज्य में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 91 लाख 85 हजार पेंशनधारियों को उनके बैंक खाते में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य में शहरीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के आलोक में 109 नयी नगर पंचायतों एवं 8 नये नगर परिषदों के गठन के अतिरिक्त 32 पुरानी नगर पंचायतों को नगर परिषद् में उत्क्रमित करने तथा 5 पुरानी नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। पटना में मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा इसे सितम्बर, 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के नये अवसर पैदा करने हेतु नयी संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2020 लागू की गयी है। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नई नीति बनायी गयी है, जिसके तहत् औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी सरकार के इन प्रयासों से जहां एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक बिहार वापस लौटे। अन्य राज्यों से वापस आये मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अन्तर्गत सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की गयी हैं। कई उत्पादों को बिहार एवं देश के बाहर भी निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के लोक उपक्रमों की मदद से प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर्स का विकास किया जा रहा है। इन प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं।

परिवहन विभाग के अंतर्गत आनेवाली सभी सेवाओं को ऑन–लाईन करते हुए अब वाहन निबंधन कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति कार्ड वाहन क्रेता को स्पीड पोस्ट द्वारा उनके आवासीय पता पर प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंचायत के 4 अनुसूचित जाति–जनजाति के तथा 3 अति पिछड़ा वर्ग के अर्थात् कुल 7 लाभुकों को वाहन की खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपया अनुदान के रूप में भुगतान किया जा रहा है। पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है।

इस वर्ष बिहार में पंचायत चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय में जिला पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से त्रिस्तरीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों

के प्रशिक्षण की सतत् व्यवस्था सुनिश्चित हो पायेगी। गत वर्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6 हजार रुपये की दर से कुल 22 लाख 58 हजार 626 परिवारों को कुल 1 हजार 355 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी। बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत कृषि विभाग को 945 करोड़ 92 लाख रुपये आवंटित की गयी।

बिहार राज्य में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं इनकी निगरानी करने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करते हुए भागलपुर में बिहार का पहला बर्ड रिगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गयी है। प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार का प्रथम राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 'कलरव' दिनांक 15 से 17 जनवरी, 2021 को जमुई जिले के नागी पक्षी आश्रयणी में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया तथा देश के विभिन्न हिस्सों से पक्षी विशेषज्ञों ने पक्षियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी साथ ही यहाँ पक्षी सचेतना केन्द्र का शुभारंभ भी कराया गया। राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल–जीवन– हरियाली अभियान के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। इस पर मिशन मोड में काम हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन मानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल–जीवन– हरियाली दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

इस अभियान अंतर्गत अद्यतन अतिक्रमित जल संचयन संरचनाओं में से 15 हजार 733 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 7 हजार 132 तालाबों एवं पोखरों, 5 हजार 574 सार्वजनिक आहरों 10 हजार 23 सार्वजनिक पइनों, 11 हजार 544 शहरी एवं ग्रामीण कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 65 हजार 537 सार्वजनिक कुओं एवं चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण तथा अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। छोटी–छोटी नदियों–नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन की 7 हजार 977 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नए जल स्रोतों का सृजन अंतर्गत कुल 11 हजार 647 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण अंतर्गत कुल 13 हजार 637 कार्य किये गए हैं। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अवयव अंतर्गत 3 करोड 90 लाख से अधिक पौधे लगाये गए हैं। इस अभियान अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया तथा नवादा शहरों में पेय जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गंगा जल उद्वह योजना का कार्य द्रुत गति से प्रगति में है। मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 2019 में 8 जिलों से की गई थी। वर्ष 2020 में इसे विस्तारित कर पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने जीविका के तहत सृजित सामुदायिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत सृजित तालाब एवं पोखरों को उनके रख–रखाव एवं उनका उपयोग मत्स्य पालन एवं अन्य उपयोगी गतिविधियों में करने के लिए उन्हें निःशुल्क जीविका के सामुदायिक संगठनों को देने का निर्णय लिया है। तालाब, पोखरों इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ उनके किनारे बसे लोगों को अपना घर बनाने के लिए जगह एवं गृह निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि प्रदान की जा रही है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी, जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का

द्वितीय सत्र दिनांक 19 फरवरी, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 24 मार्च, 2021 को समाप्त रहा है । इस सत्र में कुल–22 (बाईस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 19 फरवरी, 2021 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के सह–समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुईं । सप्तदश बिहार विधान सभा के बहुजन समाज पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री मो० जमा खान द्वारा जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल में विलय किए जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन बहुजन समाज पार्टी विधायक दल का जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल में विलय की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । इसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 तथा प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन–2) अध्यादेश, 2020 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा कुल–08 (आठ) जननायकों के निधन के प्रति शोक–प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 22 फरवरी, 2021 को वाद–विवाद प्रारम्भ हुआ और यह दिनांक 23 फरवरी, 2021 को भी जारी रहा । जारी वाद–विवाद का उत्तर दिनांक 23 फरवरी, 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 24 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2021–22. के आय–व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 25 फरवरी, 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा दिया गया ।

दिनांक 26 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद–विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 04 मार्च, 2021 को अमर कथा शिल्पी और महान साहित्यकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी जयंती पर आसन एवं सम्पूर्ण सदन की ओर से शत–शत नमन और वंदन किया गया दिनांक 08 मार्च, 2021 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आसन तथा सदन की ओर से महिला माननीय सदस्यों सहित राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी गयीं ।

दिनांक 17 मार्च, 2021 को माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1984–85 के अधिकाई व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । दिनांक 23 मार्च, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017–18 का सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018–19 के 'वित्त लेखे (खण्ड – 1 एवं 2)', 'विनियोग लेखे' तथा राज्य का 'वित्त' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के परिणाम बजट एवं ग्रीन बजट

पुस्तिका की प्रति, वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के जेंडर बजट एवं बाल कल्याण बजट पुस्तिका की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

इसी दिन प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा राजकीय संकल्प का प्रस्ताव यथा– कवि कोकिल 'विद्यापति' के नाम पर दरभंगा हवाई अड्डा का नाम 'विद्यापति एयरपोर्ट' किये जाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे सदन द्वारा पारित किया गया ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

1. बिहार विनियोग विधेयक, 2021.
2. बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2021.
3. बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021.
4. बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2021.
5. बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1984–85) विधेयक, 2021.
6. बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021.
7. बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2021.
8. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021.
9. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021.
10. बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2021.
11.. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
12. पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
13. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
14. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021.

दिनांक 24 मार्च, 2021 को बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री महेश्वर हजारी एवं माननीय सदस्य श्री भूदेव चौधरी के पक्ष में अलग–अलग नामांकन प्राप्त हुए थे । निर्वाचन के क्रम में विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें श्री महेश्वर हजारी 124 (एक सौ चौबीस) मतों से निर्वाचित हुए। श्री महेश्वर हजारी बिहार विधान सभा के 18वें (अठारहवें) उपाध्यक्ष चुने गए ।

सत्र के दौरान कुल–4397 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 3616 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 78 अल्पसूचित, 3075 तारांकित एवं 463 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या – 377, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर 132, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या – 1922, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या – 130, शेष 1055 प्रश्न अनागत हुए तथा 2847 प्रश्नों के उत्तर ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त हुए। इस सत्र में कुल–375 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 41 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 326 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गयी तथा 08 अमान्य हुई। इस सत्र में कुल–743 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 720 स्वीकृत हुए एवं 23 अस्वीकृत हुए। कुल–334 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 290 स्वीकृत एवं 44 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल 102 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान प्रत्येक दिन के प्रश्नकाल सहित सदन की अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र, पटना तथा डीडी बिहार चैनल, दूरदर्शन केन्द्र, पटना द्वारा किया गया । साथ ही साथ इसकी सीधी वेबकास्टिंग भी की गयी । इससे जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, उन्हें मैं साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों / कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन

किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सदस्यगण, हर्ष एवं उल्लास का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं । मेरी यह कामना है कि यह त्योहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाए ।

मां शारदा भवानी की आराधना से इस लोकतंत्र के मंदिर में पवित्र भावना से समभाव और सद्भाव के साथ हमने कार्य प्रारंभ किया । आप सबों के सहयोग से 19 फरवरी से जो यह सदन शुरू हुआ वह 19 मार्च तक बहुत ही तरीके से सुचारू रूप से चला । सदन प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रश्नों के जवाब ससमय आयें इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया। सभी माननीय मंत्रियों से भी हमने आग्रह किया कि वे मॉनिटरिंग करें और इस मॉनिटरिंग का परिणाम निकला कि कई दिन 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विभाग के जवाब आये। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों के प्रति जब गंभीरता दिखी तो उसने सकारात्मक और कारगर कार्रवाई की । विभाग के पदाधिकारियों ने भी जिस जिम्मेवारी के साथ काम किया है वे धन्यवाद के पात्र हैं । जिस विभाग ने सबसे बेहतर काम किया है उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं । प्रेस मीडिया के बंधुओं ने भी समाचारों का संकलन सकारात्मक भाव से किया। विधान सभा की गरिमा बढ़ाने में सभी का सहयोग रहा । कल दिनांक 23 मार्च को जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी । कारण जो भी हो परंतु यह कहीं से मर्यादित नहीं थी । इस पर हमलोग शर्मसार हुए हैं । भविष्य में ऐसी घटना फिर घटित नहीं हो, लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में हम सबलोगों को सजग रहने की जरूरत है ।

हमारा भी अध्यक्ष के रूप में पहला अनुभव है, हम आत्मनिर्भर बिहार की ओर कदम बढ़ाने के लिये सभी के साथ मिल कर चलने का भाव रखते हैं । आसन बिना दबाव के विधायकों के द्वारा लाये गये जनहित के विषय को गंभीरता से लेता है और जनहित की समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यकतानुसार निर्देश के रूप में सरकार से आग्रह भी करता है ।

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र का सारवृत्त

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 26 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 30 जुलाई को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तृतीय सत्र में कुल पाँच (05) बैठक संपन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रारम्भिक संबोधन

सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ सत्र के दौरान वरीय सदस्य सदन की परंपरा और गरिमा को समझते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बैठ जायं और सुनें । वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन, राजकीय विधेयक के लिए दो दिन एवं गैर सरकारी संकल्प के लिए एक दिन निर्धारित है ।

यह सत्र छोटा होते हुए भी महत्वपूर्ण है इसमें आप सबों की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की समस्याओं का निवारण करने के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आप सबों की अधिक–से–अधिक संख्या में उपस्थिति होने से ही सफल हो पायेगा । बिहार की जनता ने सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है । मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र सदस्य श्री राज कुमार सिंह निर्वाचन क्षेत्र सं0–144 (मटिहानी) द्वारा जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय किये जाने के अनुरोध पर भारत के संविधान के दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन लोक जनशक्ति पार्टी विधायक जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक–6 अप्रील, 2021

से प्रदान कर दी गयी है अब श्री राज कुमार सिंह, स०वि०स० जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं

माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण

'वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए,
पर जिंदगी कभी दुबारा नहीं मिलती है, वक्त बदलने के लिए

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 26 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल–05 (पांच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 जुलाई, 2021 को सप्तदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री राजकुमार सिंह, क्षेत्र संख्या–144 (मटिहानी) के भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन जनता दल (यूनाईटेड) विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 06 अप्रील, 2021 से प्रदान किये जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया । प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी । सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 13 (तेरह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल 33 (तैंतीस) जननायकों एवं कोरोना महामारी से राज्य तथा देश के कई लोगों के साथ–साथ दूसरों की जिन्दगी बचाने वाले बिहार के लगभग 115 (एक सौ पन्द्रह) चिकित्सकों एवं अनेकों कोरोना योद्धा के असमय काल कवलित हो जाने पर उनके प्रति शोक–प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 27 जुलाई, 2021 को सदन में पूर्व घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आसन द्वारा विस्तार से संदेश दिया गया और यह अपेक्षा की गयी कि इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो । साथ ही, आसन द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि हम सब संकल्प लें कि हम सभी बेहतर आचरण करेंगे कि आगे भविष्य में किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े । इस विषय पर दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में सभी दलों के नेतागण द्वारा अपने विचार व्यक्त किए ।

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को आसन द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सभी सदस्यों से अपनी प्राथमिकता एवं सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने तथा पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया और साथ ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर शुभकामना दी गई ।

दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018–19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, कि प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई एवं शेष मांगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुईं। तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ। इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

1. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021
2. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
3. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
4. बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
5. बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021.

6. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021.
7. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
8. बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2021.

इस सत्र में कुल– 822 प्रश्न प्राप्त हुए । इन 822 प्रश्नों में कुल 18 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए, 608 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 566 के उत्तर प्राप्त हुए साथ ही 153 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 33 के उत्तर प्राप्त हुए । इस सत्र में कुल 103 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं तथा 89 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजी गयी एवं 06 अमान्य हुईं। माननीय सदस्यगण, आज आपने जो इतिहास रचा कि 155 तारांकित प्रश्नों के 155 का जवाब इस सदन पटल पर आया । इस सत्र में कुल 122 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 121 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुए। कुल–65 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 61 स्वीकृत एवं 04 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के समिति के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जनता के बहुमूल्य आशीष से हमें इस मंदिर का सेवक बनने का मौका मिला है । जनता की पैनी निगाहें हमारे कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन करती हैं, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। लोकतंत्र में सार्वजनिक एवं सार्थक विमर्श से ही जनता का भला होता है। आप सबों ने आपसी सहमति से सत्र के सुचारू संचालन के लिए जो सकारात्मक वातावरण तैयार किया एवं जिस तरह सहयोग किया उससे जनहित के कई मुद्दों पर सरकार और भी सजग हो सकी । मैं विशेष रूप से आप सबों को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। सदन में आप सबों ने जिस निष्ठा, तत्परता, लगन, जागरूकता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के आगामी सत्रों में भी अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी प्रदान कर बिहार के जनमानस के कल्याण एवं हित के लिए काम करते रहेंगे और बिहार के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करेंगे। हम सब कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर सतर्क और सावधान रहकर कोरोना प्रोटोकोल का पालन करते हुए लोगों को इससे बचाव के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। आप सभी विधायकगण से मेरा आग्रह है कि अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना फ्रंट लाईन वर्करों को भी आप उत्साहित और प्रेरित करते रहेंगे ।

"साथ रहते यूं ही, वक्त गुजर जायेगा,
दूर होने के बाद, कौन किसे याद आयेगा,
जी लो ये पल, जब हम साथ हैं,
कल क्या पता, वक्त हमें कहां ले जायेगा'

ईश्वर की कृपा से यदि माहौल अनुकूल रहा, तब शताब्दी वर्ष के तय कार्यक्रम का प्रारंभ हम सब लोग मिल कर करेंगे, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक योद्धा और बुद्धिजीवी भाग लेंगे तथा नये राष्ट्र के संकल्प को साकार करेंगे। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं और अंत में माननीय सदस्यगण, आप सबों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 29 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। चतुर्थ सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय का प्रारम्भिक संबोधन

सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन निर्धारित है।

लोकतंत्र की इस पावन धरती पर संवैधानिक शासन स्थापित करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के तीन वर्षों के अंदर ही यहां संविधान का निर्माण कर लिया गया। सर्वोच्चता तो संविधान को ही मिली परन्तु आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सबसे प्रमुख स्थान मिला कालक्रम में यह महसूस किया गया कि इस देश में मौलिक अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों की भी उतनी ही महत्ता है। अब जैसे–जैसे इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वैसे–वैसे ही यहां लोगों में मौलिक कर्तव्यों के साथ–साथ समाज में नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इस कार्य में हम सब जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ।

यह सुखद संयोग ही है कि देश एक ओर अपनी आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो दूसरी ओर हम इस बिहार विधान सभा के इस ऐतिहासिक भवन का शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रहे हैं । शताब्दी वर्ष समारोह में 21 अक्टूबर, 2021 को माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ काविंद जी ने आकर और अपने सम्भाषण से बिहार विधायिका को जो मार्गदर्शन किया है, वह आने वाले कई वर्षों तक हमारे लिए नजीर बना रहेगा। उनके कर–कमलों द्वारा विधान सभा परिसर में बोधगया से लाये गये पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया गया है, जिससे यह परिसर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भरपूर रहेगा उनके द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया है जो हमारी राजनीतिक विरासत से नई पीढ़ी को हमेशा अवगत करायेगी ।

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारम्भ किये गये नैतिक एवं समाजिक संकल्प अभियान से संबंधित विषय का उल्लेख शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह तथा इसके 82वें सम्मेलन के दौरान मेरे भाषण में किया गया, जिसकी सराहना सभी पीठासीन पदाधिकारयों द्वारा की गयी और इसके लिए जन–जागरूकता अभियान चलाने पर भी संकल्प लिया गया ।

हम पूरे सदन की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं साथ ही इस समारोह के सफल आयोजन के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार सरकार एवं बिहार के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं ।

सौ वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर में बिहार विधान सभा ने जनसमस्याओं के निवारण और जन–जीवन को सुखी बनाने के लिए अद्भूत प्रयास किये हैं। उस प्रयास की कड़ी को पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा से हमें आगे बढ़ाना है।

यह सत्र छोटा होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है क्योंकि प्रदेश की समस्याओं के निवारण के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आपकी अधिकाधिक संख्या में सदन की मर्यादा और परंपरा के अनुकूल उपस्थिति से ही सफल हो पायेगा।

यह सदन बिहार की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है और जनता ने बड़ी सजगता से भरोसा कर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को बिहार के हित में सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। उनकी पैनी निगाहें हमारी निगाहवानी कर रही है। हमें उनकी आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन में खुशियां लाने के

लिए अपने दयित्वों को पूरी सकारात्मकता से निभाना है।

मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण

सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज समापन होने जा रहा है। पांच दिनों के इस सत्र में सत्ता पक्ष की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा विपक्ष की जागरूकता एवं सहयोग से यह सदन सकारात्मक सत्र का गवाह बना है। बीच में कुछ अप्रिय प्रसंग भी आये लेकिन माननीय सदस्यगण आप सबने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए उस रास्ते, जिसमें उन्होंने सहिष्णुता एवं उद्देश्य की पवित्रता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य माना था, पर चलते हुए न केवल जन आकांक्षाओं का ख्याल रखा, बल्कि सदन की मर्यादा का भी अनुपालन किया। इसके लिए आप सभी माननीय सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

माननीय सदस्यगण, यह सत्र एक सकारात्मक सत्र होने के साथ–साथ ऐतिहासिक भी रहा । मुझे आपसे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लोक सभा की तर्ज पर सदन की सहमति से सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ और समापन राष्ट्रगीत से होगा । इस सत्र के प्रत्येक कार्यदिवस में सारे विभागों से शत–प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए । इसके लिए सरकार के सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं। विधान सभा में पहली बार जीत कर आये माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान क्रम से परे होकर प्रश्न पूछने में प्राथमिकता दी गयी। सिवान जिले में पांच सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त और सम्मानों से पूर्ण कार्यक्रम के तहत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस सत्र के दौरान सिवान जिले के बच्चों को सदन की कार्यवाही देखने का अवसर मिला ।

आप ही के सिवान जिले की बात कर रहे हैं । इस जिले के सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

"लीक पर वे चले जिनके पद दुर्बल और हारे हैं,
हमारी तो यात्रा से जो बने हमें अनिर्मित पथ प्यारे हैं ।"

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021.

सप्तदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । कुल नौ जननायकों के निधन के प्रति शोक– प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 30 नवम्बर, 2021 को माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री राणा रणधीर की जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के पश्चात् आसन द्वारा प्रभारी मंत्री जल संसाधन को निदेश दिया गया कि बड़हिया–मोकामा टाल क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य योजना जो बनायी गयी है उसका शीघ्र कार्यान्वयन करें तथा साथ ही बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को यह विषय सौंपते हुए यह भी निदेश दिया गया कि समिति इस कार्य का पर्यवेक्षण करेगी और अगले सत्र में इस संबंध में किए गए कार्य से अंतरिम प्रतिवेदन के माध्यम से सदन को सूचित करेगी ।

दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019–20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)', 'विनियोग लेखे' तथा 'राज्य का वित्त' जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड – 1 एवं 2 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021–22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के

अनुदान की माँग पर वाद–विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुईं एवं शेष माँगें गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

(1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

(2) बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(3) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021

(4) बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2021

इस सत्र में कुल 890 प्रश्न प्राप्त हुए इन 890 प्रश्नों में कुल 31 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, 649 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए शत प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए।

इस सत्र में कुल 101 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 90 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को भेजी गयीं एवं 03 अमान्य हुईं।

इस सत्र में कुल 129 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 127 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए कुल 48 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 46 स्वीकृत एवं 02 अस्वीकृत हुईं। इस सत्र में कुल 91 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, नियमावली एवं अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ। समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ । सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं माननीय सदस्यगण, क्रिसमस एवं नव वर्ष, 2022 के शुभागमन की बेला में, मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नव वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ ।

"साथ सदन का हो तो, इतिहास नया बनेगा,
यह समृद्ध बिहार अपना, कीर्तिमान नया गढ़ेगा ।"

शिमला में आयोजित 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

श्री विजय कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, बि0वि0स0 : परम आदरणीय लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी एवं यहां देश भर से आये पीठासीन अधिकारियों को नमस्कार !

यह सुखद संयोग है कि शक्ति की भूमि, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पीठासीन पदाधिकारियों के 100 वर्ष पूरे होने पर हम बैठे हैं तो दूसरा, बिहार विधान सभा का शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और तीसरा हमलोग भारत की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी मना रहे हैं । इन सौ वर्षों के दौरान कई संकल्प हमलोगों ने लिये हैं और इस सफर में कई उतार चढ़ाव को देखा है, कई बार वातावरण ने नकारात्मक और सकारात्मक माहौल से गुजरते हुए लोकतंत्र को मजबूत किया है । माँ भारती की संतानों के मन–मस्तिष्क में यह लोकतंत्र का भाव हमेशा साकार रूप लेता रहा है। यहां की संस्कृति विरासत के कण–कण में विराजमान है। हर आत्मा का सम्मान, कल्याण हमारा ध्येय है, यह लोकतंत्र की मूल आत्मा का भाव रहा है और इसी भाव के कारण वसुधैव कुटुम्बकम् के वातावरण को लेकर हमारा सफर गणतंत्र की जननी, बिहार की भूमि से और जगत जननी मां सीता की धरती से प्रारंभ हुआ । भगवान महावीर, जैन धर्म से लेकर, भगवान बुद्ध और दसवें गुरू गोविंद सिंह जी से लेकर महात्मा गांधी जी तक को बिहार ने गोद में लिया और उन्हें महापुरुष बनाया । देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने इसी गणतंत्र की धरती से अपना सफर शुरू किया । संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान की मूल आत्मा की भावनाओं को यहां के लोकहित, लोकभाषा, लोकभूषा और लोकभाव को संविधान के हर पार्ट पर उकेरा । आज भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र मूल अधिकार (फंडामेंटल राइट) में प्रथम पृष्ठ पर मौजूद है, हर पृष्ठ पर हमारी संस्कृति का चित्र मौजूद है और उस चित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि–

''निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान,
वह नर नहीं, पशु के समान ।''

राष्ट्र की जो मूल आत्मा है, मूल संस्कृति है, मूल विरासत है, परंपरा है, हम उसको स्वीकार करते हुए नये वातावरण की ओर कदम बढ़ायें, नये माहौल को स्वीकार करें। आज जो विषय रखा गया है वह है संविधान सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेवारी । हमारे कई बड़े अनुभवी मूर्धन्य लोग बैठे हैं जिनसे हमलोग सीखते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं । मुझे तो पहली बार अवसर मिला और जिस दिन मुझे इस दायित्व के प्रति बताया गया तो मुझे लगा, जब मैं अपने सदन के अंदर अध्यक्ष के चैम्बर में जाता था वहां सब बुजुर्गों के चित्र देखता था तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं । आज लोकसभा के अध्यक्ष जी और मैं, हमलोग साथ में केंद्र और राज्य के सामाजिक, राजनीतिक संगठन में काम कर रहे थे । मैंने जो शुरुआत की आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस गणतंत्र की धरती में, बिहार विधान सभा में हमारे यहां कई ऐसे विषय आये– पहला सेशन जब शुरू हुआ अध्यक्ष के चुनाव के बाद और दूसरा बजट सत्र का प्रारंभ हुआ, 22 दिन के सदन में 21 दिन सदन चला, 21 दिन के सदन में एक भी घंटा सदन की कार्यवाही बर्बाद नहीं हुई । सारे सदस्यों ने 21 दिन सदन चलाया और 22वें दिन जब कुछ हंगामा हुआ, कुछ नये सदस्यों की संवादहीनता के कारण या जानकारी के अभाव में हुआ । आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने या पूर्व के वक्ताओं ने संबोधन में बताया कि नये सदस्यों को प्रशिक्षण की जरूरत है जिसके अभाव में इस तरह की दुखद घटना सदन के अंदर घटती है । फिर हमारा मानसून सत्र चला,

मानसून सत्र में जितना समय तय था उतने तक शत प्रतिशत हमारा सदन चला । आपको बताते हुये मुझे खुशी हो रही है कि शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया । पहले हमारे पास 15 से 25 परसेंट प्रश्नों का जवाब सभा पटल पर आता था लेकिन बिहार विधान सभा में आजादी के बाद पहली बार शत प्रतिशत प्रश्नों के जवाब हमारे सदन पटल पर आया । मैंने माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक एवं विमर्श करके पहले के प्रश्नों का जवाब नहीं आने का विभाग से स्पष्टीकरण मांगा तो उसका परिणाम हमें दिखाई पड़ा कि शत–प्रतिशत प्रश्नों का जवाब सदन के अंदर आने लगा । इतना ही नहीं, बिहार में प्रश्नों के संदर्भ में हमने ऑनलाइन प्रणाली विकसित की, क्वेश्चन रिप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया, अब हमारे माननीय सदस्य ऑनलाइन प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ऑनलाइन माध्यम से सरकार देती भी है । प्रारंभ से ही इस सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रियाओं में उचित समन्वय सुनिश्चित करना था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वन नेशन, वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म की बात कही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या पोर्टल जो सभी विधायिकी निकायों को जोड़ने का कार्य करे । आवश्यकता है कि लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष इसमें पहल करने की कृपा करें । हमने सदन को, सदन के प्रति अकाउंटबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के शत–प्रतिशत उत्तर देने के लिए जो सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिये हैं उसका परिणाम चलते हुये सदन में ही नहीं, सदन के बाद भी दिखाई पड़ता है जिसका असर क्षेत्र में भी पड़ता है और विकास की गति बढ़ती है । विधायकों की रुचि सदन के अंदर बढ़ने लगी है । सत्ता पक्ष और विपक्ष की संख्या के बीच बहुत कम का अंतर है लेकिन सदन का शत प्रतिशत चलना, सभी विधायकों की सकारात्मक पहल, सरकार की सजगता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की भी सकारात्मक सोच और हमारे सभी सदस्यों के सहयोग से यह संभव हो सका । आज सदन के अंदर कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये। बिहार विधान सभा सचिवालय में अवस्थित पुस्तकालय में पहली बार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा हमने शुरू की, जिससे कुछ लोगों के मन में धर्मनिरपेक्षता का भाव उतरा । हमने संदेश दिया कि जब संविधान की किताब में हमारे सारे देवी–देवता का चित्र है और संविधान के पृष्ठ पर हमारी संस्कृति की झलक है तो ज्ञान की देवी को इस सदन को चलाने के लिए, इनकी आराधना, पूजा उचित है और इसे लोगों ने स्वीकार भी किया । माननीय विधायकों के प्रोटोकॉल और सम्मान से संबंधित सभी जिलाधिकारी, सभी एस0पी0 को हमने निर्देश दिया कि माननीय विधायकों को जो जनता के विश्वास को जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर में आते हैं उनके प्रति आपका सम्मान और आपकी ईमानदारी से पहल आवश्यक है और नहीं तो विशेषाधिकार के तहत, प्रोटोकॉल के माध्यम से हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, एक्शन लेंगे और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है । बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कर–कमलों से हमने शुरू कराया । बहुत सारे माननीय विधायकों ने उत्साहित होकर इसमें रुचि ली । माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर–कमलों से भी उस कार्य को मूर्त रूप दिया गया है उसकी झलक कई रूपों में दिखाई पड़ रही है । इससे सकारात्मक वातावरण बना और अपने विरासत के बारे में नये विधायकों को जानने का अवसर भी मिला है। इसके माध्यम से पूरे राज्य की और देश की जनता को बिहार की संस्कृति के बारे में भी जानने का अवसर मिला। पहली बार सदन की कार्यवाही हमने यू–ट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया, जिसका परिणाम है कि गांव में लोग इसे क्रिकेट कमेंट्री की तरह मोबाइल में देखते हैं । गांव की दो–तिहाई आबादी नौजवानों की है । जब भी सदन चलता है, तो गांव के नौजवान मोबाइल चालू कर देते हैं और देखते हैं कि मेरे विधायक यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं, वि0स0 अध्यक्ष क्या कर रहे हैं आदि । जीरो ऑवर के दौरान माननीय सदस्यों को रिकॉर्ड मौका हमने दिया, हमारे यहां 15 शून्यकाल लिये जाते थे, हमने 76 शून्यकाल तक का रिकॉर्ड अवसर लोगों को दिया है। बजट सत्र के समापन पर सदन के अंदर उत्साहपूर्वक पहली बार वसंत उत्सव का आयोजन भी हमने किया है । बिहार विधान सभा के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों, सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मियों तथा उनके परिजनों और सभा सचिवालय के सेवानिवृत्त परिजनों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई । हमने कोरोना काल में विशेष तौर पर

हमारे कर्मचारियों, पूर्व विधायकों, वर्तमान विधायकों सभी के लिए यहां एक कंट्रोल रुम बनाया जो 24 घंटे एक्शन में रहा और लोगों की मदद की गई । दिनांक– 21.10.2021 को विधान सभा के अंदर माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा स्मारिका का भी विमोचन किया गया, जिसकी कॉपी हम माननीय सभी विधान सभा अध्यक्ष के यहां भी भेजने की व्यवस्था बना रहे हैं । पांच सामाजिक संकल्पों का अभियान माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर–कमलों से हमने शुरू किया । लोकतंत्र के मंदिर विधान सभा में सिर्फ विधायिकी कार्य ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है । माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय को जिस विस्तार के साथ रखा मन के अंदर, जेहन के अंदर आज कई वर्षों से सदन के अंदर हम भी बैठते हैं लगता है कि सिर्फ हां और न का पक्ष हम निभाते रहें हमारी जिम्मेदारी उतनी ही नहीं है, हम समाज के प्रति निःस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आये हैं और अगर कोई मेवा प्राप्त करने के लिए राजनीति में आता है तो वह राजनीति को दूषित और अपवित्र कर देता है । जब सेवा के भाव से आये हैं तो जनसेवा के भाव से कानून बनाने के लिए नहीं, जब बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू हुआ, उस समय मैं प्रतिपक्ष में था, मैंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में जहां कानून बन रहा है इस कानून के मंदिर में बैठे हुये लोग पहले शपथ लें कि हम नशामुक्त बिहार बनायेंगे, तभी इस विधेयक पर वोटिंग हो और विधेयक पास हो । इस पर सभी ने उठकर, सभी दल के लोगों ने एक साथ उठकर संकल्प लिया था । आज उस संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमने यह अभियान शुरू किया है पांच सामाजिक संकल्पों से समाज को, पांच सामाजिक अभिशाप से मुक्त, नशामुक्त हमारा परिवार, अपराध मुक्त हमारा परिवार, बाल–विवाह मुक्त हमारा परिवार, बाल–श्रमिक मुक्त हमारा परिवार और दहेज मुक्त हमारा परिवार, हमने अध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति महोदय के सामने यह संकल्प लिया और मैं अपने सभी माननीय सदस्यों के घर पर जाकर संकल्प के अभियान की शुरूआत करने जा रहा हूं । यह संकल्प सदन के अंदर चर्चा में भी आया और सब ने सदन के अंदर इसपर सहमति व्यक्त की कि यह एक अच्छी पहल हुई है । सदन के अंदर बैठने वाले, कानून बनाने वाले हमलोग उसका पालन नहीं करेंगे और हमारे आपके जैसे लोगों के माध्यम से, सदन के अंदर जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं अगर वही इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो जनता को स्वीकार करने में काफी कठिनाई होगी । उसी तरह से पांच सामाजिक वरदान युक्त हमारा परिवार हो, स्वच्छता युक्त हमारा परिवार हो, योगा आयुर्वेद युक्त हमारा परिवार हो, जल संचय युक्त हमारा परिवार हो, प्रकृति युक्त हमारा परिवार हो और विरासत युक्त हमारा परिवार हो। आज जिस विरासत की बात करते हैं हमने अपने राज्य के अंदर आह्वान किया है, लोगों को कहा है कि अगर कोई विधायक बनता है अपने परिवार की वह विरासत है हर परिवार अपनी विरासत का चित्र लगायें और आने वाली जेनरेशन को बतायें कि आपके परिवार की यह विरासत है । आपके ब्लॉक का, आपके पंचायत का, आपके जिला का, आपके स्टेट की यह विरासत है । जिस परिवार में विरासत नहीं है उस बच्चे को संकल्प दिलायें कि आप परिवार की विरासत बनो, किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करके उस परिवार की विरासत के रूप में तुम जाने जाओ । हर विधान सभा के विरासत की मैं प्रदर्शनी लगाने का भी कार्य का जब समापन करूंगा उस समय यह वातावरण बनाने जा रहा हूं और पांच सामाजिक सम्मान से पूर्ण हमारा परिवार हो, डिजिटल साक्षर हमारा परिवार हो । कोरोना काल ने बता दिया, देश के प्रधानमंत्री जी भविष्यवक्ता के रूप में जो डिजिटल वातावरण बनाना चाहते थे उसका परिणाम दिखाई पड़ा कोरोना काल में । आज डिजिटल साक्षर परिवार, डिजिटल संवाद, वर्चुअल संवाद के माध्यम से हम अपने को बचा सके, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके । जो डिजिटल साक्षर परिवार है उसका सम्मान हो, हर पंचायत, ब्लॉक और जिले के अंदर, हर विधान सभा के अंदर उस परिवार का सम्मान हो । दूसरा, जो स्वरोजगार प्रेरक हैं जिस परिवार का हर सदस्य स्वरोजगार में लगा हुआ है उस परिवार का भी सम्मान होना चाहिए ताकि हमारे नौजवान प्रेरणा प्राप्त कर सकें । तीसरा, रोजगार सृजनकर्त्ता, स्वरोजगार के साथ–साथ रोजगार का सृजन करने वाले परिवार का भी सम्मान हो और चौथा हमारा है सामाजिक योद्धा, जो समाज के प्रति अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाकर आपदा में, विपदा में, दुख में, संकट में, बीमारी में जो मदद करता है उसका सम्मान हो और

लास्ट में हमने कहा कि सेवा समर्पण दाता, यह धरती दान की धरती रही है और बिहार की धरती ही दानवीर कर्ण की धरती रही थी फिर से एक बार इसका प्रारंभ हो, दान करने वाला आदमी, संकट में मदद करने वाला व्यक्ति, समाज को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, दान चाहे किसी भी तरह का हो वैसे व्यक्ति का सम्मान हो । यह अभियान मैं शुरू करने जा रहा हूं । मैंने तो हर जिले के अंदर विधान सभा अध्यक्ष के नाते अपना एक कार्यक्रम भी बनाया है कि हम सुबह में अपनी संस्कृति और विरासत का दर्शन करेंगे अपने वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ । उसके बाद हम विधायकों के घर पर पांच सामाजिक अभिशाप मुक्त, वरदान युक्त और सम्मानपूर्ण का बोर्ड लगाकर संकल्प करायेंगे । तीसरा है युवा संसद के माध्यम से, जो युवा संसद आप लोग करवा रहे हैं सदन के अंदर भी चला है । आप ही लोग से प्रेरणा प्राप्त कर के युवा संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण सब रहेगा लेकिन उसमें जो विषय हमने रखा है वह है हमारा संवैधानिक अधिकार और कर्त्तव्य । हम कर्त्तव्य और अधिकार की खूब लड़ाई लड़ते हैं, अधिकार की बात करते हैं लेकिन आज जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया, इस विषय को मैंने पहले ही घोषित किया है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य क्या है ? हर युवा के बीच में यह बहस का विषय बनेगा, युवा संसद के माध्यम से जिले के अंदर उसकी शुरूआत होगी और उसके बाद पदाधिकारियों के साथ अपने जिले के जिलाधिकारियों के साथ, विशेषाधिकार, प्रोटोकॉल और सदन के आश्वासन के संदर्भ में भी बैठक करेंगे और अंत में बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर के उनके सम्मान का कार्यक्रम करेंगे । यह अभियान हम अपने बिहार विधान सभा के हर जिले के अंदर शुरू करने जा रहे हैं । हम तो कहना चाहेंगे कि आज कई परिवर्तन हो रहे हैं पहले सुनते थे कि अपने पीठासीन जो निर्णय देते थे उस निर्णय को सदन भी गंभीरता से लेता था पक्ष–प्रतिपक्ष भी स्वीकारते थे, लेकिन जो विगत काल खंडों में दृश्य उभरकर आया है जैसा आचरण और व्यवहार हो रहा है यह कहीं न कहीं एक बार विचार करने की आवश्यकता है, इसमें कमी कहां है और हमारे अधिकार संविधान के अंदर जो मिला है उसमें विधायिका में न्यायपालिका का बढ़ता हस्तक्षेप एक बड़े खतरे की घंटी है। यह स्थिति उत्पन्न नहीं हो, यह वातावरण नहीं बने, हस्तक्षेप का मौका नहीं मिले इस पर गंभीरता से भी विचार करने की जरूरत है। विधायिका देश की जनता की भावनाओं के, विश्वास को जीतकर आती है, न्यायपालिका उस भावना की कद्र करती है लेकिन न्यायपालिका अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन के साथ–साथ विधायिका पर जो कमेंट करता है वह कतई स्वीकार्य नहीं है। विधायिका के बारे में जिस तरह से अभी हाल–फिलहाल में कमेंट पास हुआ कि जनप्रतिनिधि के अपराधी छवि पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिम्मेवारी किनकी तय होनी चाहिए, लंबे समय तक विधायिका से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले कोर्ट के अंदर क्यों घूमते रहते हैं । स्पीडी ट्रायल के माध्यम से निर्णय कर दें तो यह राजनीति पवित्र हो जायेगी और भ्रष्टाचार का खात्मा भी होगा, जिससे एक नया संदेश भी जायेगा । विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपनी–अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए । हमारी कमेटी है अभी ठीक कहे कि कमेटी एक औपचारिकता बनकर रह गई है क्यों औपचारिकता रहेगी, कमेटी के महत्व को बढ़ाना होगा, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना होगा, उसके अधिकार और ताकत को सरकार के साथ समन्वय बनाकर एक नया वातावरण तैयार करना होगा ताकि कार्यपालिका को इसकी ताकत दिखाई पड़े, एक माहौल खड़ा हो, एक वातावरण बने । इस माहौल के लिए हम आग्रह करेंगे कि हम तो नये हैं, कई पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कई अभिभावक तुल्य बैठे हैं उनसे भी प्रेरणा प्राप्त करनी है लेकिन मन के अंदर जो भाव और विचार है इस भाव–विचार को जमीन पर उतारना है । लेबर मिनिस्टर के नाते मैं जेनेवा गया और हमने यही देखा कि भारत के प्रति उनकी सोच बदल रही है । यह कथन कोई हम नहीं कह रहे हैं, कोई राजनेता नहीं कह रहे हैं, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व गुरू बनेगा और आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं । धैर्यता के साथ 21वीं सदी में गवाह बनने के लिए न बैठें, बल्कि 21वीं सदी में भागीदार बनने के लिए, एक नये परिवर्तन के लिए हमको, आपको मिलकर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना होगा, इसी के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद ।

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा आयोजित सिवान, शेखपुरा, दरभंगा एवं वैशाली जिला के युवा संसद कार्यक्रम के दौरान मा. अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन

युवा संसद, सिवान, तिथि- 25.11.2021

(माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग एवं जिला के अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर युवा संसद कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।)

अध्यक्षीय संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले युवा संसद के बीच वहां उपस्थित माननीय पर्यटन मंत्री, माननीय विधायक गण तथा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता का शासन , जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीन अंग न्यायपालिका, विधायिका , कार्यपालिका है । हमारे गणतंत्र की पृष्ठभूमि बहुत ही ऐतिहासिक रही है। हमारी सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। हम ईश्वर के रूपों की जो परिकल्पना करते हैं, वही लोकतंत्र की है। विधायिका ब्रह्मा जी द्वारा रचित विधान से, पालनकर्ता जगतपिता विष्णु जी की भूमिका कार्यपालिका की तथा महादेव के सृजन और दंडात्मक प्रक्रिया को मूर्त रूप देने वाली शिव स्वरूप न्यायपालिका है।

जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों से शासन की प्रक्रिया चलती है । विधायिका का कार्य विधान बनाना है, सत्र के दौरान विभिन्न विधायी उपायों जैसे प्रश्नोत्तरकाल, जिसमें माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं सरकार उत्तर देती है, संतुष्ट नहीं होने के बाद सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा शून्यकाल, ध्यानाकर्षण तथा निवेदन इत्यादि अनेक माध्यम हैं जिसमें विधायक अपने प्रश्न और सूचना देकर जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं । युवा संसद के आयोजनों का मकसद है कि हम युवाओं को संसदीय परंपरा और नियमों से अवगत करायें जिससे युवाओं को संसदीय परंपरा, व्यावहारिक ज्ञान की समझ बढ़ेगी । जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के लिए संसदीय प्रणाली में प्रश्नोत्तरकाल बहुत महत्व रखता है। जनहित मामले जैसे सड़क, बिजली, पानी, इत्यादि महत्वपूर्ण पहलुओं तथा जन समस्याओं का समाधान एवं निराकरण प्रश्नोत्तर काल का मुख्य ध्येय होता है। प्रश्नोत्तरकाल में दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला, अल्पसूचित प्रश्न जो अति लोक महत्व के विषय के होते हैं तथा दूसरा तारांकित । प्रश्नोत्तरकाल एक घंटे का होता है। 12.00 बजे से लेकर 12 बजकर 20 मिनट तक शून्यकाल होता है। विधान सभा में पहले , शून्यकाल की 15 सूचनाएं ही हो पाती थीं पर अब 76 सूचनाएं तक सम्मिलित हो जा रही हैं । फिर ध्यानाकर्षण सूचनाएं होती हैं जो विभागों के लिए स्वीकृत की जाती हैं जिसकी तिथि तय होकर सरकार का उत्तर सदन में होता है तथा शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को विचार के लिए सौंपी जाती हैं।

युवा शब्द दो अक्षर से बना है यु और वा यानी युग का वाहक । आज भारत के अंदर अनेक परिवर्तन हुए हैं । हमने 21वीं सदी में कदम रखा। जहाँ विश्व की बड़ी आबादी बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ा चुकी है वहीं भारत की दो तिहाई आबादी जवानी की ओर कदम बढ़ा रही है। इसकी भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में ही की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्वगुरू बनेगा। आज इस माँ भारती के भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है भारत के लोगों ने हाथ बढ़ाकर विश्व की सेवा के लिए एक

नया उदाहरण पेश किया। इस माँ भारती की धरती पर जिस किसी ने भी जन्म लिया है चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, भाषा, क्षेत्र का हो उस पर अपनी विरासत बढ़ाने की जिम्मेवारी है। 21वीं सदी में हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, बिहार विधान सभा का शताब्दी वर्ष भी है और पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का भी शताब्दी वर्ष है । पहली बार युवा संसद का कार्यक्रम जो बिहार में शुरू किया गया है वह डॉ0 राजेन्द्र बाबू की धरती पर हुआ है। लोकतंत्र के सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष की धरती से शुरू हुआ है। आप युवाओं पर समाज की बेहतरी की जिम्मेदारी है। आप सभी विधायक के स्वरूप को, विधायक की गरिमा को और विधायक की महत्ता को अपने में समाये। एक नया इतिहास रचने को सभी को मिलकर कदम बढ़ाना है। अंत में......

''अपने लिए जीना एक कहानी है,
औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है ।''

हमने तो वसुधैव कुटुम्बकम का भाव लेकर पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सेवा का संकल्प लिया है । इतिहास गवाह है कि भारत के लोग हमेशा अपने स्वार्थ का त्याग कर लोगों की सेवा में लगे रहे हैं। जीरादेई की धरती पर हम लोगों ने तमाम विधायकों के द्वारा इस समाज के अंदर एक नये 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, जिसके अंदर पांच सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरूआत की गयी है, जिसमें यह संकल्प रहेगा कि हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, हमाँरा परिवार अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रमिक मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा, हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा । यह है पांच सामाँजिक अभिशाप से मुक्ति का संकल्प और अब पांच सामाजिक वरदान से युक्त का संकल्प कि हमाँरा परिवार स्वच्छता युक्त, हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त, हमारा परिवार जल संचय युक्त, हमारा परिवार विरासत युक्त, हमाँरा परिवार प्रकृति युक्त और हमारा परिवार विरासत युक्त हो । यहां बैठे हर परिवार में कोई न कोई अपने परिवार की पहचान है। आपसे आपका क्षेत्र, जिला, राज्य और राष्ट्र जाना जाता है आज पूरे राज्य को डॉ0 राजेन्द्र बाबू के नाम से जाना जाता है । हम सब को मिलकर संकल्प लेना है कि हम अपने परिवार की विरासत बनेंगे। इस संकल्प को भी पूरा करना है और पांच सामाजिक सम्मान से पूर्ण हमारा परिवार डिजिटल साक्षर हो, हमाँरा परिवार स्वरोजगार प्रेरक हो, परिवार का हर सदस्य रोजगार में लगा हो, हमारा परिवार रोजगार सृजनकर्ता हो ताकि अपने रोजगार के साथ–साथ रोजगार दे सकें। हमारी शुभकामना है कि आप इस धरती की विरासत को बढ़ाने वाले हों। सभी प्यारे बच्चों को हमारी शुभकामना । हम आपके माध्यम से संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को युवा संसद में देखेंगे जिसमें नेता सदन भी होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, विधान सभा के अध्यक्ष भी होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे और माननीय विधायक होंगे । आपके इस स्वरूप को देखकर हम गौरवान्वित होंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष की देखरेख में युवा संसद की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें युवा सांसद बने बच्चों ने सदन में होने वाले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्शण, शून्यकाल इत्यादि पर संजीदगी से चर्चा की। साथ ही, युवा सांसदों द्वारा संवैधानिक अधिकार और कर्त्तव्य पर वाद–विवाद का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा युवा संसद के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। अपने समापन भाषण में उन्होंने सभी को पाँच सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त, सम्मानों से पूर्ण होने का संकल्प दिलाया और अपने देश को 21वीं सदी का गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित भी किया। संकल्प के बाद माननीय विधायक मुसाफिर पासवान के निधन पर शोक संवेदना

युवा संसद, शेखपुरा, तिथि - 15.12.2021

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा : आज विरासत को नमन करने के बाद हमने आजादी के पूर्व इस सूबे के पूर्व प्रधानमंत्री और आजादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया ।

लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य की विधान सभा और देश की लोक सभा की झलक आपके माध्यम से दिखाई देगी। गणतंत्र की धरती बिहार के कण–कण में गणतंत्र के प्रति समर्पण के भाव भी प्रदर्शन करने वाले इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे । आज इस युवा संसद के कार्यक्रम में विधान सभा के अंदर सदन कैसे चलता है यह दिखेगा । विधान सभा के अंदर हमारे अध्यक्ष, सदन नेता, विपक्ष के नेता, मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण सबके स्वरूप की झलक भी दिखायी पड़ेगी ।

युवा संसद, दरभंगा, तिथि- 27.12.2021

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा : आज बाल युवा संसद में आये हुए हमारे श्रम संसाधन मंत्री श्री जिवेश मिश्रा जी, दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल ठाकुर जी, दरभंगा जिला नगर के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी, दरभंगा ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री ललित कुमार यादव जी, केवटी के विधायक श्री मुरारी मोहन झा जी, कुशेश्वरस्थान के हमारे विधायक श्री अमन भूषण हजारी जी, बिहार विधान परिषद् के सदस्य श्री अर्जुन सहनी जी एवं यहां पर उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु, युवा मित्रो, प्रेस मीडिया के बंधुगण !

इस कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने लघु फिल्म को देखा । बिहार विधान सभा ने बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से अलग होकर जो सफर लोकतंत्र में तय किया है, उस सफर के जो योद्धा थे, प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक, प्रथम बिहार विधान सभा अध्यक्ष से वर्तमान अध्यक्ष तक उन्हें देखा । बिहार लोकतंत्र की जननी है । लोकतंत्र के लिए सबसे आदर्श भगवान राम हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया । आज लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की गरिमा और लोकतंत्र में आस्था, आप सबको युवा संसद के माध्यम से दिखाई पड़ेगी। इससे पूर्व पांच सामाजिक अभिशाप से मुक्त, पांच सामाजिक वरदानों से युक्त, पांच सामाजिक सम्मानों से पूर्ण संकल्प सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों ने लिया। इस बाल युवा संसद कार्यक्रम के बाद यहां पर भी संकल्प होगा, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं और यही हमारे नव भारत के निर्माता भी हैं । आपके माध्यम से जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, गणतंत्र को गौरवशाली बनाने के लिए बिहार विधान सभा का यहां प्रतीकात्मक सेशन चलेगा, जिसमें विधान सभा अध्यक्ष होंगे, नेता सदन होंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, तमाम हमारे माननीय विधायक होंगे । प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण तथा संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्त्तव्य विषय पर वाद–विवाद होगा । आप विधान सभा में श्री ललित कुमार यादव जी को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में देखते होंगे और बगल में सत्ता पक्ष के हमारे श्री संजय सरावगी जी को और हमारे माननीय विधायकों को देखते होंगे । श्री जिवेश कुमार जी को सरकार के मंत्री के रूप में देखते होंगे । आज वह भूमिका आपको निर्वहन करनी है, हमलोग दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और हमलोग देखेंगे । इस भूमिका के पीछे उद्देश्य है कि यह बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाय । हर जिले के अंदर कार्यक्रम का शुभारम्भ आप लोगों के माध्यम से हो रहा है । पहले जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा फिर सभी विधान सभा क्षेत्र स्तर पर हमारे माननीय विधायकों के द्वारा किया जायेगा, क्योंकि वे हमारे विद्यालयों के प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, वहां पर भी यह कार्यक्रम होगा । संविधान के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव और संविधान के प्रति हमारे अधिकार और कर्त्तव्य का बोध हमको भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर प्राप्त करना है । माननीय विधायक श्री अमन भूषण हजारी जी को छोड़कर यहां बैठे सभी विधायक लगभग 50 वर्ष की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आपको 50 वर्ष की दूरी तय करनी है । भारत अमृत महोत्सव के बाद हम शताब्दी वर्ष मनायेंगे, यह 25 वर्ष का सफर तय करना है । हो सकता है

हम में से कई विधायक इस सफर में सम्मिलित न हो पायें लेकिन आप अगले 50 वर्ष के सफर में शामिल रहेंगे । आपको इस राष्ट्र को मजबूत करना है । हर नौजवान अपने संवैधानिक अधिकार के साथ–साथ अपने संवैधानिक कर्त्तव्य के प्रति सजग और एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में रहे । इस देश में हमारी दो–तिहाई आबादी नौजवानों की है और अगले 25 वर्ष बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कदम बढ़ाने होंगे । स्वामी विवेकानन्द जी का कथन था कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व गुरू बनेगा । आज सुखद संयोग है कि हमारी दो–तिहाई आबादी नौजवानों की है, जहां विश्व के कई देशों ने बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाया है, वहां इस राष्ट्र ने जवानों की ओर कदम बढ़ाया है । इस राष्ट्र को गौरवशाली, गौरवान्वित करने के लिए आपको सजगता से अपने संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ तमाम विकारों को छोड़कर कदम बढ़ाना है । इस मिथिला की पावन धरती का गौरवशाली इतिहास रहा है । हमको और आपको सोचना है कि मेरी विरासत ठहर क्यों गई ? इस विरासत को कौन बढ़ायेगा ? इस विरासत को आगे बढ़ाना है । जिस परिवार से कोई विरासत है, उसपर हम गर्व करते हैं लेकिन जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है, कोई पहचान नहीं है आज हमें संकल्प लेना है कि उस परिवार की विरासत आप बनेंगे । वह परिवार आपसे गौरवान्वित होगा, आपके नाम से जाना जायेगा, विधान और संविधान की ताकत आपको मिलेगी, एक नया माहौल बनाना है, आगे बढ़ाना है ।

युवा संसद, वैशाली, तिथि-30.12.2021

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्ष : आज इस जनतंत्र की पावन भूमि वैशाली को नमन करते हुए बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष एवं भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित बाल युवा संसद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हाजीपुर के लोकप्रिय विधायक श्री अवधेश कुमार सिंह जी, महुआ के लोकप्रिय विधायक श्री मुकेश कुमार रौशन जी, लालगंज के लोकप्रिय विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी, राघोपुर के पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी, महनार के पूर्व विधायक डॉ0 अच्युतानंद जी, विभिन्न स्कूलों से आये शिक्षकगण एवं छात्र–छात्राएं, सरकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु !

सचमुच हर मिट्टी की अपनी एक ताकत होती है, एक गुण होता है और एक विशेषता होती है । डॉ0 राजेन्द्र बाबू की धरती से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे । उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण बाबू की धरती, मिथिला की भूमि दरभंगा और आज गणतंत्र की जननी वैशाली । आप लोग जिस उत्साह के साथ अपने विषय को रख रहे थे हमारे विधायक जी भी सोच रहे थे कि हम भी इसी तरह से विशेष तैयारी करके सदन के अंदर अपने विषय को गंभीरतापूर्वक रखें ।

17वीं बिहार विधान सभा से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रासारण यू–ट्यूब चैनल पर होता है और आप सब लोग अपने माननीय सदस्य को देख सकते हैं कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं या नहीं । पूरे बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता अब देख रही है । आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने–अपने विषयों को रखा, विधान सभा की झलक को आपने दिखाया, इसके लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ । बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सभा का संचालन किया और जिस विषय पर आपने वाद–विवाद किया, वह ''मेरा संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य के साथ–साथ नैतिक कर्तव्य'' था ।

हम आजादी का 75वां वर्ष भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं लेकिन जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनायेंगे तो यह 25 वर्ष की दूरी 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को देखने का सौभाग्य मिले या न मिले, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस शताब्दी वर्ष का सफल संचालन करेंगे । आप इस बात को याद रखकर कदम बढ़ायें कि 19वीं सदी में 21वीं सदी की भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत विश्व गुरू बनेगा और आप 21वीं सदी में 21 वर्ष का सफर तय कर चुके हैं, जो शेष सफर है वह आपको तय करना है । आज आपको मन के अंदर यह संकल्प लेना होगा कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ अधिकार की ही चर्चा नहीं करेंगे बल्कि हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के साथ बिहार को

गौरवशाली राज्य बनाने के संकल्प को भी पूरा करेंगे । आप देखेंगे कि 19वीं सदी की भविष्यवाणी 21वीं सदी में कैसे सत्य होने के कगार पर है । जहां विश्व के बड़े–बड़े देशों की बड़ी आबादी बुढ़ापे की ओर जा रही है वहीं भारत की दो–तिहाई आबादी जवानी की ओर कदम बढ़ा रही है । यह संयोग नहीं है, यह एक महामानव के मुख से निकली हुई वाणी सत्य की ओर कदम बढ़ा रही है । जब परिवर्तन होता है तो बड़ी हलचल होती है । प्रकृति सृष्टि को संतुलित करती है, जब सृष्टि को कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है, सृष्टि को असंतुलित करने का प्रयास करता है, जलवायु का नाम तो आपने सुना होगा, जल और वायु, इन दोनों को जब प्रदूषित करने का प्रयास लोगों ने किया तो जलवायु परिवर्तन हुआ । वातावरण में ऐसे कई बदलाव आये प्राकृतिक आपदा के रूप में, महामारी के रूप में । इससे बचने के लिए न दौलत काम आयी, न शोहरत काम आयी । सिर्फ वही अपना जीवन बचा पाया जो प्रकृति का सम्मान करता था, प्रकृति के जो निकट था, प्रकृति के साथ था । लोगों ने कहा कि श्रमिक लोग बहुत कम प्रभावित हुए क्योंकि वह प्रकृति के बहुत निकट थे । प्रकृति ही तो शक्ति है, शक्ति ही तो भक्ति है और भक्ति ही सेवा है । हमको सेवा का भाव लेकर आगे कदम बढ़ाना है । आप देखें कि भारत को विश्व गुरू बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले मानव जाति को प्रकृति से, सृष्टि से जुड़ने का मंत्र बताया, जो साधना का मार्ग बताया उस योग को आज सृष्टि के द्वारा स्वीकार कर लिया गया । 21वीं सदी में हमने अपने स्वार्थ के लिए कई विकारों से वातावरण को प्रदूषित कर दिया लेकिन जब प्रकृति ने महामारी के रूप में उस विकार को तोड़ने के लिए दस्तक दी, तो उस अहंकारी को भी आभास करा दिया कि इस प्रकृति के जो सुंदर फूल हैं वह फूल एक दूसरे को नष्ट करने के लिए, कुचलने के लिए नहीं हैं बल्कि हाथ बढ़ाकर बचाने के लिए हैं। आपने कोरोना काल में देखा कि कोई भूख से नहीं मरा। सरकार के साथ–साथ सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी ने हाथ बढ़ाया, सब सीमाओं को तोड़ दिया, सब बंधनों को तोड़कर, सबको अपना मानकर कदम बढ़ाया । यह 21वीं सदी का भारत है । यह 21वीं सदी का राष्ट्र है और इस 21वीं सदी के राष्ट्र में आपको अपना कर्तव्य निभाना होगा । गीता के अंदर कहा भी गया है कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है और अगर आत्मा–परमात्मा का अंश है, तो हर आत्मा की अपनी एक विशेषता है । कोई तुच्छ नहीं है, सब समान हैं क्योंकि सब परमात्मा का अंश हैं और इस परमात्मा का, इस आत्मा का हम सम्मान करेंगे । हम सब का साथ, सबका विकास के साथ–साथ सब का सम्मान का भाव लेकर चलेंगे तो राष्ट्र का विकास तीव्र गति से होगा, यह राष्ट्र विश्व गुरू बनने की ओर बढ़ेगा । लोगों के अंदर जो कौशल है, जो हुनर है हम उसको निखारेंगे, हम उसको बढ़ायेंगे, एक नया माहौल खड़ा करेंगे । हमने कहा कि आज हम सबको मिलकर सामाजिक नैतिक संकल्प की ओर कदम बढ़ाना है । बिहार विधान सभा की लघु फिल्म को आप सब ने देखा होगा । आपने पांच सामाजिक नैतिक संकल्प की लघु फिल्म को भी देखा है । जब किसी राष्ट्र को कमजोर करना है, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है, राष्ट्र को गौरवशाली इतिहास की ओर नहीं जाने देना है, तो उस राष्ट्र को नशा की ओर मोड़ दो, स्वतः वह राष्ट्र कमजोर हो जायेगा । हमारे नौजवानों का नशा से मुक्त होना आवश्यक है क्योंकि आपको फिर से कोई गुलामी की ओर भेज न सके। एक नयी संस्कृति पुनरुत्थान की ओर कदम बढ़ा चुकी है, एक नये राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा चुकी है। इस राष्ट्र को फिर से कोई गुलाम न बनाये यह हम सबकी जिम्मेवारी है ।

हम अपराध से विकास को प्रभावित नहीं होने देंगे, न्याय को प्रभावित नहीं होने देंगे, चाहे अपराध सामाजिक हो या आर्थिक, हम अपराध मुक्त परिवार बनायेंगे, बच्चे यह संकल्प लेंगे । यह माहौल खड़ा करना है ।

इसके साथ बाल श्रम मुक्त समाज बनाना है । बाल श्रम अभिशाप है, यह आपके सपने को कुचल देता है, राष्ट्र के भविष्य को समाप्त कर देता है । हम बाल श्रमिक नहीं होने देंगे, हम उसके सपने को सजायेंगे, उसके सपने को जगायेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर एक नया माहौल बनायेंगे, हम बाल श्रमिक मुक्त अपना परिवार बनायें । हम अपने–अपने परिवार को संकल्प दिला देंगे कि अपने आसपास के जो परिचित हैं, अपने पास–पड़ोस में

कोई बाल श्रमिक नहीं रहेगा, सभी अपने हुनर और प्रतिभा को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ायें ।

हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त– गाड़ी के दो पहिये होते हैं, प्रकृति के भी दो रूप होते हैं, प्रकृति के भी दो अंश हैं, नारी और पुरुष, बेटा और बेटी ये प्रकृति के दो खूबसूरत अंग हैं । ये समान रूप से बढ़ें, आगे बढ़ें, समान रूप से समाज को सजायें, सुदंर बनायें ।

दहेज मुक्त करने का अगर आज हमारे बच्चे संकल्प ले लेंगे तो बच्चों को समाज में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता । समाज के कई बंधन हट जायेंगे, कई विकार मिट जायेंगे, जब हम दहेज मुक्त वातावरण बनायेंगे ।

लेकिन इससे भी ज्यादा हम अपने परिवार को वरदान युक्त बनायें और वरदान युक्त के लिए आप सभी संकल्प लें कि हम स्वच्छता युक्त बनें । यह हमारे धर्मग्रंथ के अंदर लिखा है कि स्वच्छता ही स्वर्ग है और स्वच्छता ही स्वास्थ्य का सबसे बड़ा माध्यम है । आज गरीबों का आर्थिक विकास रुक जाता है, गंदगी से उपजी बीमारी से, प्रदूषित जलवायु से, हम इस राष्ट्र को स्वच्छ बनायेंगे । हमें योग, आयुर्वेद के लिए किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है । हमारे पूर्वजों के द्वारा दादा–दादी, नाना–नानी, माता–पिता, अभिभावकों के द्वारा, आस–पड़ोस के द्वारा आज इस कोरोना महामारी ने योगा–आयुर्वेद के महत्व को समझा दिया। विश्व ने इसे स्वीकार कर लिया, हम उसको पढ़ायेंगे, उसको साईंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से विश्व के अंदर एक मान्यता दिलायेंगे, हमारा रिसर्च, शोध का विषय आगे बढ़े, और वह शोध सबको स्वीकार्य हो यह वातावरण बनायें ।

हम प्रकृति युक्त बनें, अपने घर के अगल–बगल के पोखरों में हरियाली युक्त वातावरण बनायें, जो सकारात्मक ऊर्जा देती है, जो नकारात्मकता से मुक्त करता है, हिंसा से दूर करता है, हम प्रकृति के निकट जायेंगे, प्रकृति के साथ बैठेंगे, प्रकृति को अपनी माता मानेंगे और प्रकृति ही तो शक्ति है, शक्ति ही तो भक्ति है, भक्ति ही तो सेवा है । इस प्रकृति का रक्षक बनकर आप कदम बढ़ायें ।

विरासत युक्त– आज कितना गर्व होता है वैशाली की धरती पर, एक से एक विरासत, एक से एक महर्षि, तपस्वी, राजा सब का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा । लेकिन यह विरासत रुक क्यों गयी ?इस विरासत को हर बच्चे तक पहुंचाना है और बच्चों के मन के अंदर ये संकल्प दिलाना है कि इस विरासत को बढ़ाना है । कब तक हम उनके नाम से जाने जायेंगे कि वह हमारे पूर्वज थे । नये पूर्वजों की कतार में इन बच्चों के बीच से, इस समाज के बीच से, नई विरासत क्यों उत्पन्न नहीं होगी, क्यों मन के अंदर यह संकल्प नहीं लेंगे कि वैशाली की धरती हमारे पूर्वजों से जानी जाती है, तो वैशाली की धरती मेरे नाम से भी जानी जायेगी । मेरा कर्म इतना अच्छा होगा कि वैशाली का नाम अपने राज्य के अंदर ही नहीं, देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया इस वैशाली की धरती को नमन करे । यह मेरा आप सबसे आग्रह है । जिस घर के अंदर आज विधायक जी हैं, इनका घर गौरवान्वित है कि मेरे घर के अंदर विधायक हैं, मंत्री हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, आई0ए0एस0 हैं, आई0पी0एस0 हैं, बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी हैं विशिष्टता प्राप्त किये हुये लोग हैं उनको गर्व होता है, लेकिन जिस परिवार में कोई विरासत नहीं है उनके बच्चों को तो सबसे ज्यादा संकल्प लेना है कि मैं विरासत बनूंगा, अपने परिवार की पहचान बनूंगा, मेरी आने वाली भावी पीढ़ी हम पर गर्व करे, मेरा ऐसा कर्म हो । विरासत का संकल्प हमको लेना है । हमने तो अपने माननीय सदस्यों से कहा कि हर विधान सभा क्षेत्र की विरासत को आप चिन्हित करें और वह विरासत जिससे कि पूरा भारत गौरवान्वित होगा उसको प्रदर्शनी में हमलोग आगे लगवायेंगे । एक बार हमको बिहार को गौरवशाली देश में, दुनिया के अंदर स्थापित करने का संकल्प लेना है ।

इसी तरह से 21वीं सदी में आप समझें कि डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल इंडिया का क्या महत्व है? हम पीछे क्यों हैं ? हमको डिजिटल इंडिया बनाना है और डिजिटल मार्केटिंग में अपना भाव स्थापित करना है। बिहार के विकास के लिए हर बच्चे को डिजिटल साक्षर होना आवश्यक होगा और बच्चे खुद को ही नहीं, अपने परिवार के हर सदस्य को डिजिटल साक्षर बनायेंगे । जिस परिवार का हर सदस्य डिजिटल साक्षर है, उसको हम सम्मानित करेंगे । हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी अपने सामाजिक कार्यकर्ता से जो परिवार डिजिटल साक्षर हैं वैसे परिवार चिन्हित करा लेंगे और उसको सम्मानित करेंगे ताकि दूसरे भी उससे प्रेरणा ले सकें ।

हमारा परिवार रोजगार प्रेरक– जिस परिवार का हर सदस्य रोजगार में लगा है हम उस परिवार को सम्मानित करेंगे ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें । स्वरोजगार के साथ–साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में हो, सर्विस में हो, प्राईवेट सेक्टर हो, गर्वमेंट सेक्टर हो, हर सदस्य रोजगार में लगा हो, ऐसे लोगों को सम्मानित करना है, क्योंकि वह समाज की प्रेरणा है और स्वरोजगार के साथ–साथ वह दूसरे परिवार को रोजगार देता है, रोजगार का सृजनकर्ता है, उसको भी हम सम्मानित करेंगे । इस समाज में बड़ा बदलाव होगा ।

इसके साथ–साथ हमारे सामाजिक योद्धा जो समाज के लिए कुछ करते हैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर औरों की जिंदगी बचाने के लिए जिसने लड़ा, जिसने संघर्ष किया ऐसे योद्धा को हम नमन करेंगे, ऐसे योद्धा को सम्मानित करेंगे ताकि इस समाज के अंदर और योद्धा पैदा होंगे और उस योद्धा को जब सम्मान मिलेगा तो फिर हमारी मां भारती की सभी संतानों के लिए एक नया सकारात्मक वातावरण बनेगा। स्वास्थ्यकर्मी हों, सुरक्षाकर्मी हों, सफाईकर्मी हों आज प्रेस मीडिया के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, इन सब ने जिस तरह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपके लिए काम किया वे सम्मान के अधिकारी हैं । हम उनको सम्मानित करें ।

सेवा समर्पण दाता– माहौल समाज के अंदर बदल गया है । पहले क्या होता था कि समाज के जो भी सक्षम लोग थे जो समाज के अंदर दूसरों की मदद करने वाले लोग थे, जो अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने व्यापार से कमाते थे वे दूसरों की मदद करते थे, काम करते थे, सहयोग करते थे आज वह भाव घट गया है । जो संकट में, आपदा में, विपदा में, बीमारी में मदद करता है उसको हम सम्मानित करें । आज जरूरत है ऐसे सेवा समर्पण दाता की । विशेष अभियान के रूप में कि आज जो अभिभावक विहीन बच्चे हैं, जिसके माता–पिता नहीं हैं या माता–पिता सक्षम नहीं हैं, माता–पिता घटना–दुर्घटना में अपंगता को प्राप्त कर गये हैं । वे बच्चे एक तरह से अभिभावक विहीन हैं हम उसको गोद लेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उसको लाभ दिलायें, उनके अभिभावक बनकर शिक्षा से, स्वरोजगार से, रोजगार से उसको हम मदद कर दें, यह माहौल बनाना है । जो बुद्धिजीवी हैं, आज बुद्धिजीवियों की बैठक हमने रखी है हम एक आग्रह करेंगे कि जो बुद्धिजीवी हैं, अभिभावक विहीन बच्चों को, बच्चे विहीन अभिभावकों से मिला दें । दोनों की जिंदगी में खुशियां आ जायेंगी, एक नया वातावरण बनेगा । ये अभिभावक विहीन बच्चे असामाजिक तत्वों के हाथ में न चले जायं और उनका दुरुपयोग न हो, ये बच्चे समाज के लिए अभिशाप न बन जायं, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अभिशाप नहीं, इनको हम सामाजिक योद्धा बनायेंगे, ये समाज का वरदान बनें, ये एक माहौल खड़ा करें । हमको, आपको मिलकर ये वातावरण बनाना है । जनता के विश्वास को जीतकर विधायक आते हैं, विधायिका के बारे में कुछ नकारात्मक वातावरण बना दिया गया है । आज वही विधायक, वही विधान सभा है, 17वीं विधान सभा, जहां हमारे सभी विधायकों ने, पक्ष हो या विपक्ष सभी शत प्रतिशत सदन चला रहे हैं और शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब विभाग की सजगता से आया है । शिमला की बैठक में कुछ स्पीकर्स ने कहा है कि शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आता है ?कैसे चल रहा है ?ये परिवर्तन दिखाई पड़ा । आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं एक बार मन के अंदर संकल्प लेकर आप कदम बढ़ायें और इस संकल्प को लेना है । आप सभी शिक्षक से, सभी माननीय विधायक, उच्च विद्यालय के अध्यक्ष जो होते हैं, वह अपने–अपने क्षेत्र में सभी बच्चों के साथ एक बार सकारात्मक भाव के साथ संकल्प का माहौल बनायें । आप सब लोग एक बार खड़े हो जायं ताकि सभी माननीय विधायकगण आप सबको संकल्प दिला सकें । जब हम बोलेंगे, तो अपना–अपना नाम बोलकर इस संकल्प को दोहरायेंगे ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान पांच अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त, सम्मानों से पूर्ण का संकल्प दिलाया गया ।)

आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ पुरस्कार की व्यवस्था बनाई गई है लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार होगा कि कल के भविष्य आप हैं, कल आप भी विधायक होंगे, सांसद होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर होंगे । जिन बच्चों ने आज के कार्यक्रम में भागीदारी की है जब विधान सभा का सत्र चलेगा तो हम यहां के प्रशासन से बात करके आपको आमंत्रित करेंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा में अब तक (31.12.2021) विभिन्न समितियों द्वारा संपन्न कुल बैठकों की संख्या एवं उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या :–

	समिति का नाम	सत्रहवीं बिहार विधान सभा में अब तक (31.12.2021) हुए कुल बैठकों की संख्या	उपस्थापित प्रतिवेदनों की संख्या
1.	कार्य मंत्रणा समिति	04	01
2.	राजकीय आश्वासन समिति	36	18
3.	याचिका समिति	43	
4.	विशेषाधिकार समिति	03	
5.	सरकारी उपक्रम समिति	59	01
6.	प्रत्यायुक्त विधान समिति	48	01
7.	प्राक्कलन समिति	36	
8.	सामान्य प्रयोजन समिति	03	
9.	पुस्तकालय समिति	43	
10.	लोक लेखा समिति	56	02
11.	नियम समिति	03	
12.	प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति	42	
13.	अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण समिति	40	
14.	जिला पंचायत जिला परिषद् समिति	40	
15.	निवेदन समिति	44	
16.	आतंरिक संसाधन समिति	39	
17.	महिला एवं बाल विकास समिति	43	
18.	आवास समिति	44	
19.	कृषि उद्योग विकास समिति	41	
20.	पर्यटन विकास समिति	41	
21.	शून्यकाल समिति	44	
22.	आचार समिति	43	
23.	बिहार विरासत विकास समिति	44	
24.	गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति	43	
25.	अल्प संख्यक कल्याण समिति	44	01
26.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति	42	

श्रद्धांजलि

जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। सनातन धर्म में वर्णित है कि मृत्यु शरीर की होती है न कि आत्मा की। आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है लेकिन बिछुड़न हमें पीड़ा देती है। कतिपय जननायकों के निधन से बिहार विधान मंडल ही नहीं अपितु प्रदेश को भी अतुलनीय क्षति हुई है जिनके बारे में शोक प्रकट करना एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा परम कर्तव्य है।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

सदस्य का नाम	निधन तिथि
स्व० रवीन्द्र कुमार तांती (पूर्व स.वि.प.)	14 अगस्त, 2020
स्व० रामदेव राय (पूर्व स.वि.प.)	29 अगस्त, 2020
स्व० प्रणव मुखर्जी (पूर्व राष्ट्रपति)	31 अगस्त, 2020
स्व० रघुवंश प्रसाद सिंह (पूर्व स.वि.प.)	13 सितम्बर, 2020
स्व० आनंदी प्रसाद यादव (पूर्व स.वि.प.)	13 सितम्बर, 2020
स्व० रामजी ऋषिदेव (पूर्व स.वि.प.)	15 सितम्बर, 2020
मो० इसराईल राईन (पूर्व स.वि.प.)	28 सितम्बर, 2020
स्व० धर्मेन्द्र यादव (पूर्व स.वि.प.)	29 सितम्बर, 2020
स्व० हुसैन अंसारी (पूर्व स.वि.प.)	3 अक्टूबर, 2020
स्व० राम विलास पासवान (पूर्व स.वि.प. व भारत सरकार के वर्तमान मंत्री)	8 अक्टूबर, 2020
स्व० विनोद कुमार सिंह (पूर्व स.वि.प.)	12 अक्टूबर, 2020
स्व० कपिलदेव कामत (पूर्व स.वि.प.)	16 अक्टूबर,2020
स्व० सतीश प्रसाद सिंह (पूर्व स.वि.प.)	29 अक्टूबर, 2020
स्व० विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता (पूर्व स..वि.प.)	8 नवंबर, 2020
स्व० सत्यनारायण सिंह (पूर्व स.वि.प.)	24 नवंबर ,2020
स्व० गणेश प्रसाद यादव (पूर्व स.वि.प.)	25 नवंबर, 2020

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

स्व. दिनकर राम (पूर्व स.वि.स.)	05 दिसम्बर, 2021
स्व. उपेन्द्र नारायण हाजरा (पूर्व स.वि.स.)	25 दिसम्बर, 2021
स्व. राजनंदन राय (पूर्व स.वि.स.)	28 दिसम्बर, 2021
स्व. बूटा सिंह (पूर्व राज्यपाल, बिहार एवं गृह मंत्री, भारत सरकार)	02 जनवरी, 2021

स्व. कपिल देव सिंह (पूर्व स.वि.प.)	02 जनवरी, 2021
स्व. गणेश शंकर विद्यार्थी (पूर्व स.वि.स. एवं पूर्व स.वि.प.)	11 जनवरी, 2021
स्व. कामेश्वर सिंह (पूर्व सदस्य, लोक सभा एवं राज्य सभा)	15 जनवरी, 2021
स्व. एम. रामा जोईस (पूर्व राज्यपाल, बिहार)	16 फरवरी, 2021
स्व. हरे कृष्ण यादव (पूर्व स.वि.प.)	14 मार्च, 2021

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

स्व. मोहम्मद वली रहमानी (पूर्व स.वि.प.)	03 अप्रैल, 2021
स्व. बन्दी उरांव (पूर्व मंत्री एवं पूर्व स.वि.स.)	05 अप्रैल, 2021
स्व. साइमन मरांडी (पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स.वि.स.)	13 अप्रैल, 2021
स्व. निएल तिर्की (पूर्व स.वि.स.)	14 अप्रैल, 2021
स्व. प्रो. अरुण कुमार (पूर्व सभापति, बि.वि.प.)	14 अप्रैल, 2021
स्व. मेवालाल चौधरी (पूर्व स.वि.प.)	19 अप्रैल, 2021
स्व. प्रेम नारायण गढ़वाल (पूर्व स.वि.प. व पूर्व मंत्री)	21 अप्रैल, 2021
स्व. कुंती देवी (पूर्व स.वि.स.)	22 अप्रैल, 2021
स्व. जगन्नाथ प्रसाद राय (पूर्व स.वि.स. एवं स.वि.प.)	25 अप्रैल, 2021
स्व. बसंत कुमार लाल (पूर्व स.वि.प.)	26 अप्रैल, 2021
स्व. विजय कुमार सिंह (पूर्व स.वि.स.)	27 अप्रैल, 2021
स्व. लक्ष्मण गिलुवा (पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स.वि.स.)	29 अप्रैल, 2021
स्व. हरिनारायण चौधरी (पूर्व पूर्व स.वि.प.)	30 अप्रैल, 2021
स्व. मो. शहाबुद्दीन (पूर्व सांसद एवं पूर्व स.वि.स.)	01 मई, 2021
स्व. जोरावर राम (पूर्व लोक सभा सदस्य एवं पूर्व स.वि.स.)	03 मई, 2021
स्व. शालीग्राम यादव (पूर्व स.वि.स.)	04 मई, 2021
स्व. भरत सिंह (पूर्व स.वि.स.)	06 मई, 2021
स्व. तनवीर अख्तर (पूर्व पूर्व स.वि.प.)	08 मई, 2021
स्व. शिवेन्द्र प्रसाद सिंह (पूर्व स.वि.प.)	09 मई, 2021
स्व. अकील हैदर (पूर्व स.वि.स.)	11 मई, 2021
स्व. राम कृष्ण यादव (पूर्व स.वि.स.)	11 मई, 2021
स्व. राम चन्द्र सिंह (पूर्व स.वि.स.)	11 मई, 2021
स्व. प्रो. राघव प्रसाद (पूर्व स.वि.स.)	12 मई, 2021

स्व. राम विचार राय (पूर्व मंत्री एवं पूर्व स.वि.स.)	12 मई, 2021
स्व. डॉ रमेन्द्र कुमार यादव (पूर्व सांसद)	14 मई, 2021
स्व. डॉ. रमेन्द्र कुमार यादव ''रवि'' (पूर्व सांसद एवं पूर्व स.वि.स.)	14 मई, 2021
स्व. रघुनन्दन लाल भाटिया (पूर्व राज्यपाल, बिहार)	15 मई, 2021
स्व. विजय सिंह यादव (पूर्व राज्य सभा सदस्य एवं पूर्व स.वि.स.)	16 मई, 2021
स्व. जगन्नाथ पहाड़िया (पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व सांसद)	19 मई, 2021
स्व. सूर्य देव राय (पूर्व मंत्री एवं पूर्व स.वि.स.)	20 मई, 2021
स्व. इन्द्रा नन्द यादव (पूर्व स.वि.स.)	22 मई, 2021
स्व. रामेश्वर प्रसाद यादव (पूर्व स.वि.स.)	01 जून, 2021
स्व. शशिभूषण हजारी (वर्तमान स.वि.प.)	01 जुलाई, 2021
स्व. जनार्दन मांझी (पूर्व स.वि.स.)	20 जुलाई, 2021

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

स्व. मिथिलेश कुमार सिंह (पूर्व स.वि.स.)	03 अगस्त, 2021
स्व. जनार्दन शर्मा (पूर्व स.वि.स.)	12 अगस्त, 2021
स्व. सदानन्द सिंह (पूर्व अध्यक्ष, बि.वि.स.)	08 सितम्बर, 2021
स्व. बलराम सिंह यादव (पूर्व स.वि.प.)	08 सितम्बर, 2021
स्व. डॉ. खालिद रशीद सबा (पूर्व स.वि.प.)	27 सितम्बर, 2021
स्व. हिन्द केशरी यादव (पूर्व स.वि.स.)	08 अक्टूबर, 2021
स्व. गौरी शंकर नागदंश (पूर्व स.वि.स.)	28 अक्टूबर, 2021
स्व. रामजी प्रसाद शर्मा (पूर्व स.वि.स.)	30 अक्टूबर, 2021
स्व. मुसाफिर पासवान (वर्तमान स.वि.स.)	25 नवंबर, 2021

सिवान जिला में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण

सिवान जिला में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सामाजिक, नैतिक संकल्प अभियान का शुभारम्भ

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण

दरभंगा जिला में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुभारंभ

वैशाली जिला में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सामाजिक, नैतिक संकल्प अभियान का शुभारम्भ।

माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय एवं अन्य सदस्यों द्वारा
सामाजिक, नैतिक संकल्प अभियान का शपथ ग्रहण।

माननीय उप मुख्यमंत्री के आवास पर सामाजिक, नैतिक संकल्प अभियान का शुभारम्भ।

माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा के सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान
का महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारंभ

बिहार विधान सभा में विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण।

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष का शुभारंभ।

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंट करते हुए।

बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री,
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन।

मुद्रक : संजय प्रिंटिंग वर्क्स, गुरहट्टा, पटना सिटी, पटना-8, मो. 9334148945